सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

11 फरवरी, 2026

बिहार विधान सभा सचिवालय,
पटना ।

अष्टादश विधान सभा — बुधवार, तिथि 11 फरवरी, 2026 ई0

द्वितीय सत्र — 22 माघ, 1947 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय– 11:00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । अब प्रश्नोत्तर काल होगा । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

श्री रणविजय साहू : अध्यक्ष महोदय, कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया हुआ है ।

अध्यक्ष : शून्यकाल में बोलने का समय देंगे, पढ़वा देंगे ।

प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न सं0–14, श्रीमती स्नेहलता (क्षेत्र सं0–208, सासाराम)

(लिखित उत्तर)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : आंशिक स्वीकारात्मक ।

सामुदायिक संगठन यथा संकुल स्तरीय संगठनों द्वारा सरकार द्वारा दिए गए योजनाओं का क्रियान्वयन कर समूह सदस्यों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ाने में अपनी भूमिका को कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रहा है । सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता का चयन सामुदायिक संगठनों द्वारा किया जाता है, जो कि अंशकालिक है। पहचान पत्र एवं ड्रेस (साड़ी/एप्रन) देने हेतु निर्णय लेने का सक्षम प्राधिकार केवल सामुदायिक संगठन को है ।

श्रीमती स्नेहला : अध्यक्ष महोदय, महिला शक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है । महोदय, माइक ऑन नहीं हो रहा है ।

अध्यक्ष : आप अगली लाइन में आकर बोल लीजिए ।

श्रीमती स्नेहलता : अध्यक्ष महोदय, महिला सशक्तिकरण को मुख्यमंत्री जी के द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है, इसके लिए मुख्यमंत्री जी को बहुत–बहुत धन्यवाद देते हैं। आज जीविका दीदी समाज में जिस तरीके से काम कर रही हैं, दिन–रात मेहनत कर रही हैं, पर उनके...

अध्यक्ष : पूरक पूछ लिया जाए ।

श्रीमती स्नेहला : जी जवाब मिला है, लेकिन जो संगठन है उसको जीविका दीदी को ड्रेस कोड या पहचान पत्र देने का काम करना है, लेकिन उन संगठनों ने अभी तक उनका पहचान पत्र नहीं देने का काम किया है। अब कहीं भी जीविका दीदी जाती हैं, काम तो लोग लेते हैं उनसे, मेहनत भी करती हैं, लेकिन सभी जगह उनको अपनी पहचान पत्र के कारण समुचित सम्मान नहीं मिल पाता है। मंत्री जी से हम आग्रह करते हैं कि उनका कैसे उनको ड्रेस कोड और पहचान पत्र दिया जाए, यही मेरा आग्रह है। धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या का जो प्रश्न हैं उसमें स्पष्ट रूप से उत्तर दिया हुआ है । लेकिन माननीय सदस्या की जिज्ञासा यह है कि जो महिला हैं, जो जीविका की दीदियां हैं, उनका ड्रेस कोड होना चाहिए और उनको पहचान पत्र मिलना चाहिए । उसमें हमने कहा है कि जो सामुदायिक संगठन है महोदय, उस सामुदायिक संगठन को जवाबदेही दी हुई है, सामुदायिक संगठन ही उनको ड्रेस कोड और पहचान पत्र दिलाएगा और जहाँ तक सुरक्षा का सवाल उन्होंने उठाया है तो जीविका की दीदियां तो राज्य भर में अवेयरनेस का काम करती हैं, जानकारी देती हैं और लोगों को सचेत होने के लिए समय–समय पर उनको अवेयरनेस करने का काम करती हैं। इस प्रकार से जब वे खुद लोगों को अवेयर करती हैं, तो उनको सुरक्षा की आवश्यकता कहाँ है महोदय? अगर सुरक्षा की जरुरत है महोदय, तो राज्य भर में हमारे गृह मंत्रालय के द्वारा, पुलिस के द्वारा 112 नंबर गाड़ी का दिया है अगर वे गाड़ी का नंबर डायल करेंगी तो उनकी सुविधा के लिए, उनको अगर सुरक्षा की जरुरत है, तो तुरंत वह गाड़ी पहुँच जाएगी और उनको सुरक्षा प्रदान करेगी।

अध्यक्ष: श्री मंजीत कुमार सिंह ।

श्रीमती स्नेहलता : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट रूका जाए । जीविका दीदी के सुरक्षा की बात नहीं हो रही है, उनको पहचान पत्र चाहिए। कहीं भी वे जाती हैं तो अपना पहचान पत्र उनके पास नहीं है, इसके चलते उनको सम्मान नहीं दिया जा रहा है। सुरक्षा तो महिलाएं अब खुद कर रही हैं। उनको पहचान पत्र की जरुरत है। मंत्री जी से आग्रह है कि पहचान पत्र उनको देने का काम करें ।

अध्यक्ष : दिलवा दीजिये पहचान पत्र, अच्छा रहेगा।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सामुदायिक संगठन को यह अधिकार दिया हुआ है।

अध्यक्ष : अधिकार दिया हुआ है ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, फिर से निर्देशित करेंगे कि जीविका की दीदियों के लिए जो आपको अधिकार मिला हुआ है, उसका अनुपालन शीघ्र करा दें।

<u>अल्पसूचित प्रश्न सं0–15, श्री मंजीत कुमार सिंह (क्षेत्र सं0–100, बरौली)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : 1– स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 एवं 2025–26 की अवधि में 12 लाख 19 हजार 126 लक्ष्य प्राप्त है। प्राप्त लक्ष्य के विरुद्ध अबतक 12 लाख 08 हजार 415 आवासों की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 2 लाख 96

हजार 65 परिवार ने आवास निर्माण पूर्ण कर लिया है, शेष 9 लाख 23 हजार 61 आवास निर्माणाधीन हैं।

2– उपर्युक्त कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

3– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जुलाई माह के बाद से योजना अंतर्गत राशि का व्यय एस0एन0ए0 स्पर्श मॉडल के तहत किये जाने का निदेश दिया गया है । राज्य सरकार द्वारा पूर्ण रूप से नई व्यवस्था को लागू करने में कठिनाई होने के कारण भारत सरकार का एस0एन0ए0 स्पर्श मॉडल से दिनांक 31.03.2026 तक छूट देते हुए पूर्व की व्यवस्था के तहत राशि की विमुक्ति किये जाने का अनुरोध वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से किये जाने हेतु वित्त विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध किया गया है ।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से राशि प्राप्त होने पर निर्धारित स्तर तक आवास निर्माण पूर्ण करने वाले योग्य लाभुकों को सहायता राशि का भुगतान करते हुए निर्माणाधीन आवासों को पूर्ण कराया जाएगा ।

श्री मंजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह स्वीकार किया है कि वित्तीय वर्ष 2024–25 और 2025–26 की अवधि में 12 लाख 08 हजार 415 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी गई थी। जिसमें 9 लाख 23 हजार 61 आवास निर्माणाधीन हैं। जिनकी राशि का भुगतान लंबित है। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि कितनी राशि भुगतान हेतु लंबित है, जिन्हें प्रधानमंत्री आवास के तहत राशि का भुगतान किया जाना था ?

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, यह बात सही है कि राशि की आवश्यकता है और भारत सरकार ने एक निर्देश दिया था स्टेट नोडल अकाउंट बनाने के लिए आदेश दिया था। स्टेट नोडल अकाउंट हम नहीं बना पाए महोदय, जिसके चलते हमारी राशि रुक गई है प्रधानमंत्री आवास में । मैं भारत सरकार में गया था, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास से मिला भी था और उनसे अनुरोध किया था कि 31 जनवरी तक आप हमको ये अधिकार दीजिये। उन्होंने यह अधिकार 31 जनवरी तक दिया है और उसमें राशि की हमने निकासी की है और जो लंबित राशि है उसको हमने देने का काम किया है। लेकिन इस बीच में हमारा जो स्टेट नोडल अकाउंट है, वह बन नहीं पाया, तो फिर हमने अनुरोध किया है, 31 मार्च तक अनुरोध किया है कि हमारा स्टेट नोडल अकाउंट बनाने में समय लग जाएगा, इसलिए हमको जो आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास, उसमें जो लंबित राशि है, 31 मार्च के पहले भुगतान करने हेतु आप आवश्यक निर्देश दें हमें, ताकि हम उनके जो आवास में गति धीमी है, और जो लंबित है, उनको हम पूरा कर सकें।

अल्पसूचित प्रश्न सं0–16, श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र सं0–75, सहरसा)

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, तालाबों को अतिक्रमण से मुक्त कराने संबंधी मेरा प्रश्न था, जिसका जवाब अभी तक नहीं आया है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता जी को पहले पूरक पूछ लेने दीजिए । जब तीन पूरक पूछ लेंगे उसके बाद आप पूछियेगा, हम आपको पूछने का मौका देंगे ।

श्री दीपक प्रकाश, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मामला अतिक्रमण से जुड़ा है, इसलिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को हस्तांतरित किया गया है।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, संभव है कि कल उत्तर मिलेगा । इस प्रश्न का आगे क्या होगा फिर, क्योंकि इसको आगे हस्तांतरित कर दिया गया है। महोदय, क्या होगा ?

अध्यक्ष : उत्तर आ जाएगा, अगली बार में आ जाएगा।

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : बोलिये क्या बोलना चाहते हैं ? तालाब के बारे में कहना है न?

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास विभाग के प्रश्न पर पूरक पूछना था ।

अध्यक्ष : अब तो हम आगे बढ़ चुके हैं । अब बाद में पूछियेगा ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0–17, श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र सं0–15, केसरिया)

(लिखित उत्तर)

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि विभागान्तर्गत राज्य में अधिष्ठापित 10240 राजकीय नलकूपों में से 1381 नलकूप अनुपयोगी होने (यथा–कमांड एरिया समाप्त हो जाना, कमांड एरिया में निजी नलकूपों का अधिष्ठापन, बोर फेल हो जाना इत्यादि) के कारण परित्यक्त घोषित किये जा चुके हैं। शेष 8922 नलकूपों में से वर्तमान में 5618 नलकूप चालू एवं 3304 नलकूप बंद हैं।

बिहार सरकार के संकल्प सं0–992, दिनांक 04.02.2019 के आलोक में राजकीय नलकूपों के रख–रखाव व संचालन हेतु पंचायत को हस्तगत किया गया है। बंद पड़े नलकूपों को चालू कराने हेतु आवश्यक निधि चरणबद्ध तरीके से पंचायत को उपलब्ध करायी जा रही है।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, उन्होंने उत्तर दिया है कि संकल्प संख्या– 992, दिनांक 04. 12.2019 द्वारा पंचायतों को नलकूप हस्तगत किये गये और चरणबद्ध तरीके से बंद पड़े नलकूपों को चालू करने हेतु आवश्यक निधि उपलब्ध कराई जा रही

है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगी कि 2019 में कितने नलकूप बंद पड़े हैं और कितने चालू नलकूप पंचायतों को हस्तांतरित किए गए थे ? उसमें से वर्षवार कितनी–कितनी राशि, वर्ष 2019 से 2025–26 तक, वर्षवार पंचायतों को कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, 8922 नलकूप टोटल हैं, उनमें से 3304 नलकूप अभी चालू अवस्था में नहीं हैं। उनके अगेंस्ट में 2477 नलकूप की राशि आवंटित की गई है। पहली किस्त जैसा कि माननीय सदस्य ने फेज वाइज पूछा है तो 2018–19 में 1505 नलकूपों का गया, 2019–20 में भी गया, इस तरह मैं माननीय सदस्या को डाटा उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन 3304 जो बंद पड़े नलकूप हैं, उसके अगेंस्ट में 2477 नलकूप की राशि पंचायत को हस्तगत कर दी गयी है। करीब 75 लाख 23 हजार रुपये हस्तगत कर दिया गया है। माननीय सदस्या को मैं पूरी डिटेल दे देता हूँ।

टर्न–2 / हेमन्त / 11.02.2026

श्रीमती शालिनी मिश्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पूरक है कि क्या ऑपरेटर के अभाव में सारे बंद पड़े नलकूपों का संचालन सही से नहीं होता है, तो क्या सरकार यह विचार रखती है कि ऑपरेटर की नियुक्ति करायी जाय ? यह समस्या बहुत गंभीर है। क्या सरकार यह मंशा रखती है कि ऑपरेटरों की नियुक्ति करायी जाय।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री।

श्री संतोष कुमार सुमन : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि संकल्प 2019 का पंचायती राज को हस्तगत कर दिया गया है और पंचायत के द्वारा उसकी देखभाल की जाती है और पंचायत में ही ऑपरेटर रखने का उसी राशि से, जो आती है उससे रख सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : श्री उपेन्द्र प्रसाद।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : माननीय मंत्री महोदय, यह कारगर नहीं हो रहा है। तो क्या ऑपरेटर की नियुक्ति का विचार करेंगे ?

श्री संतोष कुमार सुमन : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। माननीय सदस्या की जो बात है, उस पर विचार किया जायेगा।

अध्यक्ष : श्री बैद्यनाथ प्रसाद जी।

श्री बैद्यनाथ प्रसाद : वर्ष 1979–80 में नलकूप निर्माण के लिए बहुत सारे लोगों ने जमीन दान दी महामहिम राज्यपाल के नाम से और 1979 से आज तक बोरिंग चालू नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में सरकार उस नलकूप के भूमिदाता को जमीन वापस करना चाहती है, मैं यह जानना चाहता हूं ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या–18, श्री उपेन्द्र प्रसाद (क्षेत्र सं0–225, गुरूआ)

(लिखित उत्तर)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : आंशिक स्वीकारात्मक।

वस्तुस्थिति यह है कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान–द्वितीय चरण (2020–21 से 2024–25) के दिशा–निर्देश की कंडिका 9.8 (ड़) द्वारा स्वच्छता पर्यवेक्षक को 5000 से 7500 तक एवं स्वच्छता कर्मी को 1500 से 3000 तक कार्य आधारित मानदेय दिये जाने का प्रावधान किया गया था।

इस क्रम में बिहार सरकार, ग्रामीण विकास विभाग के संकल्प संख्या–4463980 दिनांक 12.08.2025 के माध्यम से स्वच्छता पर्यवेक्षक को 9000 हजार एवं स्वच्छता कर्मी को 5000 हजार पारिश्रमिक के साथ–साथ स्वच्छता कर्मी को पारिश्रमिक के अतिरिक्त वार्ड स्तर पर घरों से (Household) संग्रहित मासिक उपयोगिता शुल्क की 50 प्रतिशत राशि प्रोत्साहन के रूप में दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

अध्यक्ष : उत्तर मिला है न ?

श्री उपेन्द्र प्रसाद : महोदय, जी, उत्तर मिला है, लेकिन, मैं माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि समाज द्वारा जो गंदगी रोज फैलायी जाती है, उस गंदगी को ये सफाई कर्मी साफ करते हैं। महोदय, इसलिए सम्मानजनक उनका मानदेय नहीं है। मैं चाहता हूँ कि नित्य समाज द्वारा जो गंदगी फैलायी जाती है और नित्य प्रातः वह उठकर उसी का दर्शन करते हुए साफ करता है समाज के लिए। तो 7,500 और 3,000 रूपये पर्याप्त नहीं है, महोदय। मैं चाहता हूँ कि सम्मानपूर्वक उसका मानदेय बढ़ाने पर कुछ विचार किया जाए।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है, उसको हम लोगों ने चुनाव से पहले दूर किया है और 12.8.2025 को ही इनके मानदेय में बढ़ोतरी की गई है और उपियोगिता शुल्क, जो हम ग्रहण करते हैं, जो लोगों से लेते हैं उसमें 50 प्रतिशत जो राशि है, वह हम इन कर्मियों पर खर्च करते हैं। तो माननीय सदस्य से मैं अनुरोध करना चाहता हूं और सिर्फ माननीय सदस्य उपेंद्र जी से ही नहीं, सदन के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो उपियोगिता की राशि है, वह हर घर से लेना है एक रूपया, महोदय। अगर उसमें सब लोग हमको सहयोग करेंगे, तो इनकी और राशि बढ़ जाएगी। तो हमको सहयोग करने के बजाय, अभी तो हमने किया है। तो माननीय सदस्य की जो चिंता है, उसकी समीक्षा करेंगे और समीक्षा उपरांत आवश्यक जो कार्रवाई होगी, करेंगे।

अध्यक्ष : श्री अमरेंद्र कुमार।

(व्यवधान)

अलग से लिखकर दे दीजिए। माननीय सदस्य, लिखकर दे दीजिए।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : लिखकर दे दीजिए।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या–19, श्री अमरेन्द्र कुमार (क्षेत्र संख्या–219, गोह)

(मुद्रित उत्तर)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अंशतः स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 एवं 2025–26की अवधि में 12लाख 19 हजार 615 लक्ष्य प्राप्त है । प्राप्त लक्ष्य के विरूद्ध 12लाख 08 हजार 327 आवासों की स्वीकृति दी गई है ।

अंशतः स्वीकारात्मक है । योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 एवं 2025–26 में प्राप्त लक्ष्य के विरूद्ध स्वीकृत 12लाख 08 हजार 327 आवासों में से 11लाख 35 हजार 835 आवासों के लाभुकों को प्रथम किश्त की सहायता राशि का भुगतान किया गया है, 72 हजार 492 लाभुकों को प्रथम किस्त का भुगतान लंबित है । प्रथम किश्त की सहायता राशि प्राप्त 11 लाख 35 हजार 835 लाभुकों में से 7 लाख 47 हजार 366 लाभुकों को द्वितीय किस्त का भुगतान किया गया है, 3 लाख 26 हजार 950 लाभुकों को द्वितीय किस्त का भुगतान लंबित है ।

वित्तीय वर्ष 2024–25 एवं 2025–26 की अवधि के 9 लाख 16 हजार 709 आवास पूर्णता हेतु लंबित है ।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जुलाई माह के बाद से योजना अंतर्गत राशि का व्यय SNA SPARSH Module से तहत किये जाने का निदेश दिया गया है । राज्य सरकार द्वारा पूर्ण रूप से नई व्यवस्था को लागू करने में कतिपय कठिनाई होने के कारण भारत सरकार को SNA SPARSH Module से छूट देते हुए पूर्व की व्यवस्था के तहत राशि की विमुक्ति किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

उक्त के आलोक में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक 01/(09)पी0एफ0एम0एस0/2022(पीटी0–3) दिनांक 07.01.2026 द्वारा 31 जनवरी, 2026 तक SNA SPARSH Module से प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण को बिहार राज्य के लिए छूट दिया गया है ।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से राशि प्राप्त होने पर योग्य लाभुकों को सहायता राशि का भुगतान किया जायेगा ।

वित्त विभाग, बिहार, पटना के स्तर से SNA SPARSH Module को लागू करने हेतु आवास सॉफ्ट को आई0एफ0एम0आई0एस0 (सी0एफ0एम0एस 2.0) से एकीकृत करने की कार्रवाई की जा रही है ।

श्री अमरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का जो उत्तर प्राप्त हुआ है, तो डबल इंजन की सरकार, दोनों इंजन फेल हैं, महोदय। वित्तीय वर्ष समाप्त होने में लगभग डेढ़ महीना बचा है और राशि के अभाव में लगभग 12 लाख आवास अपूर्ण हैं। मैं

माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा केंद्र से कितनी राशि की मांग की गई थी और कितनी राशि प्राप्त हुई है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री। श्रवण बाबू।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : क्या कह रहे हैं माननीय सदस्य। फिर से प्रश्न कर दीजिए।

श्री अमरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने में लगभग डेढ़ महीना बचा है और राशि के अभाव में लगभग 12 लाख आवास अपूर्ण हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आवास योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा केंद्र से कितनी राशि की मांग की गई थी और कितनी प्राप्त हुई है?

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया है माननीय मंजीत कुमार सिंह के प्रश्न में। सरकार पैसा देने को तैयार है। ऐसी बात नहीं है कि पैसा नहीं दे रही है। पैसे की आवश्यकता भी है और थोड़ा हमको राज्य स्तर पर, जो हमको स्टेट लेवल का नियम बनाना था, महोदय, उसमें थोड़ा विलंब हुआ है और विलंब के चलते मुझे भारत सरकार में जाना पड़ा। माननीय मंत्री से भी मिला और अनुरोध उनसे किया था कि जब तक हम यह नई व्यवस्था नहीं कर लेते हैं, तब तक राशि का आवंटन कीजिए। तो आवंटन मिला भी है, महोदय और फिर हमने पत्र लिखा है। फिर जैसे ही मौका मिलेगा, भारत सरकार में जाकर मार्च तक जरूर उस पर आदेश प्राप्त करेंगे और जो हमारा आवास अपूर्ण है, महोदय, उसको हम समय पर पूरा कराने की पूरी कोशिश करेंगे।

अध्यक्ष : श्री जिवेश कुमार।

<u>अल्पसूचित प्रश्न संख्या–20, श्री जिवेश कुमार (क्षेत्र संख्या–87, जाले)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री दीपक प्रकाश, मंत्री : 1–स्वीकारात्मक।

2– अस्वीकारात्मक।

3– विभागीय संकल्प संख्या 8116 दिनांक 27.06.2025 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को निर्वाचित घोषित होने की तिथि से पद पर बने रहने तक के दौरान हुई सामान्य मृत्यु की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान 5,00,000 लाख मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप पूरक पूछ लीजिए।

श्री जिवेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, यह जो उत्तर आया है....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप पूरक पूछ लीजिए।

श्री जिवेश कुमार : पांच लाख रूपये का प्रावधान...

(व्यवधान)

महोदय, यह लोग जनप्रतिनिधि विरोधी हैं। यह जनप्रतिनिधि का सवाल है, जनप्रतिनिधि विरोधी हैं ये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : पहला, तो उत्तर भी है। माननीय मंत्री ने कहा भी है। एक बार और पूछ लीजिए।

श्री अमरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, हम माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि कितना मांगा और कितना मिला ?

अध्यक्ष : एक और पूछ लीजिए, तीसरा भी पूछ लीजिए।

श्री अमरेन्द्र कुमार : मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि सरकार कब तक सभी लाभुकों को तीनों किस्त देगी ?

अध्यक्ष : बैठ जाइए। माननीय मंत्री।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट उत्तर दिया है। भारत सरकार लक्ष्य देती है, लक्ष्य की डिमांड हम कुछ नहीं करते, लक्ष्य भारत सरकार निर्धारित करती है और जो लक्ष्य निर्धारित करती है, उसके अनुसार राशि भी आवंटित करती है। मैंने तो कहा कि हमको जो स्टेट नोडल अकाउंट बनाने थे, इसमें विलंब हुआ है और जब विलंब हो गया है, इसके चलते राशि आवंटन में भी विलंब हो रहा है। महोदय, मैंने तो कहा है कि राज्य के हित को देखते हुए और गरीबों के आवास पूर्ण हों, इसके लिए तुरंत मैंने भारत सरकार को पत्र भी लिखा है और मैं जाऊंगा भी, 31 मार्च तक हमने समय मांगा है कि इस बीच में हम स्टेट नोडल अकाउंट बना लेंगे, महोदय और उसके बाद जो भारत सरकार की प्रक्रिया है, उससे पैसा आता रहेगा। मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष : श्री जिवेश कुमार।

श्री जिवेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को कि यह विभागीय संकल्प है इसका 2725 का 8116, पिछली सरकार ने जो जनप्रतिनिधि हैं, त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधि हैं, उनकी सामान्य मौत पर भी 5 लाख रूपये का संकल्प लिया था, जो इस राज्य में अब लागू है। लेकिन मेरा माननीय मंत्री जी से सवाल है कि सामान्य एक्सीडेंट में भी हम मुआवजा 4 से 5 लाख रूपया देते हैं। जो चुन कर आया हुआ जनप्रतिनिधि है, एक आवाम का प्रतिनिधि है, वार्ड का नेतृत्व करता है, चाहे पंचायत का, उसको भी 5 लाख रूपया ही। मैं माननीय माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करता हूं और मेरा सवाल है कि क्या माननीय मंत्री जी इसको बढ़ा कर 10 लाख रूपया करने का विचार रखते हैं?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री।

श्री दीपक प्रकाश, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे माननीय सदस्य स्वयं बता रहे हैं, आकस्मिक मृत्यु के साथ–साथ सामान्य मृत्यु में भी 27–06–2025 से अनुदान दिया जा रहा है। आगे इसकी राशि बढ़ाई जाए, इस बात को लेकर अभी यह प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, लेकिन आगे इस पर विचार किया जाएगा।

अध्यक्ष : अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे।

(व्यवधान)

सरकार विचार करेगी।

श्री जिवेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, 2025 से विभागीय संकल्प लागू है, यह तो मैंने कहा माननीय मंत्री जी से...

अध्यक्ष : सरकार विचार करेगी।

श्री जिवेश कुमार : मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि एक प्रतिनिधि के हित में, जो मुखिया है, सरपंच है, जो अपना वार्ड पार्षद है, उसकी सामान्य मौत पर आप 5 लाख रूपया देते हैं, उसको बढ़ा कर 10 लाख रूपया कर दीजिए, यही तो मैं कह रहा हूं।

अध्यक्ष : सरकार विचार करेगी, माननीय मंत्री जी ने कहा है।

श्री संजय कुमार सिंह।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–595, श्री संजय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या–76, सिमरी बख्तियारपुर)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ के निर्माण हेतु MMGSY अंतर्गत एकरारनामा किया गया था। संवेदक द्वारा ससमय कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण उनके एकरारनामा को विखंडित करते हुए दण्डात्मक कार्रवाई की गयी है।

विखंडन के उपरान्त शेष बचे कार्यों की तकनीकी समीक्षा की जा रही है। समीक्षोपरान्त अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

अध्यक्ष : उत्तर मिला है ना?

श्री संजय कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर जो मिला है, वह दूसरा उत्तर है, मेरे प्रश्न से कोई संबंध नहीं है।

अध्यक्ष : पूरक पूछ लिजिए।

श्री संजय कुमार सिंह : इसमें मैंने प्रश्न पूछा है माननीय मंत्री जी से कि सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत झारा पंचायत के रोड नंबर 17, बहोरवा प्राथमिक विद्यालय से झाड़ा, सीसोना और बेलडावर तक सड़क निर्माण नहीं होने के कारण लोगों को परेशानी हो रही है।

टर्न–3/संगीता/11.02.2026

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये MMGSY की सड़क थी और इसका एकरारनामा हुआ था । वर्ष 2015 में यह काम शुरू किया गया था, इसका टेंडर हुआ था 2015–16 में और इनको 2016 में काम खत्म करना था लेकिन अनफॉरचुनेटली जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने काम नहीं किया तो उनका एकरारनामा रद्द किया गया 2018 में । हम इसी आने वाले फाइनेंसियल ईयर में इस रोड को बना देंगे ।

अध्यक्ष : श्री कलाधर प्रसाद मंडल ।

श्री संजय कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : हो गया, रोड बन जाएगा । माननीय मंत्री जी ने कहा कि रोड बनवा देंगे अब क्या दिक्कत है ?

श्री संजय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, बहुत दिनों से पेंडिंग है...

अध्यक्ष : कहा उन्होंने बहुत जल्दी बनवा देंगे ।
श्री कलाधर प्रसाद मंडल ।

तारांकित प्रश्न सं0–596, श्री कलाधर प्रसाद मंडल (क्षेत्र संख्या–60, रूपौली)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य उत्तर मिला है ?

श्री कलाधर प्रसाद मंडल : जी नहीं मिला है ।

अध्यक्ष : ठीक है पूछ लीजिए ।

श्री कलाधर प्रसाद मंडल : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिलान्तर्गत रूपौली विधान सभा के रूपौली प्रखंड में ही महत्वा चाप से लेकर छईपट्टी तक लगभग 15 किलोमीटर तक यह ड्रेनेज है जो 20 वर्षों से लगातार इसमें कोई काम नहीं हुआ है...

अध्यक्ष : ठीक है, बैठ जाइए आप । सरकार का जवाब ले लीजिए आप उसके बाद पूरक पूछिएगा ।

श्री कलाधर प्रसाद मंडल : जी ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने इसमें जवाब दिया है और यह भी बताया है कि खरीफ 2026 यानी मई–जून का महीना जो होता है जून–जुलाई का उससे पहले ये काम हमलोग करवा दे रहे हैं । एक उपवितरणी है जिसकी गाद की सफाई कर देने से माननीय सदस्य जो कह रहे हैं वह सही है । उसमें गाद जमा हो जाने के कारण जल–जमाव हो जाता है, किसानों को परेशानी होती है लेकिन हमलोग इसको अगले पांच महीनों के अंदर में ये इसकी

सफाई–उड़ाही काम करा देंगे, जल निकल जाएगा । माननीय सदस्य की बात तो हमलोगों ने मान ली है ।

अध्यक्ष : श्री कृष्णनंदन पासवान ।

तारांकित प्रश्न सं0–597, श्री कृष्णनंदन पासवान (क्षेत्र संख्या–13, हरसिद्धि)

(लिखित उत्तर)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ बैरियाडीह गांव का आंतरिक भाग में है, जिसकी लंबाई 1.35 कि0मी0 है । पथ के आंशिक भाग में PCC एवं Paver Block का कार्य पंचायत द्वारा किया गया है एवं शेष भाग कच्ची है । बैरियाडीह बसावट को ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा निर्मित शीर्ष –नई अनुरक्षण नीति–2018 योजना अन्तर्गत घोघराहा से बलिया घाट पथ से संपर्कता प्राप्त है ।

प्रश्नाधीन पथ आन्तरिक होने के कारण पंचायती राज विभाग से संबंधित है।

श्री कृष्णनंदन पासवान : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है लेकिन उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं ।

उक्त सड़क दो किलोमीटर की लंबाई है और ग्रामीण सड़क है । माननीय मंत्री जी का जवाब आया है कि पंचायती राज विभाग को यह सड़क निर्माण कराना है । दो किलोमीटर सड़क पंचायत कभी नहीं करा सकता है तो माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि जनहित में उक्त सड़क का निर्माण कब तक करायेंगे ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने अपने जवाब में कहा है कि ये घोघराहा से बलिया घाट पथ तक ऑलरेडी इसको संपर्कता प्राप्त है और 2018 के अनुरक्षण नीति में भी है और प्रश्न क्योंकि ये आर0डब्लू0डी0 हम इंटर्नल बनाते नहीं है, एक्सटर्नल बनाते हैं इसलिए आपको हम सिर्फ ध्यान दिलाना चाहते हैं कि पिछले फाइनेंसियल ईयर में आपके यहां हमलोगों ने 133 सड़क दिया है, लगभग 227 करोड़ रुपये की तो सरकार की नियत है कि हम सड़कों का निर्माण करें लेकिन सड़क भी हमारे इंटर्नल जो हमारी पहले से प्रॉपर्टी है ग्रामीण कार्य की हम उसको स्ट्रेंथेन करना चाहते हैं लेकिन फिर भी माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है हम इसको दिखवा लेते हैं, संभव होगा तो नए वित्तीय वर्ष में बना देंगे ।

अध्यक्ष : श्री केदार प्रसाद गुप्ता ।

तारांकित प्रश्न सं0–598, श्री केदार प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या–93, कुढ़नी)

(लिखित उत्तर)

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत प्रश्नगत कुढ़नी प्रखण्ड के रामचन्द्रा चौक से बाघी भाया पदमौल पथ की कुल

लम्बाई–14.125 कि0मी0 एवं चौड़ाई 3.75 मी0 है । पथ में NABARD योजना से सतह नवीकरण एवं मजबूतीकरण का कार्य वर्ष 2023 में पूर्ण कराया गया है जो अभी DLP (Defect Liability Period) में है । पथ की स्थिति अच्छी है ।

DLP की समाप्ति के उपरान्त तकनीकी संभाव्यता, संसाधन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के अनुरूप पथ के चौड़ीकरण पर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी प्रखण्ड में कच्ची–पक्की से रामचन्द्रा चौक तक सड़क चौड़ी है, वही सड़क मुख्य पथ महुआ तक जाती है और वहां से पतली हो गई है, 12 फीट 4 इंच जिससे काफी कठिनाई होता है और कुढ़नी के लोगों को खासकर के पदमौल से लेकर जितना उस रोड में झिकटी से लेकर सभी लोगों को महुआ मुख्य पथ में जाने के लिए बड़ी कठिनाई होती है । इसलिए मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि इसको जितना जल्द बना देंगे जनहित में बड़ी कृपा होगी उनकी ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर तो हालांकि स्पष्ट है लेकिन खाली एक जानकारी देना चाहूंगा कि ये जो रोड है 14.125 किलोमीटर, जिसकी चौड़ाई 3.75 मीटर है, ये नाबार्ड योजना के तहत बना है । नवीनीकरण और मजबूतीकरण इसका हुआ है 2023 में और अभी ये डी0एल0पी0 (डिफेक्ट लाइब्लिटी पीरियड) के अंतर्गत है तो जैसे ही यह डी0एल0पी0 समाप्त होता है, डिफेक्ट लाइब्लिटी पीरियड समाप्त होता है, अभी पथ स्थिति बहुत ही अच्छी है उसके बाद हमलोग तकनीकी संभाव्यता के आधार पर इसको देखेंगे और बनायेंगे ।

अध्यक्ष : श्री सतीश कुमार साह ।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि सड़क कच्ची है इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन चौड़ी कम है । पीछे कच्ची–पक्की से रामचन्द्रा तक चौड़ी सड़क आयी है और रामचन्द्रा के बाद वह पतली हो गई है 13 फीट के आसपास जो आर0डब्लू0डी0 का पहले था उसी पर पी0डब्लू0डी0 ने बनाया है तो मै। माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं ये दयालु भी हैं और सबका काम करते भी हैं तो हम आग्रह करते हैं कि बना देंगे तो जनहित में बड़ी कृपा होगी ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : माननीय सदस्य की भावना को देखते हुए हमलोग इसको संसाधन की उपलब्धता पर प्राथमिकता देंगे मैं ये इनको आज बताना चाहूंगा ।

अध्यक्ष : श्री सतीश कुमार साह ।

तारांकित प्रश्न सं0–599, श्री सतीश कुमार साह (क्षेत्र संख्या–40, लौकहा)

(लिखित उत्तर)

श्री अशोक कुमार चौधरी, मंत्री : आंशिक स्वीकारात्मक है ।

प्रश्नगत पथ ''खरगपुर मनीर मियां के घर से बघुआ महादेव मंदिर तक'', लंबाई–1.500 कि0मी0 पथ का Left out Habitation Survey के तहत सर्वे कराया गया है, जिसका सर्वे आई0डी0–107557 है ।

निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी ।

अध्यक्ष : श्री सतीश कुमार साह जी आपको उत्तर मिला है न ।

श्री सतीश कुमार साह : जी ।

अध्यक्ष : पूरक पूछना है तो पूरक पूछ लीजिए ।

माननीय मंत्री जी ।

श्री अशोक कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्नगत माननीय सदस्य ने उठाया है ये Left out Habitation Survey का है, ऑलरेडी सर्वे आई0डी0 आया हुआ है सर, जैसे ही हमारे पास पैसे की उपलब्धता होगी, हम इस सड़क को बनवाने का काम करेंगे । वैसे माननीय सदस्य को बता दें कि पिछले फाइनेंसियल ईयर में इस फाइनेंसियल ईयर में आपके यहां 112 सड़क लेने का काम माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में किया गया है जिसमें 222 करोड़ रुपया सरकार ने आपके विधान सभा में सिर्फ आपके विधान सभा में खर्च करने का काम किया है ।

अध्यक्ष : श्री आलोक कुमार सिंह ।

तारांकित प्रश्न सं0–600, श्री आलोक कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या–210, दिनारा)

(लिखित उत्तर)

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्री : प्रश्नाधीन योजना का सर्वेक्षण कराया गया है । वर्तमान में यह योजना अतिक्रमित है । योजना के अतिक्रमण के कारण जल निकासी नहीं हो रही है । अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, रोहतास का पत्रांक–1837, दिनांक–09.09.2025 एवं पत्रांक–191, दिनांक–02.02.2026 द्वारा अंचलाधिकारी, दिनारा से अनुरोध किया गया है । योजना अतिक्रमण मुक्त होने के पश्चात् विस्तृत सर्वेक्षणोपरान्त डी0पी0आर0 तैयार कर तकनीकी संभाव्यता, निधि उपलब्धता एवं विहित प्रक्रिया के तहत कार्य कराया जाएगा ।

श्री आलोक कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, दिनारा विधान सभा में बलिया पंचायत में करीब 200 बीघा जमीन पानी के जमा हो जाने से खेती नहीं होती है । उत्तर मिला

है माननीय मंत्री जी का कि यह योजना अतिक्रमित है और अंचलाधिकारी को निदेशित किया गया है, अनुरोध किया गया है । माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहेंगे कि सी0ओ0 अंचलाधिकारी को कोई टाइमबाउंड कर दें जो कि विभाग से प्रश्न मैंने किया आपसे और इसका उत्तर यह मिला है कि अंचलाधिकारी के द्वारा मैंने अनुरोध किया है तो कम से कम टाइम फिक्स कर दिया जाय । पिछले पांच वर्षों से बलिया पंचायत में 200 बीघा जमीन पानी जमा हो जाने की वजह से वहां खेती नहीं होती है तो माननीय मंत्री जी से पूछना चाहेंगे कि कब तक इसको एक टाइमबांड कर दिया जाय।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि उत्तर में अतिक्रमण की बात कही गयी है, दो बार पत्राचार हुआ है और वहां पर 40 पक्का मकान और 30 कच्चे मकान बने हुए हैं उस इलाके में । हमलोग कॉरेसपोंडेंस कर रहे हैं माननीय सदस्य के अनुरोध पर फिर से हमलोग एक बार जिला पदाधिकारी महोदय से अपने पदाधिकारी को और सेक्रेटरी महोदय कहेंगे कि उनलोगों से एक बार बात करके अतिक्रमण मुक्त कराएं जिससे अतिक्रमण मुक्त हो, हमलोग काम शुरू करा देंगे ।

अध्यक्ष : श्रीमती सावित्री देवी ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–601, श्रीमती सावित्री देवी (क्षेत्र संख्या–243, चकाई)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न दो पथों से संबंधित है :–

1. बुढिया लापड़ से कर्माटांड पथ :–

बुढिया लापड़ से कर्माटांड आरेखन में कोई योग्य बसावट नहीं रहने के कारण यह किसी Core Network में सम्मिलित नहीं है।

बुढिया लापड़ बसावट को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्मित पथ L163-L048-बूझायत बिसुनपुर से अकोनाटॉड़ पथ से सम्पर्कता प्राप्त है तथा कर्माटांड बसावट को पथ निर्माण विभाग द्वारा कर्माटांड बसावट को पथ निर्माण विभाग द्वारा निर्मित पथ बिसुनपुर बूझायत रोड से चरकापाथर से सम्पर्कता प्राप्त है । इस आरेखन में पथ निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

2. नौवाडीह पंचायत स्थित मंझलीटांड़ से बेलामोड़ तक पथ :–

इस पथ का Left Habitation Survey App के माध्यम से सर्वे "Marhi Lower Tola Chakai Warlesh RCD Road to Marhi Bela" के नाम से किया गया है, जिसका सर्वे आई डी0–96271 है ।

निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी ।

अध्यक्ष : श्रीमती सावित्री देवी ।

श्रीमती सावित्री देवी : जी पूछती हूं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जवाब दिया हुआ है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछ लीजिए, जवाब मिला है न ।

श्रीमती सावित्री देवी : जवाब नहीं मिला है अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न दो पथों से संबंधित है :–

1. बुढिया लापड़ से कर्माटांड पथ :–

बुढिया लापड़ से कर्माटांड आरेखन में कोई योग्य बसावट नहीं रहने के कारण यह किसी Core Network में सम्मिलित नहीं है।

बुढिया लापड़ बसावट को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्मित पथ L163-L048-बूझायत बिसुनपुर से अकोनाटॉड़ पथ से सम्पर्कता प्राप्त है तथा कर्माटांड बसावट को पथ निर्माण विभाग द्वारा कर्माटांड बसावट को पथ निर्माण विभाग द्वारा निर्मित पथ बिसुनपुर बूझायत रोड से चरकापाथर से सम्पर्कता प्राप्त है । इस आरेखन में पथ निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

2. नौवाडीह पंचायत स्थित मंझलीटांड़ से बेलामोड़ तक पथ :–

इस पथ का Left Habitation Survey App के माध्यम से सर्वे "Marhi Lower Tola Chakai Warlesh RCD Road to Marhi Bela" के नाम से किया गया है, जिसका सर्वे आई डी0–96271 है ।

निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर आगे इसपर कार्रवाई की जाएगी । लेकिन माननीय सदस्य को बता दें कि पिछले वित्तीय वर्ष में आपके विधान सभा में 165 सड़कों का सरकार ने निर्माण कराने का निर्णय किया है और उसमें मैं समझता हूं कि पूरे बिहार में सबसे ज्यादा पैसा आपके विधान सभा में दिया गया इसलिए कि आपका विधान सभा आदिवासी बाहुल्य है, 532 करोड़ रुपया आपके विधान सभा में खर्च किया गया है ।

अध्यक्ष : श्री मुरारी प्रसाद गौतम ।

श्रीमती सावित्री देवी : अध्यक्ष महोदय, कब तक होगा ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, बता दीजिए ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, निधी की उपलब्धता पर करा दिया जाएगा, प्रायोरिटी में है, हमलोग कर रहे हैं ।

अध्यक्ष : ठीक है । श्री मुरारी प्रसाद गौतम ।

टर्न–4 / यानपति / 11.02.2026

तारांकित प्रश्न संख्या–602, श्री मुरारी प्रसाद गौतम (क्षेत्र सं0–207, चेनारी (अ0जा0)

(लिखित उत्तर)

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि रोहतास जिलान्तर्गत नोहट्टा प्रखंड के अधीन नोहट्टा के ग्राम देवीपुर से लगभग 20 कि0मी0 की दूरी पर सोन नदी के अप–स्ट्रीम में पण्डुका (बिहार) एवं श्रीनगर (झारखंड) के बीच उच्चस्तरीय पुल का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसे पूर्ण करने की अवधि अप्रैल 2028 है । इसके निर्माण हो जाने से दोनों राज्यों के बीच आवागमन सुलभ हो जायेगा ।

श्री मुरारी प्रसाद गौतम : अध्यक्ष महोदय, जवाब प्राप्त है लेकिन मैंने पण्डुका पुल नहीं बल्कि देवीपुर में पुल निर्माण की मांग की है जिसका इसमें कोई जवाब नहीं आया है । इसमें जवाब है कि 20 कि0मी0 दूरी पर पुल निर्माण किया जा रहा है । महोदय, देवीपुर के पुल निर्माण की जो हमने बात की है, सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से भी यह क्षेत्र जो है सोन नदी तट पर अवस्थित है और सामाजिक दृष्टिकोण से रोजी–रोटी और पारिवारिक दृष्टिकोण से हमेशा लोगों का आना जाना उसी पार रहता है...

अध्यक्ष : पूरक पूछ लीजिए ।

श्री मुरारी प्रसाद गौतम : देवीपुर का निर्माण हो जाने से भौतिक संरचना ही नहीं बल्कि बिहार, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ को जोड़नेवाला सामाजिक, आर्थिक, माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि उस पुल का निर्माण कराया जाय ।

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हालांकि उत्तर बहुत स्पष्ट है, माननीय सदस्य के द्वारा जो पुल की मांग की जा रही है उसके ठीक 20 कि0मी0 बगल में ही सोन नदी के अप–स्ट्रीम में पंडुका (बिहार) एवं श्रीनगर (झारखंड) के बीच उच्चस्तरीय पुल का निर्माण किया जा रहा है और यह अप्रैल 2028 में पूरा भी हो जायेगा और ठीक 20 कि0मी0 बगल में फिर इतना बड़ा पुल बनाने का अभी कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है क्योंकि माननीय सदस्य जहां पुल निर्माण की बात कर रहे हैं यह पथ, ग्रामीण कार्य विभाग के स्वामित्व में है और जिसकी लंबाई लगभग 1200 मीटर है । सोन नदी पर पुल अगर बनाया जायेगा तो वहां 37 सौ मीटर लंबा पुल बनाना होगा और जबकि हम अभी जो बना रहे हैं वह मात्र 15 सौ मीटर दो लेन पुल, क्योंकि यह भी देखा जाता है कि कहां पर नदी की कितनी चौड़ाई और क्या रहती है । फिर भी आनेवाले समय में धीरे–धीरे कर के पुल की संख्या, रोड की संख्या बढ़ते ही जा रही है । भविष्य में संसाधन की उपलब्धता और जरूरत को देखते हुए इस पर भी हम विचार करेंगे ।

श्री मुरारी प्रसाद गौतम : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : अच्छा तो है, माननीय मंत्री जी विचार करेंगे ।

श्री मुरारी प्रसाद गौतम : मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने विचार करने का रखा लेकिन मैं चाहूंगा कि अगले वित्तीय वर्ष में इस पुल को लिया जाय महोदय, यह अत्यंत महत्वपूर्ण पुल है ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–603, मो0 सरवर आलम (क्षेत्र सं0–55, कोचाधामन)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत पथ का Left Habitation Survey App द्वारा सर्वे GTSNY Road से मौजावाड़ी पथ लंबाई 1.2 कि0मी0 के नाम से किया गया है जिसका सर्वे आई0डी0–100360 है ।

निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

मो0 सरवर आलम : अध्यक्ष महोदय, जवाब प्राप्त हुआ है, संतोषजनक है पर माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि जिसका आई0डी0 नंबर–100360 है, प्रायोरिटी लिस्ट में किस नंबर पर रखा गया है, क्या इस वित्तीय वर्ष में हो जायेगा अगर नहीं तो मैं चाहूंगा कि ये अनुपूरक बजट में आप लेकर के, चूंकि बहुत लोगों का उस रोड से आना जाना है और अब तक रोड बना नहीं है तो माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि उसे जल्द से जल्द बना दिया जाय ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ये लेफ्ट आउट हैविटेशन का प्रश्न है और आपको बताते हुए, पहले माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने और, 500 की आबादी पर हमलोग लेफ्ट हैविटेशन बनाते थे । उसके बाद इसको 250 की आबादी पर किया गया और अब हमलोग 100 की आबादी पर लेफ्ट हैविटेशन बना रहे हैं तो निश्चित रूप से हमलोगों का प्रयास है कि जहां भी अतिपिछड़ों, महादलित इस तरह की आबादी है, क्योंकि देखा जाता है कि जो मुख्य गांव है उससे हैविटेशन हट कर बनता है और नेता की इच्छा है कि हमलोग 12 मासी सड़कें उनलोगों को भी प्रदान करने का काम करें । अभी लगभग 8 हजार ऐसे लेफ्ट हैविटेशन हैं जिसको निधि की उपलब्धता पर हमलोग प्रायोरिटी देकर करने का काम करेंगे लेकिन हम आपकी जानकारी के लिए कहते हैं कि आपके विधान सभा में पिछले वित्तीय वर्ष में 102 सड़क लेने का काम किया गया है, 146 करोड़ रुपया माननीय नेता ने सिर्फ आपके विधान सभा में सड़कों, ग्रामीण सड़कों को दुरूस्त करने के लिए किया है ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–604, श्री आलोक कुमार मेहता (क्षेत्र सं0–134, उजियारपुर)</u>

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, पूछता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री दीपक प्रकाश, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न भूखंड के सीमांकन से जुड़ा है इसलिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को हस्तांतरित किया गया है ।

अध्यक्ष : अगली बार । श्री माधव आनंद ।

तारांकित प्रश्न संख्या–605, श्री माधव आनंद (क्षेत्र सं0–36, मधुबनी)

श्री माधव आनंद : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जवाब तो शायद अपलोड हुआ होगा।

श्री माधव आनंद : जवाब नहीं मिला है ।

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि मधुबनी जिलान्तर्गत प्रश्नगत पथ की कुल लम्बाई–4 कि0मी0 है एवं प्रस्तावित चौड़ाई–14 मीटर है। पथ कार्य प्रगति में है। पथ के चौड़ीकरण भाग में पड़ने वाले वृक्षों के पालन हेतु वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के उपरांत कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा।

श्री माधव आनंद : माननीय मंत्री जी से आग्रह है क्योंकि यह शहर का मामला है और काफी दिनों से यह लंबित मामला है, माननीय मंत्री जी तो थोड़ा सा इसका इंवायरनमेंट क्लीयरेंस या जो भी वन विभाग से है थोड़ा सा एक्सपेडाइट करवाने की कोशिश करें, यही आपसे आग्रह करना चाहता हूं ।

तारांकित प्रश्न संख्या–606, श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र सं0–190, पालीगंज)

(लिखित उत्तर)

श्री दीपक प्रकाश, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक–420 दिनांक 03.02.2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि CWJC No. 8288/2024 द्वारा चन्देश्वर प्रसाद बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 18.06.2025 को पारित आदेश के आलोक में दिनांक 07.08.2025 को बैठक आयोजित की गयी है। उक्त बैठक में उपस्थित पक्षों को सुनने एवं प्रस्तुत तथ्यों के अवलोकनोपरान्त पटना जिले में दलपति से पंचायत सेवक में सृजित पदों की अनुपलब्धता रहने के फलस्वरूप वादियों के आवेदन को सर्वसम्मति से अस्वीकृत किया गया है।

श्री संदीप सौरभ : अध्यक्ष महोदय, सरकार का जवाब आया है लेकिन सरकार के जवाब से पूरी तरीके से असंतुष्ट हम हैं ।

अध्यक्ष : पूरक पूछ लीजिए ।

श्री संदीप सौरभ : महोदय, वही पूछ रहे हैं । 18 दलपतियों को पंचायत सचिवों के रिक्त पदों पर बहाल करने का यह मामला हमने पूछा था और हाईकोर्ट के माननीय उच्च न्यायालय के दो–दो आदेश इस संदर्भ में हैं । हमलोग जानते हैं कि 1990 के बाद से दलपतियों को पंचायत सचिव के पद पर बहाल करना शुरू किया गया लेकिन पटना जिला के 18 दलपतियों को अभी तक वह मौका नहीं मिला था । जब लोग हाईकोर्ट में गए तो हाईकोर्ट ने बहुत क्लीयर कट ऑर्डर दिया कि 111 पद पटना जिला के अंदर खाली हैं पंचायत सचिव का, उन पदों पर 90 दिनों के अंदर सरकार बहाल करे । सरकार की तरफ से जो जवाब आया है उसमें लिखा गया है कि कोर्ट के आदेश के आलोक में डी0एम0 के नेतृत्व में एक बैठक हुई और बैठक में सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया । तो क्या सरकार यह बताना चाहेगी कि 2–2 कोर्ट के आदेश का, कोर्ट का आदेश भी यहां हमलोग कोट कर सकते हैं महोदय, कोर्ट के निर्णय पर विचार करने का कि लागू करना है या नहीं करना है क्या यह किसी कमेटी को या किसी जिलाधिकारी को यह राइट है ? यह हम पहला मंत्री जी पूछना चाहते हैं महोदय ।

श्री दीपक प्रकाश, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस सवाल का जवाब समझने के लिए थोड़ा इतिहास में जाने की जरूरत होगी । चूंकि जो दलपति 1950–1960 के दशक से समाज में विभाग के माध्यम से अपनी सेवा देते आए हैं ग्रामीण स्तर पर, चोरी–डकैती के रोकथाम की बात हो या आपातकाल में सेवा देने की बात हो, दलपति उस समय से सेवा देते आए हैं । 1991 में जब जनगणना हुई, जनगणना के आधार पर जब परिसीमन हुआ 1993–94 में, उस परिसीमन के आधार पर अविभाजित बिहार में पंचायतों की संख्या 843 से बढ़ गई थी । बिहार के विभाजन के बाद 531 पद बढ़े उन बढ़े हुए पंचायतों में दलपतियों के माध्यम से या उस समय पद होता था पंचायत सेवक का, पंचायत सेवक के जो पद बढ़े 531 उन पदों पर या तो दलपति उसपर भर्ती हों या सीधे तौर पर उन पदों पर भर्ती की जाय । तो उस समय जब भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी तो उस समय 531 में से 351 पदों पर दलपतियों की बहाली हुई थी। 131 पद खाली रह गए थे । उसके बाद जब 2011 में बिहार ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति की नियमावली आ गई, इस नियमावली के आधार पर वर्तमान में भी जिस प्रकार से बहाली हो रही है, उसमें 12वीं पास, इंटर पास जो भी अभ्यर्थी होते हैं, उनकी बहाली होती है, एस0एस0सी0 के माध्यम से तो 2011 में जब नियुक्ति की नियमावली आ गई है तो वैसे केस में जो दलपति पहले से काफी समय से हैं उनकी बहाली करने का बहुत औचित्य नहीं रह जाता है, न्यायपूर्ण भी नहीं लगता जब 2011 की नियमावली के हिसाब से 12वीं पास अभ्यर्थी की

बहाली हो रही है । साथ ही साथ इसमें चूंकि उस समय बहाली, चूंकि आपका प्रश्न पटना जिला से संबंधित है जब 1993–94 में परिसीमन हुआ था तो उस समय पटना में जो पंचायत की संख्या थी वह 13 से घट गई थी । उस समय का अगर आप आधार बनायेंगे तो दलपतियों की भर्ती की बहाली के जो पद थे वह 13 से कम हो गए थे तो इस बात का कोई औचित्य बनता नहीं है कि उनकी बहाली फर्दर की जाय।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : खड़ा होकर बोलिए ।

श्री संदीप सौरभ : पहला पूरक सवाल तो हम पूछ चुके हैं उसी का जवाब तो कह रहे हैं कि बताइये । न्यायालय के निर्णय को डी0एम0 पलट सकते हैं या नहीं पलट सकते हैं यही मेरा सवाल था । उसके बाद हम दूसरा सवाल पूछेंगे महोदय।

श्री दीपक प्रकाश, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, कोर्ट के आदेश पर बहुत टीका–टिप्पणी करना मुनासिब नहीं होगा लेकिन वस्तुस्थिति यही है कि चूंकि कोर्ट ने आज के समय में देखा कि 111 पद रिक्त हैं पंचायत सचिव के लेकिन जब यह बहाली की प्रक्रिया चल रही थी, जब दलपतियों को पंचायत सेवक के पद पर बहाल किया ज रहा था तो उस समय पदों की संख्या घटी थी । इसलिए उस समय पदों की संख्या घटी थी लेकिन आज के समय में खासकर जब 2011 की नियमावली आ गई है तो दोनों को साथ में करना न्यायोचित नहीं होगा महोदय।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री मंजीत कुमार सिंह ।

(व्यवधान)

पूछ लीजिए ।

श्री संदीप सौरभ : महोदय, सवाल मेरा था कि 5448 दलपतियों को 2006 और 2008 में 5448 दलपतियों को पंचायत सेवक या पंचायत सचिव के पद पर नियुक्त किया गया । पटना जिला के जो 18 लोग कोर्ट में गए तो कोर्ट का ऑर्डर का वह हिस्सा हम आपको, मंत्री जी को सुनाना चाहते हैं ।

अध्यक्ष : पढ़ चुके हैं आप ।

टर्न–5 / मुकुल / 11.02.2026

श्री संदीप सौरभ : Considering the submissions made by the counsels appearing for both the parties, this petition is disposed of, the concerned respondents are directed to consider and decide the claim of the petitioners for their posting as Panchayat

Secretary, taking into consideration the fact as admitted by the respondent-State there is 111 post of Panchayat Secretary still lying vacant in the district of Patna. The above decision should be taken by the respondents as early as possible probably within 90 days of the receipt of copy of Order of this Court.

इसको 90 दिन के अंदर लागू करना है, कोर्ट का यह क्लीयर आदेश है ।

अध्यक्ष : संदीप जी, सरकार खड़ी हो गयी है, आप बैठ जाइये ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : मैं बता रहा हूं कि इनके जवाब में कोई फाइंडिंग नहीं है, उन्होंने कहा है विचार करेंगे तो जिलाधिकारी ने विचार किया और निर्देश दिया, इसलिए माननीय सदस्य को यह जानकारी होनी चाहिए कि कोर्ट का जो निर्णय था उसका स्वागत है, जिलाधिकारी ने उसपर विचार किया, विचारोपरांत उसपर निर्णय लिया ।

अध्यक्ष : श्री मंजीत कुमार सिंह ।

श्री संदीप सौरभ : अध्यक्ष महोदय.....

अध्यक्ष : आप दे दीजिए ।

श्री संदीप सौरभ : अध्यक्ष महोदय, हम पूरी कॉपी दे देते हैं, कोर्ट के दो–दो आदेश हैं...

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय....

श्री संदीप सौरभ : और दोनों आदेश में एक सदानंद वर्सेज सरकार है...

अध्यक्ष : सौरभ जी, सरकार को सुन लीजिए....

श्री संदीप सौरभ : दोनों आदेश में यह कहा गया है....

अध्यक्ष : सौरभ जी, आप ही की बात कह रहे हैं, सुन लीजिए, बैठ जाइये ।

श्री संदीप सौरभ : डी0एम0 विचार करेंगे यह नहीं है, क्लीयर–कट आदेश भी है, वह कॉपी हम आपको दे दे रहे हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ठीक है । आप दे दीजिए ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : माननीय सदस्य, आदेश क्या है, वह भी पढ़ दीजिए । क्योंकि अभी जो आपने आदेश पढ़ा, आपने खुद पढ़ा कि The authority is directed to consider and decide in the matter within 90 days and the authority has considered and decided about the matter, सीधी बात है, तो अथॉरिटी ने कोर्ट के ऑर्डर का कम्प्लायंस किया है, इसमें नॉन–कम्प्लायंस की कहां बात है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री कुछ बोलना चाह रहे हैं ।

श्री दीपक प्रकाश, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने सरकार का स्टेंड क्लीयर किया है लेकिन सभी बातों के बाद भी हम बताना चाहेंगे कि दलपतियों, चूंकि उन्होंने काफी लंबे समय तक समाज की सेवा की है तो

सरकार संवेदनशील है और चूंकि पंचायत सचिव के पद पर तो भर्ती नहीं की जा सकती है लेकिन आने वाले समय में विभाग के तहत अगर कोई अन्य योजना है, जिसमें उनको स्वयं सेवक के रूप में अगर उनका समायोजन किया जा सकता है तो उसको लेकर के सरकार विचार करेगी ।

अध्यक्ष : श्री मंजीत कुमार सिंह ।

श्री संदीप सौरभ : अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप बैठिए, आप बैठ जाइये प्लीज, आपकी बात हो गयी, सब क्लीयर हो गया जवाब ।

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न संख्या–607 (श्री मंजीत कुमार सिंह, क्षेत्र सं0–100, बरौली)

श्री मंजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, जवाब अप्राप्त है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग । मंजीत बाबू का सवाल है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इनका दो खंड का जो प्रश्न है, दोनों में हमने इनकी बात मान ली है । पहले खंड का भी काम करा दिया जायेगा और दूसरे खंड में जो इन्होंने कहा है कि काम में देरी हो रही है, बिल्कुल सही कहा है इसके लिए हमलोगों ने संवेदक पर कार्रवाई की है, उसका एकरारनामा विखंडित कर दिया है और जो बचा हुआ काम है, उसको रिस्क एण्ड कॉस्ट बेसिस पर मतलब बचे हुए काम का अलग से टेंडर करके और जो पैसा सरकार को लगेगा वह पहले वाली एजेंसी से ही वसूल किये, हमलोग अगले वित्तीय वर्ष में इनका दोनों काम करा देंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या–608 (श्री रोहित पाण्डेय, क्षेत्र सं0–156, भागलपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लम्बाई 4.005 कि0मी0 है, जिसका निर्माण MMGSY अन्तर्गत ''बबरगंज से कोइली खुटहा'' पथ के नाम से दिनांक–15.01.2025 को पूर्ण किया गया है । पथ के Carriageway की चौड़ाई 3.75 मीटर है तथा पथ पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि के द्वितीय वर्ष में है ।

सामान्यतः पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि की समाप्ति के पश्चात् विभाग द्वारा पथ में ट्रेफिक सर्वे कराकर आवश्यकतानुसार पथ के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन पर निर्णय लिया जाता है ।

सम्प्रति पथ के चौड़ीकरण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री रोहित पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, मैंने जिस मिर्जानहाट–ईशाकचक मुख्य सड़क मार्ग के चौड़ीकरण की बात की है तो माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि वह विचाराधीन है, लेकिन वह जो मार्ग है वह जो भागलपुर विधान सभा के दक्षिणी

क्षेत्र का जो एरिया है उसके लिए वह लाइफ–लाइन है तो इसको अगर इसी वित्तीय वर्ष में अतिशीघ्र कराने की कृपा की जाए तो लोगों को काफी सुविधा होगी ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : माननीय अध्यक्ष जी, इसकी समीक्षा करके और हमने कहा है कि सरकार की नीयत है कि जहां पर ट्रैफिक सर्वे ज्यादा है, वह हमारा सात निश्चय–3 का पार्ट तो वहां पर हमलोग चौड़ीकरण करेंगे, इसका ट्रैफिक सर्वे कराकर के उसको दिखवा लेते हैं, जरूरी है तो करा देंगे अगले फाइनेंसियल ईयर में ।

तारांकित प्रश्न संख्या–609 (श्री दामोदर रावत, क्षेत्र सं0–242, झाझा)

(लिखित उत्तर)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ का निर्माण कार्य RCPLWEA योजना अंतर्गत पथ निर्माण विभाग द्वारा कराया गया है । पथ DLP के अधीन है, जिसकी समाप्ति की तिथि 28.05.2027 है ।

DLP अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रश्नाधीन पथ में उक्त स्थल पर पुल निर्माण की Technical Feasibility की जांच कर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी ।

श्री दामोदर रावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है, यह सड़क जिस सड़क में पुल की मांग मैंने की है RCPLWEA के तहत निर्माण किया गया है 2022 में और इन्होंने कहा है कि अभी डिफेक्ट लाइब्लिटी पीरियड में यह सड़क है, लेकिन मेरा कहना है कि जो RCPLWEA के तहत जो सड़क का निर्माण हुआ उसके डी0पी0आर0 में इस नदी पर पुल का एस्टीमेट नहीं था, इसलिए उसपर नहीं बना है और इन्होंने कहा है कि डिफेक्ट लाइब्लिटीज पीरियड जब समाप्त हो जायेगा तब हम इस पर विचार करेंगे । हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि यह सड़क उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में सरल पहुंच के लिए निर्माण किया गया था । यों तो जमुई जिला उससे मुक्त हो गया लेकिन यह सड़क आदिवासियों, जंगलों, पहाड़ों के बीच से गुजर रहा है तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन लोगों को सरल सुविधा देने के लिए उक्त नदी पर अगले वित्तीय वर्ष में पुल का निर्माण कराना चाहते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिस सड़क के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ये रोड Connectivity Project for Left Wing Extremism Affected Areas के अंदर यह सड़क है और हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि

यह सड़क डिफेक्ट लाइब्लिटी पीरियड के अंदर है, फिर भी हमने कहा है कि इसका हम एन0ओ0सी0 प्राप्त करके टेक्नो फिजिब्लिटी रिपोर्ट मंगा लेते हैं कि जो माननीय सदस्य कह रहे हैं और उसको अगले वित्तीय वर्ष में प्रयास करेंगे कि हो जाए, सरकार की नीयत है, हम तो बना ही रहे हैं सड़क, पुल ।

तारांकित प्रश्न संख्या–610 (श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह, क्षेत्र सं0–212, डिहरी)

(लिखित उत्तर)

डॉ0 दिलीज कुमार जायसवाल, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि रोहतास जिलान्तर्गत प्रश्नगत पथ, सोन नदी के किनारे नासरीगंज से एन0एच0–19 होते हुए इन्द्रपुरी तक मरीन ड्राइव की तर्ज पर पथ के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारा सवाल था माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग से । हमें जवाब मिला है कि यह प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, लेकिन महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि मैंने पूर्व में भी एक रोड का दिया था....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सप्लीमेंट्री पूछ लीजिए ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह : अध्यक्ष महोदय, नासरीगंज और एन0एच0 जो कोलकाता, दिल्ली हाईवे को जोड़ते हुए इन्द्रपुरी जो अभी हमारा भोजपुरी हाट बन रहा है, अगर वहां से डेहरी और रोहतास हाईवे में मिलाया जाए या सोन ड्राइव एक बनाया जाए मरीन ड्राइव के तौर पर तो आगे हमारे यहां पर्यटन के बहुत साधन हैं रोहतास में, वह रोड आगे जाकर दक्षिणी बिहार में आने–जाने के लिए एक महत्वपूर्ण......

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पथ निर्माण मंत्री जी से आग्रह कर लीजिए ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इसपर विचार किया जाए, इससे सरकार को राजस्व की भी बहुत प्राप्ति होगी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप प्लीज बैठ जाइये, माननीय मंत्री जी खड़े हो गये हैं ।

डॉ0 दिलीज कुमार जायसवाल, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जब से गंगा पथ पर यह मरीन ड्राइव के तर्ज पर रोड बना है, पहले तो बम्बई जाकर देखते थे हमलोग समुद्र के बगल में, जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ये पथ बना दिये हैं तो सभी लोगों

की इच्छा पूरे बिहार में हो रहा है, महानंदा के बगल में भी तौसीफ भाई बता रहे थे कि एक मरीन ड्राइव के तर्ज पर बनना चाहिए तो बहुत अच्छी बात है, यह आने वाले समय में ये बिहार के विकास को दिखा रहा है कि बिहार का विकास हो रहा है कि अब बम्बई जाकर के हमको मरीन ड्राइव नहीं देखना है तो भविष्य में हमलोग देखेंगे कि अगर ऐसा लगा कि ट्रैफिक का लोड है आवश्यक है, पर्यटन के लिए जरूरी है तो भविष्य में हमलोग निश्चित इसपर विचार करेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या–611 (श्री त्रिविक्रम नारायण सिंह, क्षेत्र सं0–223, औरंगाबाद)

(लिखित उत्तर)

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत है ।

पथ अधिग्रहण की नयी नीति पत्रांक–1548 (एस), दिनांक–25.02.2020 के आलोक में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा अपने स्वामित्व वाले पथों का उन्नयन स्वयं कराया जाना है ।

एन0एच0–139 के चार लेन निर्माण हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी0पी0आर0) तैयार किया जा रहा है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको उत्तर मिल गया है न ?

श्री त्रिविक्रम नारायण सिंह : महोदय, उत्तर मिल गया है और मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा । एक टेक्निकल एरर के कारण मेरे दो महत्वपूर्ण सवाल क्लाबिंग हो गये थे तो माननीय मंत्री जी ने दोनों सवालों का जवाब दिया, इसके लिए मैं माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग को धन्यवाद देना चाहूंगा । महोदय, एक छोटा सा आग्रह था अनुपूरक के रूप में कि जिस सड़क कि मैं बात कर रहा था वह खरडीहा मोड़ से रिसियप 12.50 कि0मी0 का रास्ता है कोइरी बिगहा से सिमरा होते हुए, यह एक महत्वपूर्ण शहर है जो अपने देव क्षेत्र को एन0एच0–139 और जहां प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज अभी प्रगति यात्रा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी उसको यह जोड़ता है । महोदय, यह अभी ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन है, उसके लिए मैंने आग्रह किया था कि अगर हस्तांतरण पथ निर्माण विभाग में हो जाए और उसका चौड़ीकरण हो जाए तो महोदय, कृपा रहेगी । दूसरा महोदय....

अध्यक्ष : श्री मनोज यादव ।

श्री ललन राम : अध्यक्ष महोदय.......

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठ जाइये । पहले इनका पूरा होने दीजिए, आपको मौका देंगे, आप अभी बैठ जाइये ।

श्री त्रिविक्रम नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि माननीय विधायक जिस बात को पूछ रहे होंगे, जो दूसरा सवाल जिसका माननीय मंत्री जी ने जवाब भी दे दिया उसके ऊपर, हाईवे 139 जो पटना से औरंगाबाद को जोड़ती है और साथ में कल जब बजट की प्रस्तुति हो रही थी तो माननीय विधायक अरवल भी इसको लेकर बड़ा उत्साहित हैं कि अरवल का नाम और 139 का जिक्र कब आयेगा तो माननीय मंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने 139 के ऊपर डी0पी0आर0 जो बन रहा है उस पर कार्य प्रगति पर है, मैं आग्रह करूंगा कि इसपर थोड़ा त्वरित कार्रवाई करते हुए एक लाइफ–लाइन है महोदय, अपने पटना से औरंगाबाद के बीच का ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना प्रश्न पूछिए ।

श्री ललन राम : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी सदन को बता दें ताकि वह बहुत अहम रोड है और पटना से लेकर सभी लोग, माननीय भी जाते हैं उस रोड से तो माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि थोड़ा सदन में बता दिया जाए, स्पष्ट कर दिया जाए ।

टर्न–6 / सुरज / 11.02.2026

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : महोदय, प्रश्न दो भाग में बंटा हुआ है । एक भाग है जो 12.50 किलोमीटर को कोईरी बिगहा–सिमरा पथ तो मैंने स्पष्ट लिखा है इसमें कि यह ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा अपने स्वामित्व वाले पथों का उन्नयन कराया जाना है और ग्रामीण कार्य विभाग अब पथ की चौड़ाई भी अब 2–लेन कर रही है तो इसलिये ग्रामीण कार्य विभाग इसको देखेगी । लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है कि एन0एच0–139 पटना–औरंगाबाद–हरिहरगंज और इस रोड की चौड़ाई बढ़नी चाहिये क्योंकि एक्सीडेंट भी होता है, हमलोगों ने रिपोर्ट भी मंगवाया है । महोदय, मैंने इसकी गंभीरता को देखते हुये माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री सम्राट चौधरी जी से भी इस विषय में राय–विमर्श लिया और उसके बाद 8 जनवरी, 2026 को हमने आदरणीय श्री गडकरी जी को एक पत्र, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को लिखा है और वहां से निर्देश अभी कुछ दिन पहले ही आया कि आप इसका डी0पी0आर0 तैयार करके भेजिये । इस पर सरकार बहुत गंभीरता से विचार कर रही है और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार ने भी इसको गंभीरता से लिया है और इसकी चौड़ाई बढ़ाने के लिये डी0पी0आर0 मांगा गया है । हमलोग तुरंत उस डी0पी0आर0 को भारत सरकार को सब्मिट करने जा रहे हैं ।

श्री त्रिविक्रम नारायण सिंह : महोदय, इस पर जो ट्रैफिक लोड है वह बिहार के किसी भी रोड से सर्वाधिक है और इसमें दुर्घटना से जो मौत हो रही है अगर 30 किलोमीटर के...

अध्यक्ष : इसलिये डी0पी0आर0 बनाया जा रहा है न ।

श्री त्रिविक्रम नारायण सिंह : तो इसको 4–लेन भी किया जा सकता है ।

अध्यक्ष : इसलिये मंत्री जी ने कहा है कि भारत सरकार को डी0पी0आर0 भेजा जा रहा है ।

तारांकित प्रश्न सं0–612, श्री मनोज यादव (क्षेत्र सं0–163, बेलहर)
(लिखित उत्तर)

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, (1) (2) एवं (3) वस्तुस्थिति यह है कि बांका जिलान्तर्गत बांका से पोखरिया पथ की कुल लंबाई 7.70 कि0मी0 है, जिसकी चौड़ीकरण 5.50 मी0 से 7.00 मी0 से RCPLWEA (Road Connectivity Project for Left Wing Extremism Affected Areas) योजना के तहत वर्ष 2020 में किया गया है ।

समुखिया से प्रारंभ होकर पोखरिया से साहेबगंज पथ की कुल लंबाई 32.40 कि0मी0 है, जिसकी चौड़ीकरण 5.50 मी0 से 7.00 में RCPLWEA योजना के तहत वर्ष 2023 में किया गया है ।

Further चौड़ीकरण के बिन्दु पर तकनीकी अध्ययन कराकर उपलब्ध संसाधन एवं प्राथमिकता के अनुरूप निर्णय लिया जायेगा ।

श्री मनोज यादव : अध्यक्ष महोदय, उत्तर मिला है । ये सड़कें RCPLWEA योजना के तहत 2023 में बनाया गया था । चूंकि बांका जिला से बेलहर की दूरी लगभग 55, 60 किलोमीटर है और बांका जिला को जोड़ने वाली यह मुख्य सड़के हैं...

अध्यक्ष : आप पूरक पूछ लीजिये ।

श्री मनोज यादव : और चूंकि इस सड़क में इतनी ट्रैफिक है कि दो साल के अंदर पूरी सड़कें टूट गयी है । मैंने कई बार माननीय मंत्री जी को इस सड़क के बारे में लिखकर भी दिया था और कल ही माननीय मंत्री जी ने सदन को बताया कि जितनी भी सड़कें हैं उसका हमलोग चौड़ीकरण कर रहे हैं । मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि प्राथमिकता के आधार पर इस सड़क का चौड़ीकरण किया जाए ।

तारांकित प्रश्न सं0—613, श्री अरूण कुमार (क्षेत्र सं0—180, बख्तियारपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय (1) स्वीकारात्मक है ।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक है । दुर्घटना के संबंध में कोई सूचना नहीं है ।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ शीर्ष RRSMP अंतर्गत खुशरूपुर रेलवे स्टेशन से गणीचक राजकीय महादेव उच विद्यालय खुशरूपुर होते हुए ओल्ड बाईपास तक सड़क एवं नाली निर्माण के नाम से स्वीकृत है, जिसके नियमानुसार निविदा निष्पादन के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी ।

श्री अरूण कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जवाब मिला है, सकारात्मक है लेकिन मैं मंत्री जी से प्रश्न नहीं अनुरोध करना चाहता हूं कि यह रोड स्टेशन से उस तरफ बाजार जाने के लिये पूरे क्षेत्र की जनता का आवाजाही है उसमें अभी भी दो—दो फीट, एक—एक फीट हर जगह गढ्ढा है और पानी हर समय जमा हुआ रहता है । ई—रिक्शा आने—जाने में बराबर कठिनाई होती है..

अध्यक्ष : आप पूरक पूछ लीजिये ।

श्री अरूण कुमार : इसलिये इसको प्राथमिकता में लेते हुये जल्द से जल्द चौड़ीकरण और दोनों साइड नाला अतिआवश्यक है ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : महोदय, निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में है ।

अध्यक्ष : अच्छी बात है जब टेंडर ही हो गया है तो ।

श्री अरूण कुमार : धन्यवाद सर ।

तारांकित प्रश्न सं0—614, श्री अविनाश मंगलम (क्षेत्र सं0—47, रानीगंज (अ0जा0))

(लिखित उत्तर)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ का सर्वे छूटे हुए बसावट अंतर्गत शरणार्थी टोला अरूण यादव के खेत से शांति नगर टोला संजय मेहता के घर तक लंबाई—2.00 कि0मी0 के नाम से सर्वे किया गया है, जिसका सर्वे आई0डी0—76854 है ।

निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

श्री अविनाश मंगलम : महोदय, जिस सड़क का हम प्रश्न किये थे, उसका जो जवाब दिया गया है वह गलत है, पूरा विपरीत है...

अध्यक्ष : आप पूरक पूछ लीजिये ।

श्री अविनाश मंगलम : महोदय, जिस प्राथमिक विद्यालय, करबलाहाट मुसहरी टोला के आगे माईनर नहर है, वही सड़क का हम प्रश्न पूछे थे लेकिन जवाब में माननीय मंत्री जी के विभाग के द्वारा जो जवाब दिया गया है । प्रश्नाधीन पथ बसावट अंतर्गत शरणार्थी टोला अरूण यादव के खेत से शांति नगर टोला संजय मेहता के घर तक 2 किलोमीटर की लंबाई है । यह सड़क उस स्थल से लगभग 2 किलोमीटर पर है लेकिन उस सड़क का जवाब नहीं दिया गया, जिस सड़क के बारे में हम पूछे हैं ।

अध्यक्ष : जवाब दे दीजिये माननीय मंत्री जी ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : महोदय, इसको पेंडिंग किया जाए ।

अध्यक्ष : ठीक है, पेंडिंग रहा ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–615, श्री रूहेल रंजन (क्षेत्र सं0–174, इस्लामपुर)</u>

(लिखित उत्तर)

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि नालंदा जिलान्तर्गत प्रश्नगत पथ, राजगीर से इस्लामपुर तक का पथ एस0एच0–71 एवं इस्लामपुर से दनियावां तक का पथ एस0एच0–4 है, जो पथ प्रमंडल हिलसा के क्षेत्राधीन है । दनियावां से फतुहा तक का पथ एस0एच0–30ए है, जो राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, बिहार शरीफ के क्षेत्राधीन है । इस्लामपुर से राजगीर तक एस0एच0–71 पथ की लंबाई 40.26 कि0मी0 तथा चौड़ाई 7.00 मी0 है । दनियावां से हुलासगंज तक एस0एच04 पथ की लंबाई 43.93 कि0मी0 तथा चौड़ाई 7.00 मी0 है । वर्तमान में उक्त दोनों पथ ओ0पी0आर0एम0सी0 अंतर्गत संधारित है एवं पथ की स्थिति संतोषप्रद है ।

तकनीकी संभाव्यता, संसाधन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के अनुरूप फोर–लेन सड़क निर्माण पर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

श्री रूहेल रंजन : अध्यक्ष महोदय, जवाब मिला है पर मैं माननीय मंत्री जी से एक अनुरोध करना चाहूंगा कि यह जो सड़क है इससे 7 विधान सभा तीन जिले में अफेक्ट होते हैं...

अध्यक्ष : पूरक पूछ लीजिये ।

श्री रूहेल रंजन : नालंदा में इस्लामपुर विधान सभा, हिलसा विधान सभा, जहानाबाद में घोषी विधान सभा, गयाजी जिला में बेला विधान सभा, अतरी विधान सभा और बजीरगंज विधान सभा । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह स्टेट हाइवे–4 जो है खासकर के इसमें ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है...

अध्यक्ष : मंत्री जी से आग्रह कर लीजिये ।

श्री रूहेल रंजन : तो मेरा माननीय मंत्री जी अनुरोध है कि इसका 4–लेन जल्द से जल्द किया जाए ।

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : महोदय, जवाब हालांकि बहुत स्पष्ट है लेकिन माननीय सदस्य की भावना भी है कि रोड और चौड़ा हो जाए । इस्लामपुर से राजगीर तक एस0एच0–71 पथ की लंबाई 40.26 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई 7 मीटर है और दनियावां से हुलासगंज तक एस0एच0–4 की लंबाई 44 किलोमीटर है और चौड़ाई 7 मीटर है । 7 मीटर चौड़ाई हालांकि बहुत ज्यादा होता है लेकिन माननीय सदस्य की इच्छा है कि 4–लेन हो जाए तो निश्चित रूप से संसाधन की उपलब्धता को देखते हुये और थोड़ा हम जांच भी करवा लेते हैं फिजिब्लिटी, फिर इस पर हम विचार करेंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–616, श्री भाई बीरेन्द्र (क्षेत्र सं0–187, मनेर)</u>

श्री भाई बीरेन्द्र : महोदय, उत्तर अप्राप्त है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, उत्तर अप्राप्त है लेकिन काम आपका पूर्ण है । महोदय, इसमें अधिकांश जगहों की जो इन्होंने चर्चा की है किन्ता चौहत्तर पश्चिमी पंचायत में हल्दीछपरा और मंगरपाल पंचायत में रतन टोला और दरवेशपुर के सुरक्षार्थ । यह कटाव निरोधक कार्य की स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है और बाढ़ अवधि से यह कटाव निरोधक करा दिया जायेगा ।

अध्यक्ष : साइट जाकर देख लीजिये ।

श्री भाई बीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का पॉजिटिव जरूर है लेकिन हम वहां के एम0एल0ए0 हैं । हम लगातार उस क्षेत्र में जाते रहे हैं अभी कटाव तेजी से लगा हुआ है और अभी कटावरोधी कार्य करना आवश्यक है । लोगों की भूमि उस नदी में जा रहा है और लोग भूखमरी के कगार पर हो जायेंगे । इसलिये मैं सरकार से आपके माध्यम से...

अध्यक्ष : मंत्री जी बताये हैं काम लगा हुआ है ।

श्री भाई बीरेन्द्र : नहीं महोदय, काम नहीं लगा हुआ है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि यह किन्ता चौहत्तर पश्चिमी में तत्काल काम लगाया जाए । वहां कटाव काफी तेजी से लगा हुआ है इसलिये मैं आग्रह करूंगा ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, हम वरीय अधिकारी को भेजते हैं जो आवश्यक होगा वह किया जायेगा ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–617, श्रीमती बेबी कुमारी (क्षेत्र सं0–91, बोचहां (अ0जा0))</u>

श्रीमती बेबी कुमारी : महोदय पूछती हूं ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, इसमें तो जवाब है कि सड़क की स्थिति अभी ठीक है लेकिन इन्होंने जो चौड़ीकरण की बात की है । मुख्य रूप से हमलोग तटबंध पर सड़क बनाते हैं, जल संसाधन विभाग । वह सर्विस रोड टाइप का

हमलोगों का अपना कोई आपातकालीन स्थिति में समाग्री ढुलाई के लिये होता है । अगर उसको बढिया से बनवाना है तो पथ निर्माण विभाग से ही यह कराया जा सकता है । इसलिये माननीय सदस्या वहां से अनुरोध करेंगी हमलोग तत्काल अनापत्ति प्रमाण पत्र दे देंगे ।

तारांकित प्रश्न सं0–618, श्री अखतरूल ईमान (क्षेत्र सं0–56, अमौर)

(लिखित उत्तर)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ के एक छोर पर अवस्थित बसावट पलसा को शीर्ष एम0 आर0 अंतर्गत निर्मित L029 approach road to Rangraili tola पथ से संपर्कता प्राप्त है तथा दूसरे छोर पर अवस्थित हरिपुर को MMGSY अंतर्गत निर्मित Haripur to Parwan toli road पथ से संपर्कता प्राप्त है ।

इस पथ का सर्वे छुटे हुए बसावट अंतर्गत लेफ्ट हैबिटेशन एप के माध्यम से हरिपुर से परमान टोली से रहिकाटोली हरिपुर पथ के नाम से किया गया है, जिसका सर्वे आई0डी0 सं0–96549 है ।

निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

श्री अखतरूल ईमान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे उत्तर प्राप्त हुआ है । मेरा सवाल था कि खेमिया रहिकाटोला जाने वाली सड़क को मुख्य सड़क से जोड़ा जाए । महोदय, यह सड़क का दूसरे तरफ से जुड़ाव है लेकिन गांव की जो मुख्य सड़क है उसको जोड़ना है ब्लॉक से, ब्लॉक हेडक्वार्टर से, हॉस्पीटल से, थाने से । महोदय, जिस सड़क के लिये हमने प्रश्न किया है यह सड़क अगर बन जाती है तो अमौर, हाई स्कूल की, हॉस्पीटल की दूरी 3 किलोमीटर हो जायेगी और जो सड़क जुड़ी हुई है वह 11 किलोमीटर बनानी पड़ रही है । माननीय मंत्री जी काफी काम करा रहे हैं, मैं आग्रह करूंगा कि यह सड़क कब तक आप बना देंगे ?

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : महोदय, अखतरूल ईमान साहब तो ए0आई0एम0आई0एम0 के तो लीडर भी हैं और सीमांचल के बड़े नेता हैं लेकिन कटौती प्रस्ताव पर भी दस्तखत कर देते हैं तो कटौती भी करियेगा, रोड भी मांगियेगा । इनको हम कहते हैं, लेकिन ये एग्री किये हैं कि काम हो रहा है । हमने इनको कहा है कि इस पथ का सर्वे छूटे हुये बसावट अंतर्गत लेफ्ट हैबिटेशन एप के माध्यम से हरिपुर से परमान टोली से रहिकाटोली हरिपुर पथ के नाम से किया गया है । ऑलरेडी जो आपकी इच्छा है उसके लिये हमलोग ऑलरेडी कर चुके हैं और आई0डी0 संख्या–96549 है ।

(क्रमशः)

टर्न–7 / धिरेन्द्र / 11.02.2026

....क्रमशः....

श्री अशोक कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, और अभी जैसे निधि की उपलब्धता होगी, उसको हमलोग करा देंगे लेकिन आपकी जानकारी के लिए क्योंकि आप कटौती प्रस्ताव पर ज्यादा दस्तखत करते हैं । आपके यहां हमलोगों ने 127 सड़क दिया है और टोटल 263 करोड़ रुपये सरकार ने आपके यहां, आपके विधान सभा में दिया है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री गौतम कृष्ण ।

(व्यवधान)

श्री अशोक कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, क्योंकि सरकार, माननीय सदन नेता का विचार है कि पूरा बिहार मेरा परिवार है इसलिए आपको भी परिवार समझते हैं लेकिन कटौती प्रस्ताव पर दस्तखत करना भी है ।

श्री अखतरूल ईमान : सर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, जल्दी बना दीजिये । कटौती प्रस्ताव पर मैं इसलिए दस्तखत करता हूँ कि अच्छी सरकार सुंदर दुल्हन की तरह होती है । वे आईना देखना चाहती है और मैं आईना हूँ, सर ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री गौतम कृष्ण ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, हो जायेगा, बनेगा ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य अखतरूल ईमान जी, बोलिये ।

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, हमने एक ध्यानाकर्षण दिया था तो मेरा ध्यानाकर्षण आना चाहिए था ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, दिखवा लेते हैं ।

तारांकित प्रश्न संख्या–619, श्री गौतम कृष्ण (क्षेत्र संख्या–77, महिषी)

(लिखित उत्तर)

श्री अशोक कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ के निर्माण हेतु शीर्ष – राज्य योजना (नाबार्ड) अंतर्गत "रोड नं० 17 कुम्हरा मिडल स्कूल से साउथ जाने वाली रोड लिलजा" के नाम से एकरारनामा किया गया था। संवेदक द्वारा कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण एकरारनामा विखंडित कर दिया गया है तथा संवेदक के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जा रही है। विखंडन के उपरान्त शेष बचे कार्यों की तकनीकी समीक्षा की जा रही है। समीक्षोपरान्त अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

श्री गौतम कृष्ण : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग से पूछना चाहता हूँ कि महिषी विधान सभा अंतर्गत कुम्हरा–लिलजा पथ है जो बेहद जर्जर स्थिति में है और तीन पंचायत का वह एक मात्र सड़क है । लगभग 50 हजार की

आबादी का एक मुख्य मार्ग है जिस पर उत्तर मिला है, उसमें यह कहा गया है कि एकरारनामा रद्द कर दिया गया है, खंडित कर दिया गया है लेकिन उस पर माननीय मंत्री जी ने कोई स्पष्ट नहीं किया है कि कब तक रोड को बनाया जायेगा और पिछले पाँच साल से यह विलंबित है तो मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि थोड़ा समय–सीमा बता दिया जाय क्योंकि 50 हजार की आबादी वहाँ निवास करती है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री अशोक कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस पथ निर्माण कार्य के लिए संवेदक के द्वारा पथ के पथांश में केवल Earth Work, Sub Base, WBM, GR3, Surface, PCC 292 meter एवं कल्वर्ट कार्य किया गया है । शेष पथ निर्माण कार्य कराने हेतु संवेदक को बार–बार स्मारित करने पर भी उनके द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया गया है जिसके कारण उनके एकरारनामा को विखंडित कर दिया गया है तथा उनके जमा अग्रधन एवं सुरक्षित राशि को जप्त करने के लिए कार्रवाई की जा रही है । इसके उपरांत अब शेष कार्य को आने वाले वित्तीय वर्ष में करा दिया जायेगा ।

अध्यक्ष : अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ ।

माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान साहब, आपने ध्यानाकर्षण दिया था, वह 13 तारीख को आयेगा ।

जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिये जाएं । अब कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जायेगी ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक–11 फरवरी, 2026 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है । श्री रणविजय साहू, स०वि०स०, श्री अजय कुमार, स०वि०स०, श्री नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह, स०वि०स०, श्री अमरेन्द्र कुमार, स०वि०स०, श्री अजय कुमार, स०वि०स०, श्री राहुल कुमार, स०वि०स०, श्री सुरेन्द्र राम, स०वि०स०, श्री अभिषेक रंजन, स०वि०स०, श्रीमती करिश्मा, स०वि०स०, श्रीमती सावित्री देवी, स०वि०स०, श्री सुबेदार दास, स०वि०स० एवं श्री अरूण सिंह, स०वि०स० ।

आज दिनांक–11 फरवरी, 2026 को सदन में वित्तीय वर्ष 2025–26 की तृतीय अनुपूरक व्यय–विवरणी में सम्मिलित अनुदानों की मांग (समाज कल्याण विभाग) पर वाद–विवाद एवं मतदान तथा बिहार विनियोग विधेयक–2026 निर्धारित है ।

अतः बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली के नियम–176(3) एवं 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अमान्य किया जाता है ।

श्री रणविजय साहू : महोदय, कार्यस्थगन प्रस्ताव पढ़ा दीजिये ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ठीक है, पढ़ दीजिये ।

श्री रणविजय साहू : माननीय अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला में एक छः साल की अबोध बच्ची का अपहरण कर उसके साथ न केवल पाशविक दुष्कर्म (रेप) किया गया बल्कि दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए उसकी नृशंस हत्या कर दी गयी तो रोहतास में नाबालिगों के साथ गैंगरेप ने मानवता को शर्मसार किया है । अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि छपरा में 20 लाख रुपये की ज्वेलरी लूट, सीवान में महज दो घंटे के भीतर दो लोगों को गोली मारने और कटिहार में लूट के दौरान हत्या जैसी वारदातों को खुलेआम अंजाम दिया जा रहा है । पुलिस प्रशासन इन घटनाओं को रोकने में अक्षम साबित हो रहा है ।

अतः दिनांक– 11.02.2026 के सारे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को स्थगित कर राज्य में गिरती कानून व्यवस्था जैसे अति लोक महत्व के विषय पर विमर्श हो ।

<u>सभा मेज पर कागजात का रखा जाना</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

डॉ॰ दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा–395 के तहत बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2021–2022 के वार्षिक लेखा प्रतिवेदन की एक प्रति सदन के पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : अब शून्यकाल लिये जायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, कार्य स्थगन प्रस्ताव जो आया है, इसको सरकार गंभीरता से ले ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जरूर, बिल्कुल लेगी ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, और पूरे बिहार में लूट, हत्या, बलात्कार, सीरियल किलिंग हो रहा है...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार बिल्कुल संज्ञान लेगी और कार्रवाई करेगी ।

<u>शून्यकाल</u>

श्रीमती बिनिता मेहता : अध्यक्ष महोदय, नवादा जिला के गोविन्दपुर विधान सभा अंतर्गत कौआकोल प्रखण्ड का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र काफी जर्जर अवस्था में है, जिससे रोगी के जान का खतरा बना हुआ रहता है । लोगों को जिला मुख्यालय 50 कि॰मी॰ दूरी तय करके जाना पड़ता है ।

अतः सरकार से मांग करती हूँ कि शीघ्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराया जाय ।

श्री उदय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, गया जी जिला के शेरघाटी विधानसभा अंतर्गत शेरघाटी प्रखण्ड के नगर परिषद में सैंकड़ों वर्ष प्राचीन दुल्हिन मंदिर वास्तुकला

का अद्‌भुत नमूना है एवं शहर की कई प्राचीन परम्पराएं इस मंदिर से जुड़ी हैं परन्तु देखभाल के बगैर इस दुल्हिन मंदिर का अस्तित्व संकट में है ।

अतः सरकार से मंदिर का सुदृढ़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण करा कर इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग करता हूँ ।

श्री गौतम कृष्ण : अध्यक्ष महोदय, सहरसा जिलांतर्गत महिषी विधानसभा क्षेत्र के महिषी प्रखंड रोड नंबर–17, जुम्मा चौक से धपारी तक सड़क की स्थिति काफी खराब हो चुकी है । लोगों को आवागन में बहुत परेशानी हो रही है, जनहित में उक्त पथ का अविलंब निर्माण कराने की मांग सरकार से करता हूँ ।

श्री अभिषेक रंजन : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व में चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को अनुदानित खाद एवं सिंचाई की समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती थी जिससे उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होती थी । वर्तमान में यह सुविधा पूरी तरह बंद हो गई है ।

अतः गन्ना किसानों के हित में अनुदानित खाद एवं सिंचाई की व्यवस्था पुनः लागू की जाए ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिलांतर्गत बिहपुर विधानसभा के खरीक प्रखंड के सिंहकुंड, लोकमानपुर, लोदीपुर सहित तेरह स्वास्थ्य उपकेन्द्र हैं लेकिन अपना भवन नहीं है ।

अतः सभी तेरह पंचायतों में एच०एस०सी० का अपना भवन बनाने की मांग सरकार से करता हूँ ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, कैमूर जिला के दुर्गावती एवं रामगढ़ प्रखंड में लरमा, करारी, बड़हरा, ऑटडिह गाँव कर्मनाशा नदी से कटाव तथा उधपुरा, गंगापुर, जमुरनी, कान्हीं गाँव दुर्गावती नदी से कटाव के कारण उक्त गाँव के सैकड़ों घर प्रभावित हो रहे हैं । कटाव रोकने के लिए पत्थरों से तटबंध बनाने की मांग करता हूँ ।

श्री सियाराम सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, पटना जिला के बाढ़ अनुमंडल स्थित पशु चिकित्सा अस्पताल में नियमित चिकित्सक पदस्थापित नहीं होने एवं गंभीर बीमारियों के उपचार हेतु दवाइयों की उपलब्धता नहीं होने से पशुपालकों को परेशानी हो रही है । उक्त अस्पताल में नियमित चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति एवं दवाइयों की उपलब्धता की मांग सरकार से करता हूँ ।

श्री बबलू कुमार उर्फ बबलू मंडल : अध्यक्ष महोदय, खगड़िया के मानसी प्रखंड में एक भी कॉलेज स्थापित नहीं हैं जिससे सैकड़ों छात्र–छात्राएं, विशेषकर गरीब छात्र–छात्राएं उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं । मैं सरकार से मानसी प्रखंड में कॉलेज स्थापना की मांग करता हूँ ।

श्री ई० शुभानंद मुकेश : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिलांतर्गत एन०टी०पी०सी० कहलगांव के निर्माण हेतु स्थानीय किसानों ने अपनी बहुमूल्य भूमि दी परन्तु आज

एन॰टी॰पी॰सी॰ की रिक्तियों व ठेका कार्यों में स्थानीय युवाओं की उपेक्षा हो रही है ।

अतः एन॰टी॰पी॰सी॰ नियोजन में स्थानीय कुशल व अकुशल युवाओं को प्राथमिकता देने के लिए मैं सरकार से मांग करता हूँ ।

टर्न–8 / अंजली / 11.02.2026

श्री त्रिविक्रम नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद सदर अस्पताल में वेंटिलेटर उपलब्ध होने के बावजूद विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं कर्मियों की कमी से उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है । परिणामस्वरूप गंभीर रूप से बीमार मरीजों को परेशानी उठानी पड़ती है । जनहित में चिकित्सकों एवं कर्मियों की शीघ्र पदस्थापना हेतु सरकार से मांग करता हूं ।

श्री रोमित कुमार : अध्यक्ष महोदय, अतरी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत तेउसा बाइपास पथ भौतिक सत्यापन होने के बावजूद स्वीकृति अबतक लंबित है जबकि तेउसा बाजार में प्रतिदिन भीषण जाम की स्थिति बनी रहती है ।

सरकार से इस लंबित कार्य की विभागीय जाँच कराकर शीघ्र निर्माण करवाने की मांग करता हूं ।

श्री मुरारी पासवान : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिलान्तर्गत पीरपैंती प्रखण्ड में ग्राम पंचायत खवासपुर के ग्राम–बड़ी चटैया में पुल के पास से लक्षमिनिया तक कच्ची सड़क को पक्कीकरण कराना अति आवश्यक है । उक्त सड़क महत्वपूर्ण है ।

अतः उक्त सड़क की यथाशीघ्र निर्माण कराने की मांग करता हूं ।

श्री संदीप सौरभ : अध्यक्ष महोदय, BSSC इंटरस्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा (वि.सं–02/2023) का अभी तक परीक्षा तिथि घोषित नहीं होने से लाखों अभ्यर्थी हताश हैं । आयोग द्वारा बार–बार संशोधन और आवेदन की तिथि बढ़ने से संदेह बढ़ता जा रहा है ।

तत्काल BSSC इंटरस्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा की तिथि तथा परीक्षा कैलेंडर जारी करने की मांग करता हूं ।

श्री पप्पु कुमार वर्मा : अध्यक्ष महोदय, अरवल जिला के कुर्था विधान सभा के तीनों प्रखण्ड कुर्था, करपी एवं बंशी के मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जेनेरिक दवा स्टोर, महिला रोग चिकित्सक एवं शल्य चिकित्सक की कमी है, सरकार से मांग है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त माँग पूरा किया जाए ।

श्री अमरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिला के हसपुरा बाजार में प्रत्येक दिन घंटों जाम की समस्या बनी रहती है । इसके कारण क्षेत्र की जनता विशेषकर मरीजों और स्कूल के बच्चों को आवागमन में काफी कठिनाई होती है । मैं जनहित में हसपुरा में बाइपास सड़क निर्माण कराने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री सुरेंद्र प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत प्रखंड मधुबनी, अंचल कार्यालय से बलुआ पंचायत को जोड़ने वाली सड़क पर पुल का निर्माण कार्य होने से लगभग दस हजार लोगों को लाभ मिलेगा मैं सदन के माध्यम से सरकार से उक्त प्रखंड को पंचायत से जोड़ने और पुल निर्माण की मांग करता हूं ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर प्रखंड अंतर्गत पंचायत चोरा टभका पंचायत सरकार भवन के नजदीक कोरवद्धा–टभका जाने वाली सड़क दो पंचायतों को जोड़ती है, जो काफी जर्जर है, जिससे लोगों को आवागमन में कठिनाई होती है ।

मैं सरकार से उक्त सड़क का पक्कीकरण कराने की मांग करता हूं ।

श्री सुजीत कुमार : अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिला के राजनगर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत बलाट गाँव निवासी जयराम मंडल की बलाट बगही बाँध के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई । यह क्षेत्र थाना से दूर होने के कारण नियमित गश्ती नहीं हो पाती ।

अतः दोषियों की गिरफतारी एवं रामपट्टी में सहायक थाना निर्माण की मांग करता हूं ।

श्री भरत बिंद : अध्यक्ष महोदय, कैमूर जिलान्तर्गत रामपुर प्रखंड के आर0डी0 चौरासी पर बिजली पॉवर सब–स्टेशन नहीं होने के कारण हमेशा अनेकों गाँवों की बिजली आपूर्ति बाधित रहती है ।

अतः उपरोक्त जगह पर पॉवर सब–स्टेशन लगाने की मांग सदन के माध्यम से करता हूं ।

श्री राम चन्द्र सदा : अध्यक्ष महोदय, खगड़िया जिला अन्तर्गत अलौली विधान सभा में आनंदपुर मारन पंचायत के श्याम–धरारी में अर्द्ध निर्मित आर०सी०सी० पुल को जल्द पूरा करने की सरकार से मांग करता हूं ।

श्री बीरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला अंतर्गत रोसड़ा विधान सभा क्षेत्र के भिरहा गाँव की ऐतिहासिक होली, जो सामाजिक समरसता का अनुपम उदाहरण है, को राजकीय महोत्सव घोषित किया जाए तथा होली पोखर के सौंदर्यीकरण एवं आधुनिकीकरण कराने हेतु मांग सरकार से करता हूं ।

श्री नागेन्द्र चन्द्रवंशी : अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिलांतर्गत नोखा विधान सभा के प्रखंड राजपुर बाजार डिहरी रोड एवं नोखा रोड में एक तरफ ऊँचा ड्रेनेज बना है जिसकी वजह से सड़क पर जल–जमाव की समस्या है । ड्रेनेज का निर्माण कर जल निकासी के लिए सरकार से मांग करता हूं ।

श्रीमती देवंती यादव : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत प्रखंड नरपतगंज आलू की खेती प्रचुर मात्रा में होती है । परन्तु नरपतगंज में एक भी कोल्ड स्टोरेज न होने से वहाँ के किसानों को आलू के भंडारण में काफी परेशानी होती है ।

अतः नरपतगंज में कोल्ड स्टोरेज की मांग सरकार से करती हूं ।

श्री ललित नारायण मंडल : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला के शाहकुण्ड प्रखंड में स्थित पवित्र गिरवरनाथ पर्वत को पर्यटक क्षेत्र के रूप में विकसित करने तथा पर्वत के शीर्ष पर स्थित शिव मंदिर तक रोप–वे की व्यवस्था करने की मांग करता हूं ।

श्रीमती गायत्री देवी : अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला के परिहार एवं सोनबरसा प्रखंड अन्तर्गत मदिमा महादेव मठ, सदसराम महादेव मठ सवं सुतिहारा राम जानकी मंदिर पर हजारों श्रद्धालु प्रति रोज आते है, जहाँ पर सुविधा का अभाव है ।

अतः उपरोक्त मठ पर श्रद्धालु के सुविधा हेतु सामुदायिक भवन, चहारदीवारी एवं सौंदर्यीकरण कराने की मांग सरकार से करती हूं ।

श्री मो॰ मुर्शीद आलम : अध्यक्ष महोदय, बिहार में वर्ष–2020 में अनुदानित मदरसों को वस्तानियाँ से फौकानिया, फौकानिया से मौलवी Standard में अपग्रेड किया गया है, परंतु फौकानिया एवं मौलवी Standard के Classes संचालन के लिए शिक्षकों का पद सृजित नहीं किया गया है ।

अतः Classes संचालन हेतु पद सृजित करने की मांग करता हूं ।

श्रीमती निशा सिंह : अध्यक्ष महोदय, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी किए गए सभी रोजगार विज्ञापन के आलोक में तय सीमा के अन्दर परीक्षा निर्धारित करने तथा बी०पी०एस०सी० द्वारा आयोजित होनेवाली TRE–04 की परीक्षा तिथि जल्द घोषित करने की मांग सरकार से करती हूं ।

श्रीमती कविता देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिला के कोढ़ा विधान सभा के फलका प्रखण्डन्तर्गत निःसुन्दरा पुल से भाया बभनी होते हुए पीरमोकाम तक जाने वाली सड़क पर अत्यधिक यातायात दबाव रहता है, यह सड़क मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधीन है, क्षेत्रीय आवागमन व्यापार एवं जनसुविधा हेतु उक्त सड़क के शीघ्र चौड़ीकरण की मांग करती हूं ।

श्रीमती छोटी कुमारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान छपरा नगर निगम की बदहाल सफाई व्यवस्था की ओर आकृष्ट करना चाहती हूँ । वर्ष 2022–23 में सफाई बजट 40 लाख से बढ़कर 1.40 करोड़ प्रतिमाह हुआ, फिर भी गंदगी व्यास है । काली सूचीबद्ध एजेंसी के चयन से वित्तीय अनियमितता का संदेह है । उच्च जांच हो ।

श्री शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत सरैया प्रखण्ड में डॉ० भीमराव अंबेडकर जी के महान आदर्शों से युवा पीढ़ी को प्रेरणा देने हेतु सरैया प्रखण्ड में एक भव्य स्मारक एवं अंबेडकर पार्क का निर्माण अत्यंत आवश्यक है ।

अतः सरैया प्रखण्ड में शीघ्र ही आधुनिक सुविधाओं से युक्त अंबेडकर पार्क एवं स्मारक निर्माण की मांग करता हूं ।

टर्न–9/पुलकित/11.02.2026

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब ध्यानाकर्षण सूचनाएँ ली जायेंगी और ध्यानाकर्षण के उपरांत समय बचने पर अगर सदन की सहमति हो तो शेष शून्यकाल की सूचनाएँ ली जायेंगी ।

अब ध्यानाकर्षण सूचनाएँ ली जायेंगी । माननीय सदस्य श्री सुभाष सिंह अपनी सूचना को पढ़ें ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएँ तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

श्री सुभाष सिंह, स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री सुभाष सिंह : अध्यक्ष महोदय, धान अधिप्राप्ति के तहत अधिकतम उसना चावल लेने का निर्णय विगत चार वर्षों से प्रभावी है। राज्य में खपत में लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा ही आंतरिक खरीद से उसना चावल तैयार होता है। बाकी 50 प्रतिशत चावल एफ०सी०आई० द्वारा अरवा चावल दिया जाता है। उसना चावल लेने के नियम प्रभावी होने से 900 निजी अरवा मिल बंद हैं तथा उस उद्योग से जुड़े लगभग 50,000 मजदूर बेरोजगार हैं और किसानों के धान खरीद की मात्रा भी प्रति वर्ष कम होती गयी है। इस वर्ष किसानों के धान खरीद का लक्ष्य ही कम कर दिया गया है। जबकि सरकार का निर्माण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

अतः धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम में निजी अरवा मिलों को भी शामिल करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री।

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा लक्षित जन वितरण प्रणाली के लाभुकों के पसंद के अनुरूप अधिकतम मात्रा में उसना चावल तैयार कराए जाने का नीतिगत निर्णय लिया गया है। जिसके आलोक में खरीफ विपणन मौसम 2021–22 से सांकेतिक रूप से उसना चावल तैयार कर प्राप्त करना प्रारंभ किया गया है। इसके पश्चात के वर्षों में राज्य अंतर्गत उसना चावल मिलों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है एवं अधिप्राप्ति धान के समतुल्य उसना चावल तैयार कराए जाने की मिलिंग क्षमता पर्याप्त हो गई है।

खरीफ विपणन मौसम 2022–23 से राज्य सरकार द्वारा अधिकतम मात्रा में उसना चावल प्राप्त किया जा रहा है। विकल्प के रूप में प्राथमिकता के आधार पर पैक्स अरवा मिलों से अरवा चावल प्राप्त किया जा रहा है। विगत तीन वर्षों में राज्य अंतर्गत उसना चावल एवं अरवा चावल प्राप्ति लक्ष्य का प्रतिशत निम्नवत रहा है :

2022–23 में उसना चावल 71 प्रतिशत, अरवा चावल 29 प्रतिशत ।

2023–24 में उसना चावल 82 प्रतिशत, अरवा चावल 18 प्रतिशत ।
2024–25 में उसना चावल 83 प्रतिशत, अरवा चावल 17 प्रतिशत ।

इस वर्ष खरीफ विपणन मौसम 2025–26 में उसना एवं अरवा चावल का प्राप्ति लक्ष्य क्रमशः लगभग 85 प्रतिशत उसना चावल एवं 15 प्रतिशत अरवा चावल निर्धारित किया गया है।

जहां तक निजी अरवा मिलों को अधिप्राप्ति कार्यक्रम में शामिल करने की बात है, इस संबंध में अवगत कराना चाहेंगे कि निजी अरवा मिलों के लिए खुले बाजार में पर्याप्त विकल्प मौजूद हैं। प्रत्येक खरीफ विपणन मौसम में राज्य के लिए धान अधिप्राप्ति लक्ष्य, धान अधिप्राप्ति की अवधि एवं अधिप्राप्त धान के विरुद्ध समतुल्य चावल प्राप्ति की अवधि भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है । इस वर्ष भारत सरकार द्वारा बिहार राज्य के लिए धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 36 लाख 85 हजार मेट्रिक टन धान निर्धारित किया गया है । जबकि विगत तीन वर्षों में भारत सरकार द्वारा यह अधिप्राप्ति लक्ष्य 45 लाख मेट्रिक टन निर्धारित किया जाता रहा है।

इस संबंध में यह भी अवगत कराना चाहेंगे कि राज्य सरकार द्वारा कृषि विभाग से प्राप्त जिलावार धान के अनुमानित उत्पादन आंकड़े एवं भारत सरकार द्वारा निर्धारित कुल धान अधिप्राप्ति लक्ष्य के आधार पर जिलावार धान अधिप्राप्ति लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। राज्य सरकार राज्य के किसानों को भारत सरकार द्वारा धान के निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने एवं पैक्स के हितों को संरक्षित करने के लिए कृत संकल्पित है। बिहार राज्य के लिए निर्धारित धान अधिप्राप्ति लक्ष्य 36 लाख 85 हजार मेट्रिक टन को वृद्धि कर 45 लाख मेट्रिक टन किए जाने हेतु राज्य सरकार भारत सरकार से लगातार अनुरोध करते हुए सभी आवश्यक प्रयास कर रही है ।

श्री सुभाष सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे कहना है कि 2020–21 में धान खरीद का लक्ष्य 45 लाख मेट्रिक टन था। वर्तमान में लक्ष्य घटकर 36 लाख मेट्रिक टन हो गया। इसका कारण है कि अरवा चावल की मिल को मुक्त कर दिया गया है। अगर इसमें से कुछ परसेंटेज हम लोग अरवा चावल को देते हैं मतलब मिल वालों को देते हैं, तो हमारा लक्ष्य जो है वह पूरा हो जाएगा । इस साल हमको लगता है कि 65 प्रतिशत ही अभी तक लक्ष्य पूरा हुआ है। हम चाहेंगे कि अरवा चावल की जो मिल हैं, वे बैंक से ऋण लेकर, अपना रोजगार चालू किए हैं, उनका रोजगार बंद हो जाएगा...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपका ध्यानाकर्षण सूचना में नाम नहीं है । बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

ठीक है, इस ध्यानाकर्षण सूचना में आपका नाम नहीं है ।

(व्यवधान)

सही बात है, नियम भी तो है ।

(व्यवधान)

आपका नाम इस ध्यानाकर्षण में नहीं है । जिनका नाम ध्यानाकर्षण में है उनको पूरक पूछने दीजिए ।

श्री सुभाष सिंह : महोदय, हमारा यही कहना है कि बैंक से जो लोग ऋण लेकर के रोजगार कर रहे हैं, बैंक से ऋण लिये हुए हैं । उनका रोजगार वही है, इसमें बहुत दिक्कत हो रही है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : ठीक है । आपका इस ध्यानाकर्षण में दस्तखत नहीं है । ध्यानाकर्षण का जो नियम हैं उसके तहत इस ध्यानाकर्षण में एक ही माननीय सदस्य का हस्ताक्षर है । इसलिए आप बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

भविष्य में विचार किया जाएगा ।

श्री सुभाष सिंह : महोदय, यह पूरे बिहार का मामला है, एक गोपालगंज जिला का नहीं है, पूरे बिहार का मामला है ।

अध्यक्ष : ठीक है, माननीय सदस्यगण, अभी हम नियम समिति की बैठक बुलाने जा रहे हैं और नियम समिति के बैठक में विचार करेंगे, इन परिस्थितियों में और माननीय सदस्यों को बोलने का मौका मिले ।

(व्यवधान)

इसलिए थोड़ा इंतजार कीजिए । नियम समिति की बैठक होने दीजिए । आप पूछ लीजिए ।

श्री सुभाष सिंह : अध्यक्ष महोदय, वही चीज है कि उसको देखा जाए । माननीय मंत्री जी से हम निवेदन करेंगे कि उसको जो है कि अरवा को उसमें...

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जहां तक लक्ष्य वृद्धि का सवाल है, यह भारत सरकार तय करती है । हम लोग लगातार भारत सरकार से संपर्क में हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं । जहां तक अरवा प्राइवेट अरवा मिल से धान देने की बात है, तो यह नीतिगत निर्णय लिया गया है, 85 प्रतिशत उसना चावल लेना है और 15 प्रतिशत अरवा चावल लेना है ।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने मूल वक्तव्य में माननीय सदस्य को स्पष्ट किया है कि राज्य के लाभुकों के पसंद, फूड हैबिट्स के अनुरूप ही उसना चावल की आपूर्ति पी0डी0एस0 के माध्यम से की जा रही है और इसी वजह से उसना चावल प्राप्त किया जा रहा है । विगत कुछ वर्षों में उसना चावल की प्राप्ति में लगातार वृद्धि हो रही है एवं अरवा चावल की प्राप्ति में कमी हो रही है । वर्तमान खरीफ विपणन मौसम 2025–26 में उसना चावल के प्राप्ति का लक्ष्य 85 प्रतिशत है और जबकि अरवा चावल की प्राप्ति का लक्ष्य 15

प्रतिशत है । प्राथमिकता के आधार पर पैक्स अरवा मिलों से अरवा चावल प्राप्त किया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय, लगातार उसना चावल में वृद्धि हो रही है । 2023–24 में उसना चावल 79 प्रतिशत था, फिर अरवा चावल 21 प्रतिशत । उसके बाद फिर 2024–25 में उसना चावल की प्राप्ति 84 प्रतिशत है, अरवा चावल की 16 प्रतिशत है । महोदय, यह नीतिगत निर्णय है और जहां तक लक्ष्य बढ़ाने का सवाल है, यह भारत सरकार से हम लोग अनुरोध कर रहे हैं, भारत सरकार ही बढ़ा सकती है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बिना अनुमति के मत खड़े होइये । आपका नाम नहीं है ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आप अपना पूरक पूछिये।

श्री सुभाष सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे यही कहना है कि अरवा चावल निजी मिल को भी टैग किया जाए ताकि उनका भी रोजगार चले ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या श्रीमती शालिनी मिश्रा । अपनी सूचना को पढ़ें ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा, श्री मंजीत कुमार एवं अन्य दो सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (जल संसाधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक– 25.11.2022 को चतुर्थ कृषि रोड मैप के सूत्रण पर हुई बैठक के आलोक में गन्ना उत्पादक जिलों में जल जमाव के स्थायी समाधान हेतु जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक संयुक्त समिति गठित की गई थी । इस समिति में जल संसाधन, राजस्व, कृषि, लघु जल संसाधन, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य और गन्ना उद्योग विभाग शामिल थे । जिनका उद्देश्य जल–जमाव प्रभावित क्षेत्रों का विस्तृत सर्वेक्षण कर जल निकासी हेतु डी०पी०आर० तैयार करना था । इसी क्रम में ईख आयुक्त, बिहार के ज्ञापांक 02/रेगु०/02–7010/2018/251, दिनांक 14.01.2023 एवं संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग के पत्रांक–1 पी०एम०सी०/बैठक/06/2022–42, दिनांक 13.01.2023 द्वारा पश्चिम चंपारण, पूर्वी चम्पारण, गोपालगंज, समस्तीपुर, सीतामढ़ी और शिवहर जिला के पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देश दिए गए थे । परंतु अब तक कोई सकारात्मक अनुपालन सुनिश्चित नहीं हुआ है ।

अतः गन्ना उत्पादक जिलों को जल जमाव से मुक्त कराने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करती हूँ ।

टर्न–10/हेमन्त/11.02.2026

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, समय चाहिए।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मिथिलेश तिवारी जी, अपनी सूचना को पढ़ें।

श्री मिथिलेश तिवारी, श्री विनय कुमार चौधरी एवं अन्य पांच सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार (लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण) की ओर से वक्तव्य

श्री मिथिलेश तिवारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, ''बिहार सरकार द्वारा राज्य के सभी 8053 ग्राम पंचायतों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना की शुरूआत 2016 में की गयी थी। सभी 67,534 योजनाएं PHED को हस्तांरित कर दी गयी है तथा वित्तीय वर्ष 2025–26 में 22.50 करोड़ रूपये योजना के क्रियान्वयन हेतु आवंटित किये गये हैं।

सम्पूर्ण राज्य में वार्ड सदस्य द्वारा कराये गये हर–घर–नल–जल योजना की स्थिति अत्यंत ही खराब है। अधिकांश पाइप फट चुके हैं, नल टूटे हुए हैं, विद्युत विपत्र के भुगतान के अभाव में अधिकांश बंद पड़े हैं, बोरिंग और पानी टंकी के भूमि विवाद और नल जल अनुरक्षक के मानदेय भुगतान के अभाव में यह योजना दम तोड़ रही है।

अतः इस योजना के रख–रखाव और संचालन हेतु समयबद्ध स्पष्ट नीति निर्माण हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूं।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री।

श्री संजय कुमार सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं प्राप्त ध्यानाकर्षण के सरकारी वक्तव्य निम्नवार है, जिसको मैं बताना चाहूंगा। सात निश्चय योजना अंतर्गत, बिहार राज्य के सभी परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में हर घर शुद्ध जल उपलब्ध कराने का जो लक्ष्य नगर विकास एवं आवास विभाग को तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ''हर घर नल का जल'' उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं पंचायती राज विभाग को दी गई थी।

अध्यक्ष महोदय, उक्त निर्माण के आलोक में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा राज्य के 56,447 वार्डों में 50,081 योजनाएं एवं पंचायती राज विभाग द्वारा 58,003 ग्रामीण वार्डों में 70,157 योजनाओं का निर्माण कराया गया। पंचायती राज विभाग द्वारा योजनाओं का निर्माण कार्य वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति डब्ल्यू0आइ0एम0सी0 के द्वारा कराया गया एवं इस समिति के द्वारा योजनाओं का संचालन एवं रखरखाव का कार्य किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, योजनाओं के बेहतर प्रबंधन, सतत् संचालन एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया में एकरूपता लाने के उद्देश्य से राज्य के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति योजनाओं के संचालन, मरम्मति एवं संपोषण की एक प्रक्रिया बनाए रखने का निर्णय लिया गया है। पंचायती राज विभाग के संकल्प ज्ञापांक

5464, दिनांक 16.05.2023 द्वारा पंचायती राज विभाग के निर्माणाधीन ग्रामीण वार्डों में क्रियान्वित जलापूर्ति योजनाओं के सतत् संचालन एवं रखरखाव हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को हस्तांतरित किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज विभाग एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के संयुक्तादेश पत्रांक संख्या 943, दिनांक 05.06.2023 द्वारा पंचायती राज विभाग से लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को जलापूर्ति योजनाओं की हस्तांतरण की प्रक्रिया निर्धारित की गई। तकनीकी सहायक, पंचायती राज विभाग एवं कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के संयुक्त निरीक्षण के उपरांत योजनाओं का हस्तांतरण ''एज इज वेयर इज'' के आधार पर किया गया। पंचायती राज विभाग से निर्मित 70,157 योजनाओं में से हस्तांतरण के समय 23,302 अदद बंद और 31,879 अदद आंशिक चालू एवं 14,976 योजनाओं को चालू किया गया था। अध्यक्ष महोदय, हस्तांतरित योजनाओं के संचालन, मरम्मति एवं संपोषण हेतु विभागीय संकल्प संख्या 1676, दिनांक 12. 08.2024 द्वारा प्रक्रिया निर्धारित की गई है। जलापूर्ति योजनाओं के अनुरक्षक के अनुरूप, हस्तांतरण के समय कार्यरत अनुरक्षक को यथासंभव बनाए रखा गया। अनुरक्षक को मानदेय के रूप में पंचायती राज विभाग द्वारा 15वें वित्त आयोग के तहत पंचायत हेतु प्रदत्त अनुदान से प्राप्त योजना प्रतिमाह रूपये 2,000 के दर से भुगतान वार्ड क्रियान्वयन की प्रबंधन समिति डब्ल्यू0आई0एम0सी0 के द्वारा किया गया। जलापूर्ति योजनाओं के विद्युत प्रभार प्रतिमाह औसतन 2,500 रूपये से विद्युत शुल्क के भुगतान पंचायत से सीधे किए जाने का प्रावधान है। प्रति योजना प्रति वर्ष संचालन, मरम्मति एवं संपोषण हेतु 1,08,372 रूपये स्वीकृत हैं, जिसमें से पंचायती राज विभाग के माध्यम से पंप संचालक को मानदेय एवं विद्युत विपन्न भुगतान हेतु 54,000 रूपये मात्र, लोक स्वास्थ्य अभियंता विभाग के माध्यम से चुनाव के मरम्मति एवं रख–रखाव हेतु 54,372 रूपये मात्र की स्वीकृति दी गई है।

महोदय, वित्तीय वर्ष 2025–26 में योजनाओं के संचालन, मरम्मति एवं रख–रखाव हेतु 7760 रूपये निर्धारित हैं, जिससे अनुरक्षक के मानदेय का भुगतान एवं विद्युत विपन्न के भुगतान हेतु 378 करोड़ रूपये कर्णांकित हैं, जिसका व्यय पंचायती राज विभाग द्वारा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के माध्यम से किया जा रहा है। साथ ही, 70,157 योजनाओं के वार्षिक मरम्मति एवं रखरखाव हेतु कुल राशि 341 करोड़ कर्णांकित है, जिसका व्यय लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा मरम्मति एवं रख–रखाव हेतु किया जा रहा है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मिथिलेश तिवारीः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने पूरी सरकार की तरफ से जो किया जा रहा है, वह बताया है। उसमें कोई डाउट हमको नहीं है। अध्यक्ष महोदय, लेकिन जो समस्या आ रही है, समस्या यह आ रही है, जल ही जीवन है और

15 दिन के बाद इसको लेकर हाहाकार मचने वाला है। जैसे गर्मी शुरू होगी, उसके बाद हम लोगों को गाली पड़ने वाली है। अध्यक्ष महोदय, जब यह विषय पी0एच0ई0डी ने ले लिया और इसको बनाया पंचायती राज विभाग ने। अब इसमें जो बनाने के समय गड़बड़ी हुई, लेबोरेट्री से जो पाइप था, उसकी जांच होनी चाहिए थी, नहीं हुई। लोकल स्तर पर उसको लगा दिया गया। तीन मीटर जमीन के नीचे डालना था, वह नहीं हुआ। दो फीट में ही उसको डालकर बना दिया गया। दो फीट, तीन फीट पाइप अंदर रहने के कारण वह गाड़ी के प्रेशर से फूट जाता है। छोटा–मोटा कोई काम गांव में होता है, वह कट जाता है, फिर उसको कोई पूछने वाला नहीं होता है। इसके अलावे जो सबसे बड़ी बात यह है माननीय अध्यक्ष महोदय, 300 फीट का बोरिंग करना था। अब विभाग ने इसकी जांच कराई है क्या ? पहली बात। दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, अब मेंटेनेंस का काम पी0एच0ई0डी करेगा, अनुरक्षक को भुगतान का काम पंचायती राज करेगा और झगड़ा यह है कि जिस समय यह बोरिंग लगाना था, तो जो वार्ड सदस्य जीता हुआ था, उसने अपनी जमीन में लगा दिया और विभाग ने लगवा दिया और अब वो हार गया, दूसरा जीत गया। अब पैसा आता है वार्ड क्रियान्वयन समिति के पास और वह सीधा आमने–सामने दोनों चुनाव लड़े हैं, अब वह उसको एक फूटी कौड़ी देने के लिए तैयार नहीं है और उसके कारण, जिसकी जमीन पर वह नल जल लगा है, वह उसको वहां चढ़ने नहीं देता है। अध्यक्ष महोदय, समस्या यह है कि इसमें तीन विभाग शामिल हैं। एक विभाग जिसने इसको बनाया, वह विभाग है पंचायती राज, दूसरा, जिनके हाथ में इसकी मेंटेनेंस का काम आया है, वह है पी0एच0ई0डी और तीसरा, जो बजट पीएचडी के द्वारा 22.50 करोड़ रूपये दिया गया है, अध्यक्ष महोदय, इससे तो कुछ नहीं होने वाला है। इसके लिए इसमें वित्त विभाग की भी आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, जो सबसे आश्चर्यजनक विषय है कि हम लोगों ने अपनी विधानसभा की जब समीक्षा की, तो हमने पूछा जो संवेदक है, उससे। उसने कहा 9 करोड़ रूपये में हमको आपके विधानसभा का और पांच साल अनुरक्षण करना है। तो हमने जब एक पंचायत का काम उससे चेक कराया, तो मात्र 9 से 10 प्रतिशत ही उसके पास जानकारी थी, 90 प्रतिशत उसके पास जानकारी ही नहीं है। तो इसका जो सर्वे है, सबसे बड़ी खामी उसमें है। सर्वे सही हुआ रहता, मतलब मांग और आपूर्ति, इन दोनों में बड़ा गैप है अध्यक्ष महोदय। गांव में खराब कुछ है और ऊपर में रिपोर्ट कुछ है। अध्यक्ष महोदय, कुल–मिलाकर मेरा प्रस्ताव यह है, जो हमने लास्ट में लिखा है कि समयबद्ध, स्पष्ट नीति के साथ इसकी मेंटेनेंस पॉलिसी बनायी जाए और इसमें दो–तीन विभाग, इसमें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की भी जरूरत पड़ेगी।

टर्न–11/संगीता/11.02.2026

श्री मिथिलेश तिवारी (क्रमशः) : अध्यक्ष महोदय, हम तो ये कहेंगे कि आप अपनी अध्यक्षता में इन सभी विभागों को बैठाइए और बैठा करके इस आने वाली सबसे बड़ी समस्या से हमलोगों को निजात दिलाइए, तब जाकर संभव होगा ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री संजय कुमार सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का चिन्ता जायज है लेकिन मैं बताना चाहूंगा माननीय सदस्य को कि 70 हजार 157 जो योजना पी0आर0डी0 के द्वारा पी0एच0डी0 को हस्तांतरित किया गया था, उस समय का रिपोर्ट भी है और उस समय जो हस्तांतरित किया गया था उसमें पंचायती राज विभाग के द्वारा 23 हजार 302 अदद बंद उस समय ही वह बंद था और 31 हजार 879 अदद आंशिक चालू था एवं 14 हजार 976 योजनाएं चालू थीं जो पंचायती राज विभाग के हस्तांतरित योजनाओं का उपयोग एवं सुदृढ़ीकरण किया जा रहा था जिसमें योजनाओं का साधारण मरम्मती के साथ–साथ वृहत् मरम्मती तथा वितरण प्रणाली को पुनःस्थापन का कार्य, नया बोरिंग का निर्माण, नए मोटर का अधिष्ठापन, नए टंकी का स्थापन, नए स्टेजिंग का निर्माण, स्टेजिंग का रंग–रोगन एवं इत्यादि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा चयनित संवेदकों द्वारा किया जा रहा था । महोदय, जलापूर्ति योजनाओं से संबंधित जो माननीय सदस्य ने अभी कहा है उसके समाधान हेतु सुदृढ़ केंद्रीय संकल्पित निवारण व्यवस्था जो हमारे यहां सी0जी0आर0सी0 एक पोर्टल है जो कार्यरत है जो पूरे देशभर में उसमें हमलोगों का टॉल फ्री नंबर भी है और वेबसाईट भी है और वॉटसएप नंबर भी है उसके माध्यम से पूरे बिहार में कहीं भी किसी भी अगर आम आदमी को भी अगर कोई दिक्कत होता है वह सी0जी0आर0सी0 के पोर्टल पर कम्प्लेन करते हैं तो हमलोग 24 घंटा के अंदर में उसको सही कराने का काम करते हैं और 10 शिकायतों का सूचना, जो संबंधित संवेदक के द्वारा हो या कनीय अभियंता के द्वारा हो, सहायक अभियंता के द्वारा हो, एस0एम0एस0 के माध्यम से स्वतः अग्रसारित हो जाता है । शिकायतों का समाधान तत्परता से किया जाता है तथा शिकायतकर्ता की संतुष्टि के पश्चात् ही शिकायत को बंद किया जाता है । इस प्रक्रिया के माध्यम से उत्तरोत्तर निवारण प्रगति सर्वाधिक है। अब तक सी0जी0आर0जी0सी0 के माध्यम से इस वित्तीय वर्ष में 1 लाख 11 हजार 682 शिकायतें प्राप्त हुईं जिसमें से 1 लाख 8 हजार 8 सौ 32 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है तथा पंचायती राज विभाग की योजनाओं का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है । अनुरक्षकों के पंप चालकों के मानदेय से संबंधित जो माननीय सदस्य कह रहे थे अब तक 2274 शिकायत दर्ज किए थे, जिसमें से 2143 शिकायतों का निवारण जिला प्रशासन एवं पंचायती राज विभाग के सहयोग से किया जा चुका

है । प्रत्येक प्रखंड में संवेदक द्वारा मरम्मती हेतु आवश्यक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु भंडार, स्टोर की व्यवस्था की जा रही है जिसमें समस्याओं का शीघ्र निष्पादन किया जा रहा है । लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा पंचायती राज विभाग से हस्तांतरित योजनाओं का सुदृढ़ीकरण एवं प्रभावी अनुसरण के लिए संकल्पित है । महोदय, योजना के ''एज इज वेयर इज'' के आधार पर जैसा है वैसा के आधार पर पी0एच0ई0डी0 को हस्तांतरित की गई थी और पंप चालक अनुरक्षक को मानदेय भुगतान हेतु जिला पदाधिकारी के स्तर पर जिला में टीम गठित की गई है जो अनुरक्षक के मानदेय का भुगतान सुनिश्चित करती है । हमने शुरू में ही माननीय सदस्य को कहा है कि जो पी0आर0डी0 के द्वारा जब हमको पी0एच0ई0डी0 को हस्तांतरित किया गया था उस समय ही उसमें से 58 हजार जो योजनाएं थीं वह बंद थीं । उसको हमलोगों ने चालू किया और चालू करके माननीय सदस्य की चिन्ता जायज है चूंकि उस समय जो था वह जो भी माननीय मुखिया जो थे हमारे उनके द्वारा वह कार्य किया गया था पंचायती राज विभाग के द्वारा जो कि 6 इंच से लेकर एक फीट के गड्ढे में था, जिसका कि 4 फीट के अंदर में करना था उनको लेकिन माननीय मुखिया के द्वारा जो भी था उनलोगों ने उसको कम गहराई पर डाल दिया था हमलोग क्या कर रहे हैं कि उसको पुनः हटाकर और पुनः उस पाइप को बदलने का काम कर रहे हैं । मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमलोग उसपर जो काम शुरू कर चुके हैं बहुत जल्द माननीय सदस्य की चिन्ता है उसको हमलोग दूर करने का काम करेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने तो सब कहा लेकिन जो मूल विषय है उसी पर वह अभी तक कुछ नहीं कह पाए । मैंने कहा कि सबसे बड़ी समस्या है संचालन की, संचालन की जो समस्या है कि अगर कोई वार्ड सदस्य जिसके जमीन में वह नल–जल चल रहा है और उसको पैसा मिल नहीं रहा है, एक–एक साल से जबसे चुनाव खत्म हुआ पंचायत का, तबसे उसको पैसा नहीं मिल रहा है । हमलोग मुखिया को फोन करते हैं तो मुखिया कहते हैं कि हम तो अभी जो वार्ड है उसको देंगे । वार्ड क्रियान्वयन समिति का जो वार्ड में अध्यक्ष होता है और वो कहता है कि हम उसको नहीं देंगे तो ये मामला तो यहां फंसा हुआ है अध्यक्ष महोदय । दूसरी बात है कि जिसके जमीन में बना उसको कहता है बी0डी0ओ0 कि आप अपना जमीन रजिस्ट्री कर दो सरकार के नाम से, वह कहता है कि हम क्यों करेंगे तो एक तो मामला यह है अध्यक्ष महोदय । दूसरी बात, कई ऐसे जो नल–जल के स्कीम्स हैं वहां पर बिजली का बिल का पेमेंट ही नहीं है । हमलोग जब कॉन्ट्रैक्टर को फोन करते हैं तो कहता है कि सर हम क्या करें, हमको इतना ही पाइप बिछाना है हमको इतना ही मेंटेनेंस करना है तो खोदा पहाड़, निकली चुहिया वाली स्थिति है अध्यक्ष

महोदय । माननीय मंत्री जी यह नहीं बता रहे हैं कि कितना किलोमीटर का पाइपलाइन बिछाया गया बिहार में जिसमें कितना खराब हो गया कितना उसको बदलना पड़ेगा यह बहुत बड़ी बात है अध्यक्ष महोदय और अगले 15 दिनों के बाद यह समस्या बहुत बड़ा सुरसा का मुंह के बराबर ये सामने आने वाली है, अभी तो लोगों को बहुत दिक्कत नहीं है गर्मी नहीं आयी है जैसे ही गर्मी आएगी समस्या बढ़ जाएगी तो कुल मिलाकर के ये जो तीन–चार विभागों का लोचा है अध्यक्ष महोदय इसको बैठाकर इसकी स्पष्ट नीति बनानी पड़ेगी, अगर पी0एच0ई0डी0 के पास पैसे की कमी है तो दूसरे विभाग से या वित्त मंत्रालय से स्थानांतरित कराकर इसको ठीक किया जाय महोदय क्योंकि हमलोगों ने बार–बार यह कहा है माननीय मुख्यमंत्री जी की यह जो योजना है, यह देश को दिशा दे रही है और देश को दिशा देने वाली योजना की शिकायत हो तो यह गड़बड़ होगा महोदय । यह हमारी चिन्ता है महोदय।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री संजय कुमार सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हम पहले ही बता चुके हैं कि 70 हजार 157 जो योजना पी0आर0डी0 के द्वारा हस्तांतरित किया गया था उसमें से जो बंद योजनाएं हैं और जो पी0आर0डी0 के द्वारा हस्तांतरित किया गया था वह चूंकि पंचायत स्तर पर काम हुआ था, पी0एच0ई0डी0 के द्वारा काम हुआ नहीं था इस कारण से वह समस्या आ रही है और हमलोग उसको पूरा अभी जितने भी पाइपलाइन हैं उसको बदलने का काम कर रहे हैं । माननीय सदस्य की चिन्ता जायज है लेकिन आने वाले समय में पूरे बिहार में जितने भी पहले के जो पाइप बंद पड़े हैं या टूटे हुए हैं या जो भी हैं, उसको हमलोग सही करवाने का काम कर रहे हैं और आने वाले समय में मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो भी समस्या कहीं भी है उसके लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग और पंचायती राज विभाग के द्वारा हमलोगों ने बात कर रखा है और अभी आने वाले समय में हस्तांतरित योजना का सुदृढ़ीकरण एवं प्रभावी अनुरक्षण नीति जो बनायी गयी है, उसका विभागीय संकल्प–1676, दिनांक 12.08.2024 द्वारा कृतसंकल्पित है और उससे स्पष्ट है है कि दोनों ही योजनाओं की मरम्मति और रख–रखाव जो अभी पी0आर0डी0 के द्वारा की जा रही है और पी0एच0ई0डी0 के द्वारा भी की जा रही है दोनों ही विभाग के साथ हम बैठक करके और किसी एक विभाग में उसको करने के लिए हमलोगों ने बाध्य किया है और आने वाले समय में हमलोग उसको पूरा करने का काम करेंगे और माननीय सदस्य को अगर किसी जिलावाइज स्पेसिफिक अगर कोई जिला की बात हो तो माननीय सदस्य बतायेंगे हमलोग उसको दिखवा लेंगे ।

(व्यवधान)

श्री राजू तिवारी : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : बोलिए राजू बाबू ।

(व्यवधान)

शांति, सुनिए ।

श्री राजू तिवारी : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी इसमें इतना जरूर हम भी जानकारी जानना चाहेंगे कि जो सवाल है कि वार्ड सदस्य पुराना वाला जो जिसके जमीन में ये संचालन हो रहा है और अभी दूसरा वार्ड जीत गया है मामला यहां तक हो गया है स्थल पर कि दोनों में थाना–पुलिस आपसी टकराहट है और इसके चलते उस वार्ड में टोटली कहीं से भी वो संचालन नहीं हुआ वो अगर एक तो टूटा–फूटा है वह समस्या अलग है, जहां थोड़ा बहुत ठीक भी है ये दोनों की टकराहट में वो पानी कहीं नहीं जा रहा है वह बंद पड़ा हुआ है इसमें माननीय मंत्री जी कितना अभी तक दुरूस्त किए हैं कितना अभी दुरूस्त करना बाकी है ये बता दें बस मैं इतना जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्लीज बैठ जाइए । शीला जी बैठ जाइए ।

श्री संजय कुमार सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, भूमिदाता को जो पंप चालक के रूप में कार्यरत रहने पर मानदेय भुगतान हेतु जिला पदाधिकारी के स्तर पर हमलोगों ने 4 सदस्यीय टीम गठित की है जो शीघ्र ही वास्तविक पंप चालक का भुगतान सुनिश्चत करायेगी और विद्युत विपणन के भुगतान हेतु विभाग द्वारा समीक्षा की जा रही है और लगातार इस पर जो भी दोषी पाया जा रहा है, उनपर हमलोग कार्रवाई भी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्द हम बार–बार कहना चाहेंगे माननीय सदस्य को कि आपकी चिन्ता जायज है और उसके लिए हमलोग लगे हुए हैं, प्रयासरत हैं और बहुत जल्द इसको पूरा करायेंगे ।

टर्न–12 / यानपति / 11.02.2026

श्री राजू तिवारी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से जो प्रश्न मैं जानना चाहता हूं, मामला है कि पुराने वार्ड सदस्य अपनी जमीन में बनाये हैं और वर्तमान के वार्ड सदस्य के आपसी टकराहट में वह बंद पड़ा हुआ है । ऐसे कितने चिन्हित किए हैं जरा यह बताने का कष्ट करें और कितने को दुरूस्त किए हैं यह बताने की कृपा करें । बस यही मैं जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मेरी राय है, अच्छा आप पूछ लीजिए विनय बाबू ।

श्री विनय कुमार चौधरी : महोदय, 2024 से बराबर, मैं धन्यवाद देता हूं विभाग को कि हमारे विधान सभा में जाकर एक बैठक किये, बैठक करने के बाद सारी जानकारी मैं अपने कार्यकर्ताओं से लेकर, कहां तक गड़बड़ी है, कहां पर क्या है, नहीं है सारी जानकारी मैं उपलब्ध करवा देता हूं लेकिन उसके बाद

भी सबसे दुखद पहलू यही जाता है कि चीफ इंजीनियर यहां पर, हमारे विधान सभा में पिछली बार जो पानी की स्थिति थी, उसपर यहां के चीफ इंजीनियर, इंजीनियर इन चीफ सारे पदाधिकारी जाकर बैठक किए और एक साल बीतने वाला है और कुछ नहीं हुआ है । तो सवाल उठता है कि अगर पदाधिकारी जाते हैं और उसके बाद भी काम नहीं होता है तो और किरकिरी हो जाती है और...

(व्यवधान)

बीच में मत पड़िए । गंभीर विषय पर बीच में मत पड़िए । और उसके बाद कुछ ऐसे जगह हो जाते हैं कि जहां पर पानी इनका चल रहा है, मोटर चल रहा है पाइप टूटा हुआ है और...

(व्यवधान)

चुप रहिए, बोलने दीजिए न, बीच में बोल देते हैं । गंभीर विषय में भी टोका–टोकी करते हैं । और उसके बाद पाइप इनका फूटा हुआ है जिसके कारण पानी नहीं पहुंचता है । मोटर जल गया, उससे आपने दे दिया कि इतना का मोटर ठीक करवा दिए, आप रंग रोगन करवा दिए इससे हमको नहीं लेना देना है और वह गंदा ही रहे लेकिन पानी ढंग से चले नंबर 1, नंबर 2 यह तो पंचायती राज का है और इनका जो विभाग का है पी0एच0ई0डी0 का हमारे पौहद्दी पंचायत में कैंसर से एक भी घर नहीं बचा हुआ है, जो कैंसर से नहीं मरा हुआ है और अभी–भी पचासों पीड़ित हैं वहां पर । आपके विभाग ने निर्णय लिया था स्वयं लगाने का और आपने, विभाग ने लगाया लेकिन पानी, जो सफाई का संयंत्र था वह आपका ठेकेदार उस समय खा गया, वह लगाया नहीं और इसके लिए बराबर हम ध्यान आकृष्ट कराते हैं। माननीय मंत्री महोदय से भी मैं हाल में मिला हूं, आपके सचिव से भी मैं मिलता हूं । मैं हर दिन इसके काम में लगा रहता हूं और स्थिति यह है कि बहुत सारे छोटे और सबसे दुखद पहलू यहां पर यह है कि अभी भी यह लोग दिया है कि छूटे हुए बसावटों में उसी मुखिया जी के हिसाब से चल रहे हैं । जहां पर उनका वोटर है, लगा देते हैं जहां पर वोटर नहीं है वहां पर वह नहीं लगाते हैं । सवाल उठता है कि इसपर गंभीर समीक्षा होनी चाहिए और यह सिर्फ बेनीपुर विधान सभा की ही बात नहीं है, यह पूरे राज्य में यह समस्या है । आज की तारीख में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की यह योजना लोगों की, हरेक इच्छा हो गई है । हर व्यक्ति जल नल के लिए हर समय परेशान करते रहते हैं । अभी भी यहां पर बैठे हुए हैं और 10 आ गया और उस सब का नाम हम, अभी आ रहा है उसमें दे रहा है कि बेला मुशहरी सड़क है, नाम से ही समझिए तो हंड्रेड परसेंट मुशहरी का गांव है और उसमें ढाई–तीन सौ घर में है जिसमें पानी नहीं है । इसलिए हम चाहते हैं कि सब जगह यह तो हम पूरा नाम नहीं

बतायेंगे, हम पूरा नाम जाकर के मंत्री जी को बताए भी थे कुछ काम नहीं हो रहा है, गंभीरता से इसको देखने की जरूरत है । इसको शेम–शेम की जरूरत नहीं है । इसमें गंभीरता की जरूरत है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह विषय ध्यानाकर्षण लोक महत्व का और व्यापक है और हमारी राय है कि मैं अपने स्तर से कई विभाग जुड़े हुए हैं, पंचायती राज है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जुड़ा हुआ है, वित्त है और पी0एच0ई0डी0 है सबकी बैठक बुलाकर समीक्षा कर लेते हैं और समाधान किया जायेगा । अब शून्यकाल लिये जायेंगे । श्रीमती सावित्री देवी ।

श्रीमती सावित्री देवी : अध्यक्ष महोदय, जमुई जिलांतर्गत चकाई एवं सोनो प्रखंड के आंगनबाड़ी सेविकाओं से प्रति माह तीन हजार रुपये वसूली करने के कारण बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों पर कार्रवाई हेतु मैं सरकार से मांग करती हूं ।

श्री रोहित पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सैंडिस कंपाउंड वर्षों से आम नागरिकों के लिए प्रमुख सार्वजनिक स्थल रहा है । हाल में प्रवेश शुल्क लगाए जाने से मध्यम व निम्न आय वर्ग वंचित हो रहे हैं । जनहित को ध्यान में रखते हुए प्रवेश शुल्क समाप्त कर इसे पुनः निःशुल्क किया जाय ।

डॉ0 मुरारी मोहन झा : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिलांतर्गत केवटी विधान सभा क्षेत्र के सिंघवाड़ा प्रखंड के पंचायत टेक्टार के सिरहुल्ली के वार्ड सं0–19 में बागमती नदी का जलस्तर कम होने से मध्य विद्यालय, सिरहुल्ली का भवन कटाव के मुहाने पर आ गया है ।

अतः छात्रहित में उक्त स्थान पर प्रोटेक्शन वाल निर्माण कराने की कृपा करें ।

श्री रणविजय साहू : अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला के मोरवा प्रखंड मिर्जापुर निवासी स्कूल संचालक, अधिवक्ता गणेश सहनी को अपराधियों ने दिनांक–08.02. 2026 को गोली मारकर हत्या कर दिया । ताजपुर थाना कांड संख्या–29/26 है ।

घटना में शामिल अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी, पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी एवं पचास लाख मुआवजा की मांग करता हूं ।

श्रीमती ज्योति देवी : अध्यक्ष महोदय, गयाजी जिला अंतर्गत प्रखंड–बाराचट्टी में पुराना जी0टी0 रोड–02 गजरागढ़ में अंतर्राज्जीय बस अड्डा है । बड़ा बाजार भी है। यात्रियों के लिए प्राथमिक सुविधा भी नहीं है । पुल सहित सड़क जर्जर हो चुकी है । पुल सहित सड़क निर्माण कराने हेतु सदन से मांग करती हूं ।

श्री अख्तरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिला में बी0एड0 एवं लॉ कॉलेज नहीं होने से यहां के छात्र–छात्राओं को अन्य प्रदेशों में जाकर डिग्री प्राप्त करनी

पड़ती है । इससे आर्थिक बोझ पड़ता है । बल्कि गरीब मेधावी छात्र–छात्राएं पाठ्यक्रमों से वंचित रह जाते हैं ।

किशनगंज में बी0एड0 एवं लॉ कॉलेज एवं पूर्णया में बी0एड0 कॉलेज खोलने की मांग करता हूं ।

श्री अरूण सिंह : अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिलांतर्गत प्रखंड–संझौली में भोजपुर नहर से निकलने वाली सुसाढ़ी वितरणी, जिससे 2000 एकड़ भूमि सिंचित होती है । उक्त वितरणी के तल में गाद एवं किनारा टूटने से अंतिम छोर तक पानी का बहाव नहीं हो पा रहा है । मैं उक्त वितरणी का जीर्णोद्धार/मरम्मती कार्य कराने की मांग करता हूं ।

श्री बैद्यनाथ प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, राज्य में ग्राम कचहरियों में अधिवक्ताओं को न्याय मित्र के पद पर पदस्थापित किया गया है । इन न्याय मित्रों के पदस्थापन तथा मानदेय भुगतान हेतु नियमावली नहीं है । न्याय मित्रों के मानदेय एवं सेवा शर्त के संबंधी राज्यादेश निर्गत करें।

श्री गुलाम सरवर : अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिला अंतर्गत डगरूआ प्रखंड के गैरिया धार पर पुल निर्माण कार्य नहीं होने के कारण क्षेत्र के किसान, मजदूर, छात्र–छात्राएं एवं मरीजों को काफी कठिनाई होती है । ये सड़क पूर्णिया जिला को कटिहार जिला से जोड़ती है । उक्त धार पर पुल निर्माण कार्य का मांग करता हूं ।

टर्न–13/मुकुल/11.02.2026

श्री नंद किशोर राम : अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत गौनाहा प्रखंड का ठोरी भारत नेपाल सीमा पर अंतिम गांव है जहां सैकड़ों वर्षों से लोग रहते हैं लेकिन इन्हें जमीन का वासिगत पर्चा नहीं मिला है । अतः ठोरी के लोगों को जमीन का वासिगत पर्चा दिलवाने हेतु मैं सरकार से मांग करता हूं ।

श्री जनक सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, सारण जिलान्तर्गत तरैंया विधान सभा के फरिदपुर बाजार–भोरहां जर्जर पथ भाया उसरीचॉदपुरा, भगवानपुर, मोरिया, वित्तीय वर्ष 2022–23, लम्बाई 9.870 कि0मी0, लागत राशि 744.35 लाख रुपये निर्माण कार्य हेतु ग्रामीण कार्य विभाग, मढ़ौरा द्वारा लिया गया, कार्य अभी तक आरंभ नहीं किया गया । कार्य शीघ्र कराते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करावें ।

अध्यक्ष : समय समाप्त हो गया है ।

शेष शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ा हुआ माना जाता है । सदन की सहमति से लिखित उत्तर के लिए संबंधित विभाग को भेज दिया जाए ।

<u>शेष शून्यकाल की सूचनाएं जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया</u>

श्री राहुल कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिले से उसरा बिसवा गांव से होकर पूरे नावानगर प्रखण्ड में शराब की तस्करी और बिक्री हो रही है । सिकरौल लख

पर तथा सोवां–छतनवार मोड़ पर पेट्रोल पम्प के पीछे हेरोइन की बिक्री हो रही है । अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की अनदेखी इसकी मुख्य वजह है । सरकार से सख्त कार्यवाही की मांग करता हूं ।

श्री राम सिंह : अध्यक्ष महोदय, बगहा विधान सभा अंतर्गत एन0एच0–727 से कौलाची सिक्टौलगढ़हिया–कोलूआ पकड़ी होते हुए भैरोगंज मेन रोड तक सड़क को चौड़ीकरण के साथ मजबूतीकरण कराने हेतु सरकार से मांग करता हूं ।

श्री कलाधर प्रसाद मंडल : अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिलान्तर्गत रेफरल अस्पताल रूपौली एवं भवानीपुर में मानक के अनुरूप मरीजों की निरंतर समुचित उपचार हेतु ऑपरेशन थियेटर, आई0सी0यू0, ब्लड बैंक, उन्नत रेडियोलॉजी एक्स–रे, सी0टी0 स्कैन, अल्ट्रासाउण्ड एवं प्रयोगशाला सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं । मानक के अनुरूप मूलभूत सुविधा एवं योग्य डॉ0 के पदस्थापन की मांग करता हूं ।

श्री समृद्ध वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से पश्चिम चम्पारण जिला के सिकटा और मैनाटाड़ प्रखण्ड अंतर्गत निर्माणाधीन भारत–नेपाल सीमा सड़क के अधूरे भाग को पूर्ण करने एवं निर्मित उक्त सड़क के टूटे हुए भाग की मरम्मति की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री आनन्द मिश्र : महोदय, बक्सर नगर के गोलम्बर क्षेत्र में निरंतर यातायात जाम के साथ–साथ लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिससे आमजन, स्कूली बच्चे एवं आपात सेवाएं प्रभावित हो रही हैं । अनियंत्रित वाहन संचालन के कारण जन–सुरक्षा पर गंभीर खतरा को देखते हुए उसे अविलम्ब नियंत्रित करने की मांग करता हूं ।

श्री विजय कुमार खेमका : महोदय, बिहार में कुल उत्पादन का 70 प्रतिशत मखाना जल संकट रहित पूर्णिया कोसी में होता है । इसका 210 एकड़ परिसर में एग्रीकल्चर कॉलेज एक मात्र ऑफिसियल राष्ट्रीय नोडल केन्द्र है । जो राष्ट्रीय रोड रेल एयर कनेक्टिविटी से जुड़ा है । मैं राष्ट्रीय मखाना बोर्ड पूर्णिया में स्थापित करने की मांग करता हूं ।

श्री मिथिलेश तिवारी : महोदय, पाकिस्तान से टूरिस्ट वीजा पर गोपालगंज आये समसुल कमर ने फर्जीवाड़ा कर उंचकागांव थानान्तर्गत वृन्दावन में अपराधियों एवं अधिकारियों की मदद से फर्जी दस्तावेज बनवाकर 16.08.2013 को भूमि बेचकर पाकिस्तान भागे अंतर्राष्ट्रीय अपराधी की सम्पत्ति को शत्रु सम्पत्ति घोषित कर दोषियों के खिलाफ शीघ्र कड़ी कार्रवाई की मांग करता हूं ।

श्री प्रो0 नागेन्द्र राउत : महोदय, सीतामढ़ी जिलान्तर्गत सुरसंड प्रखंड के बालमिकेश्वर स्थान में प्रसिद्ध महादेव मंदिर यहां देश–विदेश के पर्यटक प्रति वर्ष आते हैं ।

अतः उक्त महादेव मंदिर की सर्वांगीण विकास हेतु रामायण सर्किट में जोड़ने हेतु सरकार से मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही 02.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न–14 / सुरज / 11.02.2026

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब वित्तीय कार्य लिये जायेंगे ।

वित्तीय कार्य

माननीय सदस्यगण, वित्तीय वर्ष 2025–26 के तृतीय अनुपूरक व्यय–विवरणी में सम्मिलित अनुदानों की मांगों का व्यवस्थापन होगा। उक्त विवरण में सम्मिलित अनुदानों की मांगों की कुल संख्या–37 है । आज इसके लिये एक ही दिन का समय निर्धारित है ।

अतः किसी एक विभाग के अनुदान की मांग के प्रस्ताव पर वाद–विवाद एवं सरकार का उत्तर हो सकता है । मैं मांग संख्या–51 समाज कल्याण विभाग को लेता हूं । जिस पर वाद–विवाद एवं सरकार का उत्तर होगा । शेष मांगों का व्यवस्थापन गिलोटीन (मुखबंध) द्वारा किया जायेगा । इसके लिए तीन घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है । इसी समय में से सरकार को उत्तर देने के लिए भी समय दिया जायेगा :–

भारतीय जनता पार्टी	– 66 मिनट
जनता दल यूनाइटेड	– 63 मिनट
राष्ट्रीय जनता दल	– 18 मिनट
लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास)	– 14 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	– 04 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	– 04 मिनट
ए0आई0एम0आई0एम0	– 04 मिनट
राष्ट्रीय लोक मोर्चा	– 03 मिनट
सी0पी0आई0 (एम॰एल॰)(एल॰)	– 01 मिनट
सी0पी0आई0 (एम॰)	– 01 मिनट
बहुजन समाजवादी पार्टी	– 01 मिनट
इंडियन इंक्लूसिव पार्टी	– 01 मिनट

....

कुल = 180 मिनट

....

माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, अपनी मांग प्रस्तुत करें ।

श्री मदन सहनी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि समाज कल्याण विभाग के संबंध में तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिये बिहार विनियोग (संख्या–2) अधिनियम, 2025, बिहार विनियोग (संख्या–3) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या–4) अधिनियम, 2025 के उपबंध के अतिरिक्त 724,52,34,000/– (सात सौ चौबीस करोड़ बावन लाख चौंतीस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष : इस मांग पर माननीय सदस्य श्री राहुल कुमार, श्री रणविजय साहू एवं श्री अरूण सिंह से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जो व्यापक है । जिन पर सभी माननीय सदस्य विचार–विमर्श कर सकते हैं । माननीय सदस्य श्री राहुल कुमार का प्रस्ताव प्रथम है अतएव माननीय सदस्य श्री राहुल कुमार अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : श्री रणविजय साहू जी ।

श्री रणविजय साहू : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''इस शीर्षक की मांग 10/– रुपये से घटायी जाय ।''

अध्यक्ष : माननीय सदस्य कुमार सर्वजीत जी इनकी तरफ से अपना पक्ष रखें ।

श्री कुमार सर्वजीत : अध्यक्ष महोदय, मैं तृतीय अनुपूरक बजट पर कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । महोदय, यह तृतीय अनुपूरक के बाद आपके बजट का आकार लगभग 4 लाख 7 हजार करोड़ का हो जायेगा । लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा जो खर्च की गयी है वह 2 लाख 44 हजार करोड़ के आसपास है । महोदय, बजट बनते हैं कभी 3 लाख 47 हजार, कभी 3 लाख 26 हजार । सरकार पैसा नहीं खर्च कर पा रही है इसका मतलब है कि खराब बजटीय प्रबंधन, कुशलता और सरकार के तंत्र के हावी होने का यह संकेत दिखता है । महोदय, सरकार के द्वारा वित्तीय अनुशासन का भी घोर उल्लंघन हुआ है । 70 हजार 877.61 करोड़ रुपया अप्रमाणित खर्च हुआ है, जिसका कोई लेखा–जोखा सरकार के पास नहीं है । महोदय, 24 जुलाई, 2025 को विधान सभा में प्रस्तुत सी0ए0जी0 की रिपोर्ट में बिहार सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर गंभीर खामियां उजागर हुई है । 70 हजार 877.61 करोड़ रुपया अप्रमाणित खर्च, बजट अनुशासन का उल्लंघन और पारदर्शिता की कमी जैसे मुद्दे सामने आये । यह रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि सरकार ने वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया और भ्रष्टाचार का माहौल तैयार किया । महोदय, 3 लाख 26 हजार करोड़ के बजट में केवल 79.92 परसेंट खर्च हुआ और इसकी उपयोगिता प्रमाण पत्र आज तक प्राप्त नहीं हुई । महोदय, बिहार सरकार 49

हजार 649 उपयोगिता प्रमाण पत्र, यू0जी0सी0 जमा करने में आज तक विफल रही । 70 हजार 877.61 करोड़ रुपया खर्च किये गये हैं । यह राशि बिहार के वार्षिक राजस्व प्राप्ति का लगभग 33 प्रतिशत है । यह राज्य के सामने राजस्व संसाधन का 126 प्रतिशत अधिक है । हर बिहारवासियों के हिस्से में लगभग 5 हजार 4 सौ रुपये का प्रमाणित खर्च है । बिहार ट्रेजरी कोड नियम 271(e) के अनुसार अनुदान की राशि होने के 18 महीने के भीतर यू0जी0सी0 जमा करना अनिवार्य होता है, जिसका सरकार ने पालन नहीं किया । सी0ए0जी0 ने चेतावनी दी कि इस स्थिति में गबन और भ्रष्टाचार का गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है । 70 हजार 877 करोड़ रुपये का हिसाब नहीं है तो सवाल उठता है कि फिर पैसा आपको क्यों चाहिये । महोदय, 22 हजार 130 ए0सी0 बिल के जरिये 9 हजार 205.76 करोड़ का भुगतान हुआ लेकिन इसका जो डी0सी0 बिल है वह आज तक जमा नहीं हुआ । इसमें 5 हजार 570 करोड़ 90 लाख 10 हजार मतलब कि 60.60 प्रतिशत पूंजीगत संपत्तियों जैसे सड़क, शिक्षा के लिये लिये गये थे । अभी आप देंखेंगे कि शिक्षा में बहुत सारे पैसे सरकार खर्च कर रही है और पूरे बिहार में आप देखियेगा कि तमाम छात्र सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं । ये शिक्षा, जो गांव में स्कूल हैं सरकार ने कहा कि हम तमाम टोले, बसावटों में सड़क निर्माण कर रहे हैं और हमने इतना लाख करोड़ रुपया खर्च किया । जब सरकार ने यह मान लिया कि टोले और बसावट बढ़े हैं तो क्या सरकार की, शिक्षा विभाग की यह नैतिक जिम्मेवारी नहीं थी कि अगर टोले बढ़े हैं, बसावट बढ़े हैं तो उस गांव में हम प्राईमरी स्कूल खोले कि नहीं खोले । महोदय, देश का एक ऐसा कोई कॉलेज बता दीजिये । अगर आपको वकालत करनी है अंग्रेजी में किताब आती है, मेडिकल की पढ़ाई पढ़नी है, अंग्रेजी में किताब आती है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़नी है, अंग्रेजी में किताब आती है । दलित के, पिछड़ों के जितने गांव में स्कूल हैं, क्या सरकार ने कभी ऐसा प्रयास किया कि यह जो गरीब के बच्चे हैं उनके बसावटों में हम स्कूल खोल दें और अंग्रेजी की पढ़ाई और अंग्रेजी के शिक्षक हम अनिवार्य कर दें ।

(क्रमशः)

टर्न–15 / धिरेन्द्र / 11.02.2026

....क्रमशः....

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, नहीं हुआ । महोदय, एक नारा मुझे याद आ रहा है, लोकसभा के चुनाव में बड़ा प्रचलित हुआ था । नारा लगा कि 'बटोगे तो कटोगे', देश के हिन्दुत्व का नारा देकर हम सारे लोगों को एक किया गया था । अभी वर्तमान में जब यू॰जी॰सी॰ की बिल आयी, उसमें यह कहा गया कि दलित का बेटा, ओ॰बी॰सी॰ का बेटा अपने आप को अपमानित महसूस नहीं करे इसके लिए मैं कानून बना रहा हूँ तब नारा, हुजुर, नारा बदल गया–'हटो नहीं

तो कटोगे' । महोदय, नारा में देखिये कि कितनी जल्दी बदलाव आ गयी । महोदय, हमने तो यह भी देखा सड़क पर, जिनको इस सदन में यशस्वी प्रधानमंत्री के नाम से ये नारा लगाते हैं, सड़क पर उनकी जातिसूचक कह कर देश के प्रधानमंत्री को भी अपमानित करने से नहीं छोड़ा । महोदय, क्या कहा– तेलिया तुम्हारी जगह कब्रिस्तान में है । इस तरह की देश में नारे लगें । महोदय, क्या इस देश का कोई ओ॰बी॰सी॰, दलित का बेटा यह नारा लगाया ? महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ, हम चाहते हैं कि गांव में शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए, इसके लिए अगर सरकार प्रखंड में कॉलेज का निर्माण करना चाहती है, उसके पहले हर टोलों में प्राईमरी स्कूल का निर्माण करना अति आवश्यक है क्योंकि बिहार की आधी आबादी दलित, ओ॰बी॰सी॰ के बच्चे एजुकेशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं । महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि अगर बिहार में शिक्षा विभाग इतनी सशक्त है तो इस देश का, बिहार का एग्रीकल्चर कॉलेज, बिहार का पशुपालन कॉलेज, बिहार का फिशरी कॉलेज, जितने कॉलेज हैं मगध यूनिवर्सिटी हो, दरभंगा यूनिवर्सिटी हो । महोदय, क्या बिहार में वैसे बच्चे नहीं हैं जो किसी कॉलेज के, किसी यूनिवर्सिटी का वाईस चांसलर नहीं हो सकता । एग्रीकल्चर कॉलेज, यू॰पी॰ का वाईस चांसलर, फिशरी कॉलेज, यू॰पी॰ का वाईस चांसलर, पशुपालन कॉलेज, यू॰पी॰ का वाईस चांसलर, अब इतना खर्च कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि...

(इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, बिहार में यह दोहरी नीति सरकार के द्वारा लगातार अपनाई जा रही है । सभापति महोदय...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री कुमार सर्वजीत : उपाध्यक्ष महोदय, लगातार बिहार में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है । बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी जब सदन के अंदर आते हैं तो सीधे ऊपर देखते हैं, वहां देखते हैं जहाँ पत्रकार लोग बैठते हैं । उसके बाद विरोधी दल के नेता को तुम–तड़ाका, न जाने क्या, पहले कुछ था नहीं था, इसी पर माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा करने लगते हैं । महोदय, इस देश का एक ऐसा कोई राज्य बता दिया जाय जिसका बजट वर्ष 2005 के पहले, जो वर्तमान की बजट है, कौन–सा ऐसा राज्य है जो वर्ष 2005 के पहले उस राज्य का आज के बराबर का बजट था । वर्ष 2005 के पहले, वर्ष 1990 के पहले, वर्ष 1996 के पहले सोना की क्या कीमत थी और आज कितनी कीमत है तो जब वर्ष 1996 में सोना की कीमत दो हजार रुपये हो सकती है, आज उसकी कीमत एक लाख रुपया हो सकती है तो महोदय, जाहिर–सी बात है कि किसी भी राज्य में, आज के युग में तो बजट बढ़ेगा ना, बजट बढ़ना लाजमी है और महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ, अब जैसे इसी सदन में बिहार सरकार लगातार, मैं बिहार के किसी माननीय मंत्री को जो बिहार में लगातार पूरे

एक–एक जिला में दलित का बेटा, ओ०बी०सी० का बेटा सड़क पर आंदोलन कर रहा है, पुलिस की लाठियां खा रहा है, वे अपने अधिकार के लिए । यह सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है कि इसी राज्य में रहने वाला दलित का बेटा, ओ०बी०सी० का बेटा अगर सड़क पर आंदोलन कर रहा है तो आपकी जिम्मेवारी है कि उसको बुलाकर आप पूछिये कि आपको कौन–सी बात की कमी है, आप क्यों आंदोलन पर उतारू हैं, यह सरकार नहीं पूछती है । वोट के समय सरकार कहती है कि हम दलितों के लिए काम कर रहे हैं । आप सड़क का निर्माण कर रहे हैं, हम सभी मानते हैं कि आपने सड़क का निर्माण बड़े पैमाने पर किया लेकिन महोदय, हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि सरकार बड़ी–बड़ी सड़कों का निर्माण कर रही है अडानी और अंबानी को दे कर के और सरकार सदन में कह रही है कि बिहार की महिलाओं को हमने 10 हजार रुपया दिया बकरी पालन करने के लिए । एक–एक हजार, दो–दो हजार, पाँच–पाँच हजार करोड़ रुपये का अडानी और अंबानी अगर बिहार में काम कर सकता है तो क्या बिहार की महिलाएं दस हजार रुपये लेकर सिर्फ बकरी ही चरा सकती है क्या ? आप बिहार की तमाम महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं, ये कह कर कि आप 10 हजार रुपया, मैंने आपको व्यापार करने के लिए दिया है, आपने बकरी खरीदा है या नहीं, आपने मुर्गी खरीदी की नहीं, आपने सुअर खरीदा की नहीं । महोदय, मैं बिहार में इसलिए नहीं जन्मा हूँ कि सरकार मुझे दस हजार रुपया बकरी चराने के लिए देगी और अडानी और अंबानी पाँच–पाँच हजार रुपये का बिहार में काम करेंगे । महोदय, हम इसलिए नहीं जन्में हैं, हम अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, सरकार की यह जिम्मेवारी बनती थी कि अगर बिहार के नाई जाति का बेटा अगर कोलकत्ता–मुंबई में जाकर काम कर सकता है तो आप उनको चौराहे पर सैलून खोलने के लिए पाँच–दस लाख रुपया दें, लोहार के बेटा को चौराहे पर बेल्डिंग का दुकान खोलने के लिए उनको 10–15 लाख रुपया दें, ये अगर आप किये होते तो बिहार की तरक्की न जाने...

(व्यवधान)

बहुत दे रहे हैं, नारा भी प्रधानमंत्री...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, टोका–टोकी नहीं कीजिये ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, ये बोल रहे हैं....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप आसन की ओर मुखाबित होइये ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, सड़क पर, ये देखिये कितने चतुर हैं....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, उधर मत ध्यान दीजिये ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, दरभंगा से आये हैं, सड़क पर नारा लगाते हैं नरेन्द्र मोदी के खिलाफ और सदन में भाषण देते हैं नरेन्द्र मोदी के पक्ष में तो दो चेहरा कहाँ से चलेगा । ये हमें कह रहे हैं कि काम कर रहे हैं, आप ही कह रहे हैं कि

देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं तो सड़क पर आप उनको अपमानित क्यों कर रहे हैं ? क्या तेली जाति को सड़क पर निकलने से आपकी यात्रा खराब हो जाती है, यह सड़क पर आप क्यों कह रहे हैं ? यह कहने का आपको अधिकार नहीं है । यू॰जी॰सी॰ बिल के लिए बिहार के दलित, ओ॰बी॰सी॰ का बेटा अगर प्रयास कर रहा है कि हमको रिजर्वेशन कॉलेज में पढ़ने के लिए मिलना चाहिए तो बिहार के मुख्यमंत्री को सामने बोलने के लिए आना चाहिए । आप बिहार में देखिये, कहाँ जातीय जनगणना हुई बिहार में, सरकार ने क्या कहा, जल्दी से 65 प्रतिशत आरक्षण दे दो, नहीं तो ये भाजपा वाले लोग न्यायालय चले जायेंगे । जब मेरी सरकार थी, महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि रिजर्वेशन लाओ और जल्दी से लागू करो, नहीं तो कुछ लोग न्यायालय चले जायेंगे, यह मुख्यमंत्री जी को कैसे पता था कि न्यायालय चले जायेंगे । इसका मतलब यह है कि आप बिहार में लोगों को ठगने के लिए 65 प्रतिशत का रिजर्वेशन लाते हैं और आपको पता होता है कि ये लोग न्यायालय जायेंगे तो इनको फिर इसका फायदा नहीं मिलेगा । महोदय, भारत सरकार ने भी वही किया, हमारे बच्चों के लिए बिल लाया, उनको पता था कि यह बिल पास होने वाला नहीं है मैसेज दे दो, मामला न्यायालय में जायेगा तो यह ठंडा पड़ जायेगा । महोदय, यह कहावत से ये लोग चलते हैं । धीरे से, पीछे से हमारे लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष इशारा करते हैं बोलना इनको था यू॰जी॰सी॰ पर, दलित के नेता है देश के, ये नहीं बोलेंगे, हमसे बोलवा रहे हैं, देश के नेता हैं इनके नेता...

...क्रमशः....

टर्न–16 / अंजली / 11.02.2026

(क्रमशः)

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, स्वर्गीय राम विलास जी जब सदन में थे, वही रामविलास पासवान जी ने, स्वर्गीय पासवान जी ने सदन में कहा था कि ऊंचि जाति को रिजर्वेशन मिला है, मुझे बहुत खुशी है, यह इनके नेता ने कहा था महोदय और आज जब हमें रिजर्वेशन मिला है उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो इनके नेता कुछ नहीं बोल रहे हैं, हमारे लोगों ने कभी विरोध नहीं किया...

श्री राजू तिवारी : महोदय, एक मिनट ।

उपाध्यक्ष : एक मिनट रूक जाइए । माननीय सदस्य खड़े हैं ।

श्री राजू तिवारी : महोदय, हमारे नेता, हमारे पार्टी के संस्थापक आदरणीय पद्म भूषण रामविलास पासवान जी को ये लगातार हमेशा कोट करके, 50 साल की राजनीतिक कैरियर में उनका कहीं कोई दाग नहीं था, हमेशा उनको बेचारे शब्द बोलते हैं लेकिन एक बार यह नहीं बोलते हैं कि ये उन्हीं की कृपा से पहली बार बिहार विधान सभा के सदन का मुंह देखे हैं ।

श्री कुमार सर्वजीत : हो गया महोदय, अब मुझे समय दिया जाए । मुझे अब समय दिया जाए महोदय ।

उपाध्यक्ष : अब आप बैठ जाइए । माननीय सदस्य, कृपया आप अब बैठ जाएं ।

श्री राजू तिवारी : उनको एक बार धन्यवाद देना चाहिए, बार–बार बेचारे कहते हैं, कम से कम यह ध्यान रखना चाहिए ।

उपाध्यक्ष : अब आप अपना भाषण जारी रखिए ।

(व्यवधान)

आप बैठ जाएं । इनको बोलने दिया जाए ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, वे बेचारे नहीं हैं, हम सब लोगों के अभिभावक...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : आपकी भी बारी आएगी तो आप बोलिएगा ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, वे हम सब के अभिभावक हैं, लेकिन 19 एम0एल0ए0 जीतकर आए, एक बार भी इन 19 एम0एल0ए0 ने नहीं कहा कि पटना के किसी चौराहे पर रामविलास पासवान जी की मूर्ति लगवा दो, यह नहीं कह सकते हैं आप लेकिन मैं मांग करता हूं सदन से...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : शांति–शांति :

श्री राजू तिवारी : महोदय, मैं बता दूं । सुनिये–सुनिये । आप चिंता मत करिए । उनका कद मूर्ति से मत...

(व्यवधान)

श्री कुमार सर्वजीत : दलित के नेता, अगर बिहार और पूरा देश उनको मानता तो आप...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके पास मात्र दो मिनट का वक्त है ।

(व्यवधान)

आप बैठ जाइए । माननीय सदस्य, बैठ जाइए, इनको बोलने दें । आप अपना भाषण जारी रखिए ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने नल–जल योजना...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : आप बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

श्री राजू तिवारी : वे सभी वर्गों के दिलों में राज करते हैं, मूर्ति भी लगेगा और रोड का शिलान्यास भी होगा...

(व्यवधान)

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, ऑर्डर में लिया जाय । महोदय, नल–जल योजना सरकार लाई, इसी सदन में माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के 5800 ऐसे टोले हैं, जहां पर सरकार के द्वारा नल–जल योजना चालू नहीं की जा सकी, यह इसी सदन में घोषणा हुई और घोषणा के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि बचे हुए बसावट में नल–जल योजना लगेगी, क्या हुआ महोदय ? हम अभी जो देखें कि जितने भाजपा के माननीय मंत्री हैं...

उपाध्यक्ष : अब आप अपना भाषण संक्षिप्त करें ।

श्री कुमार सर्वजीत : एक मिनट महोदय । जितने भाजपा के माननीय मंत्री हैं, सब का बजट घटा दिया गया और जितने जे0डी0यू0 के मंत्री हैं सब का बजट उठा दिया गया, वही वाला मामला हो गया, चंदवा वाला मामला हो गया कि हम बकरी चरावें और आपका बजट ज्यादा लेकर....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका समय पूर्ण हुआ । आप कृपया आसन ग्रहण करें ।

श्री कुमार सर्वजीत : वही वाला मामला हो गया महोदय ।

उपाध्यक्ष : कृपया आप आसन ग्रहण करें ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, 5 मिनट तो उन्हीं लोगों के द्वारा ले लिया गया । अंत में महोदय, सिर्फ हम एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त करना चाहते हैं और हमने यह जरूर आग्रह किया है आपसे, अंत में मैं एक आग्रह कर रहा हूं कि स्वर्गीय रामविलास जी हम सबों के अभिभावक थे, देश के और बिहार के गरीब–गुरबा के लिए उन्होंने बहुत काम किया, सरकार से मैं मांग करता हूं कि पटना के किसी चौराहे पर आदमकद मूर्ति सरकार के द्वारा लगाया जाए, अंत में 70877.61 करोड़ खर्च का विधान सभा में जांच हो, जिम्मेवार अधिकारियों पर कार्रवाई हो, लंबित यू0जी0सी0 बिलों की समीक्षा हो ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप आसन ग्रहण करें, आपका समय हो गया है ।

श्री कुमार सर्वजीत : ऑफ द बजट उधारी पर सफाई दी जाए और वित्तीय पारदर्शिता के लिए कड़े कदम उठाए जाएं । धन्यवाद महोदय ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री मिथिलेश तिवारी जी ।

श्री मिथिलेश तिवारी : महोदय,...

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : एक मिनट महोदय ।

उपाध्यक्ष : तिवारी जी बैठ जाएं, माननीय मंत्री जी खड़े हैं ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, विधान सभा की जो नियमावली है–लेखाओं और उनके प्रतिवेदनों का समिति को सौंपा जाना– राज्य के विनियोग और वित्त लेखे तथा उनपर एवं स्थानीय निकायों पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन ज्योंही सभा के सामने रखे जायें, त्योंही वे नियम–237 के अधीन गठित लोक–लेखा समिति को सौंप दिये जायेंगे ।

लेखाओं और उनके प्रतिवेदनों पर विर्मर्श–राज्य के विनियोग और वित्त लेखे तथा उनपर एवं स्थानीय निकायों पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों

पर सभा में विमर्श न होगा, जब तक कि नियम–239 के अधीन ऐसे लेखाओं और प्रतिवेदनों पर लोक–लेखा समिति का प्रतिवेदन सभा में उपस्थापित न कर दिया जाए ।

जब तक पब्लिक अकाउंट कमेटी का रिपोर्ट सदन में नहीं आएगा इस पर कोई विमर्श नहीं किया जा सकता है । ये मिनिस्टर रहे हैं, सम्मानित सदस्य हैं, नियमावली का भी उल्लंघन करते हैं महोदय ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री मिथिलेश तिवारी जी ।

श्री मिथिलेश तिवारी : धन्यवाद माननीय उपाध्यक्ष महोदय । मैं तृतीय अनुपूरक व्यय–विवरणी में सम्मिलित अनुदान की मांग समाज कल्याण विभाग एवं अन्य के समर्थन में खड़ा हूं । महोदय, जब भी सदन में बिहार के विकास की चर्चा होती है तो स्वाभाविक है वर्ष 1990 से 2005 सहसा सबको याद आ जाता है और इसलिए वर्ष 2005 में जब बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार हटी थी और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एन0डी0ए0 की सरकार बनी थी, तो जिस दिन प्रथम बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ग्रहण किया, उस दिन बिहार के लोग आह्लादित थे, लोगों को लगता था जंगल राज की विदाई हो गई और माननीय नीतीश कुमार जी चूंकि माननीय मोदी जी के साथ काम करते थे, उनके कार्य–कुशलता को बिहार ने और देश ने देखा था, तो लोगों को भरोसा था कि माननीय नीतीश कुमार जी बिहार में एक विकास की बहुत बड़ी लकीर खींचेंगे और जब माननीय नीतीश कुमार जी ने शपथ लिया, तो उन्होंने 4 लाइन के साथ शपथ लिया था और उन्होंने जयप्रकाश नारायण जी के चरणों में यह सौगंध लिया था कि जयप्रकाश जी रखो भरोसा, टूटे सपनों को जोड़ेंगे, अंधकार की चिता भस्म की चिंगारी से, अंधकार के गढ़ तोड़ेंगे । महोदय, उस समय बहुत विषम परिस्थिति थी, जब माननीय नीतीश कुमार जी सत्ता में आए थे । महोदय, आज जो हमारे राष्ट्रीय जनता के दल मित्र जब बजट पर चर्चा करते हैं तो भूल जाते हैं कि इनका बजट आकार 2005 तक क्या था लगभग 22–23 हजार करोड़ का बजट हुआ करता था और आज जब 3 लाख 47 हजार करोड़ रुपए का बजट बिहार के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है तो ये लोग बाहर तो उल्लास मनाते हैं, बाहर खुशी व्यक्त करते हैं, लेकिन सदन में आते हैं तो कटौती प्रस्ताव लायेंगे, सदन में आएंगे तो सरकार की निंदा करेंगे और यह बिहार की जनता देखती है इसलिए इस हाल पर ये लोग आ गए हैं । महोदय, जो पुराना बिहार था, उस पुराने बिहार में डॉक्टर सुभाष चंद्रा का अपहरण होता था और डॉक्टर सुभाष चंद्रा जैसे बड़े डॉक्टर, डॉक्टर सुभाष चंद्रा जैसे बड़े न्यूरो का सर्जन...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : शांति–शांति ।

श्री मिथिलेश तिवारी : बिहार छोड़कर के बाहर चले जाते हैं और महोदय, नीतीश कुमार जी की सरकार आती है तो वेदांता जैसे अस्पताल पटना में बनता है ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : शांति । कृपया शांति बनाए रखें ।

श्री मिथिलेश तिवारी : महोदय, यह बड़ा परिवर्तन हुआ है । महोदय, कुमार सर्वजीत जी चले गए लगता है, जहां से आते हैं, उन्हीं के क्षेत्र में हथियार गांव याद होगा उनको, हथियार गांव में सबसे बड़ा नक्सली घटना हुई थी और आज उसी जगह पर संबोधि रिट्रीट बना है जिसको देखने मॉरीशस से लोग आते हैं यह नीतीश कुमार जी की सरकार और यहां के कानून व्यवस्था की परिणति है ।

महोदय, जब बिहार में दलित समाज के इज्जत प्रतिष्ठा के लिए सरकार काम करती है तो ध्यान में आता है कि राष्ट्रीय जनता दल के एक विधायक के द्वारा, एक मंत्री के द्वारा दीनानाथ मांझी जो ट्रक ड्राइवर थे, उनका नाखून खींच लिया जाता था और इसी बिहार में जब माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चलती थी...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य को बोलने दीजिए ।

श्री मिथिलेश तिवारी : तो यहां दशरथ मांझी जैसे गरीब व्यक्ति को माउंटेन मैन की संज्ञा देकर उनको सम्मानित किया गया, यह बड़ा परिवर्तन हुआ है । महोदय, मैं बधाई दूंगा एन0डी0ए0 की सरकार को, माननीय नीतीश कुमार जी को, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि जिन्होंने हमारे जैसे गरीब परिवार से निकलकर एक व्यक्ति को सदन में लाकर खड़ा किया, दूसरी बार लाकर खड़ा किया और बैकुंठपुर के लोगों का अभिनंदन करते हुए मैं कहूंगा कि सर्वजीत जी के ही जिले में तो आई0आई0एम0 बना है । इनके नेता ने तो चरवाहा विद्यालय के भरोसे बिहार को छोड़ा था । महोदय, ये भूल जाते हैं कि..

(व्यवधान)

टर्न–17 / पुलकित / 11.02.2026

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : शांति–शांति ।

श्री मिथिलेश तिवारी : महोदय ये भूल जाते हैं कि बिहार के बच्चों को चरवाहा बनाना चाहते थे । हमारी सरकार आई0आई0एम0 जैसा, हमारे केन्द्रीय विश्वविद्यालय जैसा और आज तो माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल देखिये, हमारे शिक्षा मंत्री बैठे हैं और हमारे शिक्षा मंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज खुले । हर सदन में ये सदस्य भी डिग्री कॉलेज के लिए प्रश्न उठाते हैं ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : शांति बनाये रखें ।

श्री मिथिलेश तिवारी : यह सरकार जिस तेजी से विकास कर रही है ।

उपाध्यक्षः कृपया टोका–टोकी नहीं करें ।

श्री मिथिलेश तिवारी : महोदय, यह इन्हें पच नहीं रहा है । महोदय, जब डिग्री कॉलेज खुल रहा है, आई0आई0एम0 खुल चुका, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल चुका, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल चुका, आई0आई0टी0 खुल चुका तब भी इन्हें दिखता नहीं है । इसलिए मैं इनको कहूंगा कि नीतीश कुमार जी के अस्पताल में जाइये और आंख का टेस्ट कराइये । क्योंकि अब के अस्पताल में लोग इलाज कराने आते हैं और पहले के अस्पताल में कोई नहीं आता था ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : शांति–शांति । शांति बनाये रखें । टोका–टोकी नहीं करें ।

श्री मिथिलेश तिवारी : महोदय, कोई नहीं आता था ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : आपकी भी बोलने की बारी आयेगी । आप भी बोलेंगे ।

श्री मिथिलेश तिवारी : महोदय, ये लोग थोड़ी देर में भाग जायेंगे, मैं जानता हूं । इसलिए मैं इनको आईना दिखाना चाहता हूं जिस बिहार में पहले छह मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे और 50 लाख की आबादी पर, एम0सी0आई0 का रूल है । 50 लाख की आबादी पर एक अस्पताल, मेडिकल कॉलेज होना चाहिए । महोदय, इन्होंने डॉक्टर तो बनाया नहीं और इनके समय में जो अस्पतालों की हालत थी । अस्पतालों के बेड पर कुत्ते आकर के सोया करते थे और जो खटमल थे वे ब्लड की जांच किया करते थे । महोदय, पहले लोग अस्पतालों में जाते नहीं थे और आज अस्पतालों में लम्बी लाईन लगी हुई है । अस्पतालों में इलाज हो रहा है और बिहार की जनता इसीलिए बार–बार नीतीश कुमार जी को चुन रही है इसलिए बार–बार एन0डी0ए0 को ला रही है ।

महोदय, हम कहना चाहेंगे कि सड़क की स्थिति तो इनके समय में यह थी कि बिहार के एक बड़े कलाकार जो आज दिल्ली के सांसद है वे गाना गाते थे, कहते थे कि जब गड़हा–गुढ़ी रोड में भेटाई, तब बुझिह बिहार आ गई। और आज सड़क की स्थिति यह है महोदय, कि नेता प्रतिपक्ष एक बजे रात में भी उसी सड़क पर डांस की प्रैक्टिस करते हैं । यह सबसे बड़ा उदाहरण है ।

महोदय, जब पानी की बात आती है, सर्वजीत जी भाग गए, सुने नहीं। अब बताइए माननीय मुख्यमंत्री जी ने...

(व्यवधान)

आलोक जी बेचारे क्या, ये अच्छे आदमी हैं, बेचारे शांत रहते हैं । सर्वजीत जी को बताना था कि पटना के गंगा नदी से गंगाजल लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहुंचा दिया बोधगया । जहां पर हमेशा गर्मी के दिनों

में पानी का संकट हुआ करता था । कोई सोचा नहीं होगा वह काम हुआ और उसके बाद भी ये लोग कटौती प्रस्ताव लाते हैं ।

महोदय, जब बात बिजली की आती है । महोदय, इन लोगों के समय में न कहीं पोल था, न तार था, न बिजली थी । लालू प्रसाद यादव जी उस समय मुख्यमंत्री थे, राबड़ी जी मुख्यमंत्री थीं । मैं उन्हीं के जिले से आता हूं । जब वे गोपालगंज में जाते थे तो बिजली जाती थी और चले आते थे तो बिजली चली जाती थी । उस समय में और आज के समय में अंतर है । महोदय, आज स्थिति ऐसी है कि गरीब आदमी के घर में हमेशा के लिए दिया और लालटेन की तो विदाई हो गयी । थोड़ा–बहुत बचे हुए हैं लोग, अगली बार से नजर नहीं आएंगे ।

महोदय, कल तक जिस गरीब के घर में ढिबरी जला करती थी, लालटेन जला करता था, उस गरीब के घर में आज एल0ई0डी0 बल्ब जल रहा है । ये बड़ा परिवर्तन एन0डी0ए0 की सरकार ने किया है ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : टोका–टोकी नहीं करें । माननीय सदस्य कृपया शांति बनाये रखें ।

श्री मिथिलेश तिवारी : महोदय, उतना ही नहीं हुआ, घरों में तो बिजली पहुंची ही ....

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : कृपया शांति बनायें । माननीय सदस्य को बोलने दें । आपकी बारी आएगी तब आप भी बोलेंगे ।

श्री मिथिलेश तिवारी : महोदय, घरों में बिजली पहुंची ही लेकिन अब यह बिजली खेतों तक पहुंच गई और अब तो सोलर लाइट से पूरा घर जगमग होने वाला है । पी0एम0 सूर्य योजना लागू करके सरकार ने और कमाल किया है । यह इन लोगों को समझ में नहीं आएगा ।

महोदय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना याद होगी । जब से वह योजना आई, तब से लोगों के घर में खुशियां लेकर आयी । माननीय प्रधानमंत्री जी ने भरोसा किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने घर–घर बिजली पहुंचा करके गरीबों के घर में उजाला करने का काम किया, महोदय, उजाला करने का काम किया ।

महोदय, कृषि के मामले में क्या था ? पहले किसानों की स्थिति यह थी, मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां गन्ना का उत्पादन होता है । जहां चीनी मिल लगी है । हमलोगों ने भी कभी सोचा नहीं था कि गन्ना से इथेनॉल का उत्पादन होगा । ये इथेनॉल का उत्पादन माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों का नतीजा है और माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता का नतीजा है कि आज एक तरफ गन्ना से चीनी का भी उत्पादन होता है ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : बैठे–बैठे मत बोलिये । माननीय सदस्य बैठे–बैठे नहीं बोलिये ।

श्री मिथिलेश तिवारी : महोदय, और साथ में इथेनॉल का भी उत्पादन करके एक बड़ा रिकॉर्ड बना रही है बिहार की सरकार और किसानों की आमदनी दुगुना से तिगुना की तरफ हमलोग बढ़े हैं ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : शांति बनाये रखें । माननीय सदस्य बैठे–बैठे नहीं बोलिये ।

श्री मिथिलेश तिवारी : महोदय, आज जल संसाधन विभाग ने बिहार में इतनी बड़ी क्रांति की है कि आज पानी को नियंत्रित किया जा रहा है । उसको सिंचाई के काम में उपयोग किया जा रहा है । आज बांधों का पक्कीकरण हो रहा है । आज आने वाले दिनों में, पहले बाढ़ से पूरा बिहार खत्म हो जाता था...

(व्यवधान)

उसमें बहुत बड़ी कमी आई है और इसलिए, क्योंकि पैसे खर्च नहीं होते थे । आज हमारी सरकार बजट का आकार बढ़ा रही है और जहां जरूरत है वहां खर्च कर रही है । इसलिए आज ये स्थिति आई है ।

महोदय, इनकी तो स्थिति यह है कि जब लालू जी मुख्यमंत्री थे, राबड़ी जी का राज था, तो जिस चौक–चौराहा पर जमीन ये लोग देखते थे, अगले दिन इन्हीं का बोर्ड लग जाता था और जिस गांव से निकलिए, एक लालबत्ती लिया हुआ आदमी निकलता था, कहता था कि हम लालू जी के समधी हैं, कोई कहता था उनके साला के ससुर हैं । महोदय, यह स्थिति थी बिहार में और आज भी यह ज्वलंत उदाहरण गोपालगंज की धरती पर आपको दिखेगा कि गरीबों की जमीन को कब्जा करके आलीशान महल इन लोगों ने बनाए हैं, यह सबको मालूम है ।

महोदय, कोई बता दें नीतीश कुमार जी के एक रिश्तेदार का नाम ? कोई यह बता दें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक रिश्तेदार का नाम ? वो रिश्तों के लिए नहीं, देश के लिए और बिहार के लिए जीने वाले लोग हैं । और इनके नेता परिवार के लिए जीने वाले लोग हैं ।

महोदय, जब बात हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, न्याय के साथ विकास करेंगे ।

(व्यवधान)

महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि न्याय के साथ विकास करेंगे, तो एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने यदि कब्रिस्तानों की घेराबंदी की, तो दूसरी ओर मंदिरों की भी घेराबंदी की योजना लाकर के हिंदुओं में भी मैसेज देने का काम किया ।

महोदय, एक तरफ, पहले इनके राज में एक भी बिहार में श्मशान घाट पर चिंता थी इनको ? नहीं चिंता थी । ये हिंदुओं का वोट लेते थे बैकवर्ड–फॉरवर्ड के नाम पर । ये जनता को बांटते थे, लेकिन उनके लिए काम नहीं करते थे । लेकिन हमारी सरकार ने बैकुंठधाम बना करके, हमारी सरकार

ने यह तय किया, कि हर पंचायत में बैकुंठधाम बनाएंगे और लोगों को अंतिम संस्कार के लिए...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, बैठे–बैठे नहीं बोलिये ।

श्री मिथिलेश तिवारी : उसके लिए एक सुसज्जित व्यवस्था देंगे । महोदय, आज के दिन में, चूंकि समाज कल्याण विभाग का भी साथ में गिलोटिन है । महोदय, ये जितने लोग आज यहां बैठे हैं, अभी जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया, जून 2025 में...

उपाध्यक्ष : आपके पास पांच मिनट का वक्त बचा है ।

श्री मिथिलेश तिवारी : महोदय, जून 2025 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब निर्णय लिया, कि पेंशन की राशि को, जो छह प्रकार की पेंशन मिलती हैं, 400 से उसको 1100 बढ़ाने का निर्णय लिया...

(व्यवधान)

यह निर्णय, आपने क्यों नहीं दे दिया ? आपको किसने रोका था ?

(व्यवधान)

आपको किसने रोका था ?

उपाध्यक्ष : टोका–टोकी नहीं करें । माननीय सदस्य, टोका–टोकी नहीं करें ।

श्री मिथिलेश तिवारी : महोदय, 1 करोड़ 15 लाख 61 हजार का भुगतान लोगों को हो चुका है और यह योजना जिस दिन से लागू हुई है,

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : कृपया शांति बनायें ।

श्री मिथिलेश तिवारी : जो बेसहारा लोग थे, उन लोगों ने बिहार के मुख्यमंत्री को भगवान के रूप में देखना शुरू कर दिया है ।

महोदय, आत्मनिर्भर बिहार यह शब्द केवल शब्द नहीं है, यह संकल्प है। आज जिस बिहार का नौजवान पहले रोजगार मांगने के लिए नियोजनालय में जाता था, वह नौजवान आज उद्योग विभाग में जा करके स्टार्टअप के लिए काम करता है, और रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बन रहा है, महोदय, यह बड़ा परिवर्तन हुआ है ।

(व्यवधान)

महोदय, पेंशन की योजना हो, मृत्योपरांत देय अनुदान योजना हो या सामाजिक संरक्षण परियोजना हो । महोदय, ओल्ड एज होम का विषय हो...

उपाध्यक्ष : आप अपना भाषण कनक्लूड करें । दो मिनट का वक्त है आपके पास ।

श्री मिथिलेश तिवारी : महोदय, मैं कनक्लूड करता हूं । महिलाओं के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनिशिएटिव लिया, इन लोगों को बकरी दिख रही है । सामान्य बकरी यह इसलिए दिख रही है, कि जब इनका राज था न, तो गरीब आदमी अगर बकरी अपने घर पर रखता था, तो ये जा करके उसको

जबरदस्ती उठा लेते थे और रात में उसी का आहार करते थे । महोदय, कोई रोकने वाला नहीं था और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 10–10 हजार रुपये की राशि गरीबों को दी, उन्हें बकरी पालन का प्रोत्साहन करके बिहार में एक नए एक उद्योग की संरचना शुरू हुई है और उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है ।

(क्रमशः)

टर्न–18 / हेमन्त / 11.02.2026

(क्रमशः)

श्री मिथिलेश तिवारी : महोदय, आज के दिन में महिला सुरक्षा की बात हो, पोषाहार का कार्यक्रम चल रहा हो, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, हम जो व्यक्ति जन्म लेता है, उसकी चिंता तो करते ही हैं, लेकिन हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर किसी गरीब के पेट में बच्चा पल रहा है, उसकी भी चिंता हमारी सरकार करती है।

उपाध्यक्ष : कृपया, आप अपना भाषण समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री मिथिलेश तिवारी : पांच–पांच हजार रूपया और छः हजार रूपया की राशि देकर उसको पूरी तरह पोषण से मुक्त किया जाता है। महोदय, यह हमारी सरकार करती है।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना आसन ग्रहण करें।

श्री मिथिलेश तिवारी : महोदय, मैं आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को, एन0डी0ए0 की सरकार को बधाई दूंगा बिहार की जनता के माध्यम से।

उपाध्यक्ष : आप कृपया बैठ जायें।

श्री मिथिलेश तिवारी : महोदय, इस मांग में कटौती करने वालों को बिहार की जनता की ओर से नसीहत देता हुआ, आपका धन्यवाद करता हुआ मैं अपना आसन ग्रहण कर रहा हूं। बहुत–बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष : आलोक बाबू, आप कुछ कहना चाहते हैं।

श्री आलोक कुमार मेहता : सभापति महोदय,...

उपाध्यक्ष : उपाध्यक्ष महोदय बोलिये।

श्री आलोक कुमार मेहता : सॉरी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य एक अच्छे वक्ता हैं और चतुर वक्ता हैं। मैं बता सकता हूं, मैं याद दिलाना चाहता हूं, जिस 15 साल की बात बार–बार यह लोग याद कराते हैं, उस 15 साल से पहले तक बिहार के गरीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक लोगों को प्रताड़ित किया जाता था, किनके द्वारा प्रताड़ित किया जाता था? इन्हीं लोगों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता था। बड़हिया की सड़कों पर गरीब लोग चप्पल और जूता पहन के नहीं चल सकते थे, ऐसी स्थिति बिहार के अंदर की थी।

उपाध्यक्ष : अब आप अपना आसन ग्रहण करें।

श्री आलोक कुमार मेहता : और अधिकार की बात छोड़ दीजिए। सारे लोगों को बड़ाहिल ही समझते थे और समाजवादी पार्टियां जो बिहार की थीं...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठ जायें।

श्री आलोक कुमार मेहता : लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय को दिलाने का काम किया और इन लोगों को हाशिये पर रखने का काम किया।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठ जायें।

श्री आलोक कुमार मेहता : जगदेव बाबू ने कहा था, 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या श्रीमती शालिनी मिश्रा जी।

श्री आलोक कुमार मेहता : यह दुर्भाग्य है कि आज की स्थिति, बिहार और केंद्र में, दोनों जगह 10 का शासन 90 पर चलाने की कोशिश हो रही है।

उपाध्यक्ष : आलोक बाबू बैठ जायें।

श्री आलोक कुमार मेहता : यह तब तक चलेगा, जब तक हमारी बिहार की जनता, पिछड़ा समाज, दलित समाज, जागरूक नहीं होता है,..

उपाध्यक्ष : आप अपना भाषण प्रारंभ करें।

श्री आलोक कुमार मेहता : जागृत नहीं होता है।

उपाध्यक्ष : कृपया, आप आसन ग्रहण करें।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : ''मैं बिहार हूं, मैं नीतीश कुमार हूं,
गरीबों का सेवादार हूं, मैं नीतीश कुमार हूं, हां, मैं बिहार हूं।''

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं कि समाज कल्याण के इस महत्वपूर्ण अनुपूरक बजट पर बोलने का मौका दिया। इस मौके पर हमारी पार्टी के मुख्य सचेतक आदरणीय श्रवण कुमार जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने मुझे समाज कल्याण पर बोलने का मौका दिया। मैं इस मौके पर हमारी केसरिया विधानसभा के हमारे परिवारजनों का दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करना चाहती हूं, जिनके आशीर्वाद से मैं सदन में दूसरी बार खड़ी हुई हूं और उनकी आवाज बनकर ही समाज कल्याण के अनुपूरक बजट पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूं।

महोदय, सत्तारूढ़ दल की वक्ता होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि सत्तारूढ़ दल के पक्ष में बोलूं। लेकिन जब इस अनुपूरक बजट के प्रावधानों को मैंने देखा, तो मैं दिल से कहती हूं कि मैं जो बोल रही हूं, एक–एक शब्द, वह माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है बिहार के लिए, उसके समर्थन में बोल रही हूं। महोदय, यह मेरी सिर्फ राजनीतिक और सैद्धांतिक विचारधारा नहीं है। यह माननीय मुख्यमंत्री जी के किए हुए कार्यों का समर्थन है मेरा एक–एक शब्द, महोदय। महोदय, एक दौर था, जब लगातार असमानता चरम सीमा पर थी। जब हम बात करते हैं 1990 से 2005 की, तो मिर्ची सामने

लगती है और वही मिर्ची लगते–लगते आप लोग आधे सदन से कोने में आ गए हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : बैठे–बैठे नहीं बोलें।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : वही मिर्ची लगते–लगते आप आधे सदन से कोने में आ गए हैं। अब वह समय आएगा कि कोने से धीरे–धीरे अब सदन के बाहर भी चले जाएंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, शांति बनाये रखें।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : आपको मिर्ची तो लगती है। महोदय, गरीबों, शोषितों, वंचितों की आवाज को दबाया जाता था,

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : आपको जब वक्त मिलेगा, बोलिएगा।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : कुचला जाता था, उनको समझने वाला कोई नहीं था, बल्कि जो सत्ता पक्ष में लोग बैठे थे, यह समझते थे कि यही इन गरीबों, शोषितों, वंचितों, महिलाओं, दिव्यांगों, वृद्धजनों की नियति में लिखा है। वरन् जो लोग पीड़ित थे, वह भी यह समझते थे कि भगवान ने हमें यही हमारा भाग्य दिया है। लेकिन तब समय आता है 2005 का और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार की बागडोर संभालते हैं और बागडोर संभालते ही, तुरंत उन्होंने यह जो भ्रांतियां फैली थीं, उनको दूर किया और गरीबों, शोषितों, वंचितों ने सपना देखना शुरू किया। इन विगत 20 वर्षों में गरीबों ने, शोषितों ने, वंचितों ने जो सपना देखा था, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा करने का काम किया, महोदय और यह एक दिन का काम नहीं है, यह लगातार है। मैं जब बात करती हूं, मैं जब क्षेत्र में जाती हूं और लोगों को देखती हूं, वहां के लोग जो हमारे बुजुर्ग जन हैं, दिव्यांग जन हैं, महिला बहनें हैं, जब वह आती हैं और जब वह कहती हैं कि जो काम हमारे बेटे ने नहीं किया, वह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हमारे लिए कर दिया, तो हमारा दिल गर्व से भर जाता है। महोदय, हमारा ह्दय उनके प्रति गर्व से भर जाता है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : आप शांति बनायें।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : आपके मन में तो मलाल है, सत्ता में नहीं आने का मलाल है, तो कुछ भी बोलेंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, शांति बनायें। बैठे–बैठे नहीं बोलें माननीय सदस्य।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : लेकिन हृदय गर्व से भर जाता है। इन योजनाओं ने बिहार की तकदीर को बदलने का काम किया है, इन गरीबों की तकदीर को बदलने का

काम किया है इस पेंशन योजना ने और इसी तरह से जो बिहार की तकदीर बदल रही है। साथ ही साथ बिहार की तस्वीर भी बदल रही है। महोदय, मैं कहना चाहूंगी, बहुत जलन हो रही है आपको। तुम जलन बरकरार रखो, हम जलवा बरकरार रखेंगे। महोदय, इन लोगों को सुनना अच्छा नहीं लगता है। ये सत्ता में आए हैं जातीय उन्माद फैलाकर। ये येन–केन–प्रकारेण सत्ता में आ गए। जातीय उन्माद फैलाया और इन्होंने बिहार को लूटने का काम किया। बिहार को उन्होंने गर्त में लाने का काम किया और फिर ये सपना देखते हैं कि हम फिर से सत्ता में आएंगे, फिर से हमें लूटने का मौका मिलेगा, तो आप समझ लीजिए कि यह नया बिहार है, यह नीतीश कुमार का बिहार है। जहां कभी महिलाएं रसोई के झरोखे से बाहर की दुनिया को धुएं में से देखती थीं, आज उसी बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमारी मां–बहनें रसोई से बाहर आकर, पढ़ाई–लिखाई करती हैं, अधिकारी बनती हैं, कर्मचारी बनती हैं, पुलिस कर्मी बनती हैं, अपना रोजगार करती हैं, खुद भी कमा रही हैं, आस–पड़ोस की महिलाओं को भी कमाने दे रही हैं और साथ ही साथ पुरुष भाइयों के कंधे–से–कंधा मिलाकर भी चल रही हैं, परिवार का भी भरण–पोषण कर रही है। यह नीतीश कुमार का बिहार है। जहां नीतीश कुमार जी के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज में 50 प्रतिशत का आरक्षण लाकर आज महिलाएं नीति निर्धारक हो गई हैं। आज महिलाएं बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन गई हैं, महोदय।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठे–बैठे नहीं बोलें, आपको वक्त मिलेगा, आप बोलेंगे।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : महोदय, हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात की थी। हम सब ने वह दिन देखा है जब हमारी विधवा बहनें, हमारे दिव्यांगजन, हमारे बुजुर्ग अभिभावक पैसे–पैसे के लिए मोहताज होते थे और परिवार के किसी न किसी सदस्य की ओर बहुत आशा भरी नजरों से देखते थे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। अब वह जमाना बदल गया, अब 400 रूपये से 1100 रूपये पेंशन होने से स्थिति इतनी बदल गई है कि जब हम क्षेत्र में जाते हैं, तो हमारी जो महिला बहनें हैं, बुजुर्ग लोग हैं, दर्जनों लोग जब यह कहते हैं, कहते हुए उनका गला भर आता है, उनकी आंखें भर आती हैं कि हमें जीने का जो सहारा है वह आदरणीय नीतीश कुमार जी ने दिया है और यही वजह है कि उन्हीं का ही आशीर्वाद, उन्हीं का ही विश्वास और उन्हीं का ही माननीय नीतीश कुमार जी के लिए जो उन्होंने हृदय से धन्यवाद दिया है, जिसकी वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी 10वीं बार बिहार की उन्होंने बागडोर संभाली है। यह उन्हीं का ही आशीर्वाद है, आपके कहने से वह नहीं होता है।

महोदय, आज बेटी के जन्म से लेकर उसकी प्रारंभिक शिक्षा तक, उच्च शिक्षा तक, तकनीकी शिक्षा तक, उनके रोजगार और साथ ही साथ उनके विवाह तक की व्यवस्था करके हमारे मुख्यमंत्री जी ने इतना बदलाव किया है,

क्योंकि हम सब यह मान कर चलते हैं कि बेटियां अब बोझ नहीं, बेटियां परिवार का संबल और सहारा हैं। बेटियां बिहार को मजबूत बना रही हैं, बेटियां बिहार की भविष्य हैं। इसलिए उन्होंने यह करके दिखाया। महोदय, किन–किन बातों को कहूं। महोदय, हम जब चर्चा करते हैं कबीर अंत्येष्टि योजना की, तो कुछ सदस्य कह रहे थे कि अमाउंट छोटा है। मैं कहना चाहती हूं कि अमाउंट की बात नहीं करें। 3000 रूपये मिलते हैं, लेकिन यह सिर्फ 3000 रूपये की बात नहीं है।

(क्रमशः)

टर्न–19 / संगीता / 11.02.2026

श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्रमशः) : हम जब छोटे थे, अमाउंट बढ़ाना चाहिए मैं भी कहूंगी, लेकिन जब हम छोटे थे हमने देखा है वह दौर कि जब गरीब परिवार में किसी की मृत्यु होती थी तो उनके पति चाहे उनकी पत्नी या पिताजी, मां वो लोग जो सामर्थ्यवान लोग होते थे उनके दरवाजे पर अंतिम संस्कार के लिए भीख मांगने आते थे, मदद मांगने आते थे और उनके चेहरे पर जो जलालत होती थी, उनके चेहरे पर जो शर्म होती थी, वह देखकर महोदय, रोंगटे खड़े हो जाते थे तो अब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया जाता है...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या को बोलने दें, आप शांति बनाएं ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : अब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना होता है, वे लोग आत्मविश्वास के साथ अंतिम संस्कार करते हैं हालांकि मैं भी मांग करूंगी आपके माध्यम से कि उसकी राशि बढ़ानी चाहिए । महोदय, दिव्यांगजनों को जो ट्राइसाइकिल दिया गया है वह यह दर्शाता है कि दिव्यांगजन अब समाज के लिए बोझ नहीं हैं बल्कि बिहार सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है जो लोग दिव्यांग हैं उनके लिए और भी उपकरण दिए जाते हैं बिहार सरकार समझती है कि समाज की मुख्यधारा में उनको भी आना चाहिए तभी उन्होंने ये काम किया है । हमारी सरकार का मूलमंत्र महोदय, न्याय के साथ विकास है जिसकी परिभाषा सिर्फ बिल्डिंग और सड़क नहीं है, इसकी परिभाषा है जब समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों के चेहरे पर मुस्कान हो, उनके चेहरे पर आत्मविश्वास हो, उनकी आंखों में चमक हो तब हम कहेंगे कि हमारा बिहार न्याय के साथ, विकास के साथ बढ़ रहा है । इन लोगों ने तो बस कहने का काम किया करने का काम नहीं किया महोदय । यह जो बजट है समाज कल्याण का अनुपूरक बजट 7 हजार 4 सौ 24 करोड़ का उसके पहले 10 हजार कुछ करोड़ का अनुपूरक बजट था, फर्स्ट सप्लीमेंट्री, सेकेंड सप्लीमेंट्री 5 हजार 5 सौ कुछ करोड़ का था, यह दर्शाता है कि बिहार की धड़कन माननीय मुख्यमंत्री जी की धड़कन आज भी कमजोर वर्गों को

मुख्यधारा से जोड़ने के लिए धड़कती है । महोदय, समाज कल्याण का यह अनुपूरक बजट केवल आंकड़ों और आय–व्यय का विवरण नहीं है, यह बिहार के करोड़ों गरीबों, वंचितों, महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और बच्चों की आंखों में सजे सपनों का दस्तावेज है । माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली एन0डी0ए0 सरकार इन सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है । मैं विपक्ष के साथियों से भी आग्रह करना चाहती हूं कि राजनीति अपनी जगह है । आपलोग राजनीति छोड़कर जब समाज के कमजोर वर्गों को मुख्यधारा में लाने की बात होती है तो आप इस अनुपूरक बजट का सहयोग करें, अनुपूरक बजट का समर्थन करना चाहिए आपको । मैं यह कहना चाहती हूं और जो काम बिहार ने किया है, जो काम पिछले 20 सालों में बिहार में हुआ है वह जरूर दर्शाता है कि आपने सिर्फ बिहार को लूटने का काम किया, हमने बहुत बोला जो हो रहा है वह भी बोला, आप जलन बरकरार रखिये हम जलवा तो बरकरार रख ही रहे हैं पिछले 20 साल से, आगे भी हम रखेंगे, आगे के 20 साल भी हम रखेंगे इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा व्याकुल होने की जरूरत नहीं है आप लोग अपना काम करें, हम अपना काम बेधड़क कर रहे हैं और बिल्कुल हमलोग बिहार को लूटने का काम नहीं कर रहे हैं...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : बैठे–बैठे नहीं बोलिए माननीय सदस्या ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : एक शेर है माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से विपक्ष के मित्रों के लिए । बहुत खराब समय है अभी आपलोंगों के लिए, बहुत खराब समय चल रहा है इसलिए.. (व्यवधान)

उपाध्यक्ष : शांति बनाइए ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : एक शेर बोलना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से आपलोग इसपर अमल करें तो अच्छा रहेगा ।

''खराब वक्त में इज्जत रखें संभाले हुए
अपनी जुबान भी संभाले हुए रखें
कभी न जेब में रखें सिक्के उछाले हुए
डंसा गया हूं मैं लेकिन इलाज जानता हूं
ये साथ हैं तो मेरे आस्तीन के पाले हुए हैं ।''

बहुत–बहुत धन्यवाद महोदय । मैं इसी के साथ तृतीय अनुपूरक बजट समाज कल्याण के समर्थन में बोलते हुए और विपक्ष के साथियों को भी आग्रह करते हुए कि आप भी इसमें सहयोग करें, मैं अपनी बातों को विराम देती हूं । जय बिहार, जय नीतीश कुमार ।

उपाध्यक्ष : संत कबीर ने कहा है :

''ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए
औरों को शीतल लगे आपहुं शीतल होए ।''

माननीय सदस्य श्री मनोज विश्वास जी । आपके पास में 4 मिनट का वक्त है ।

श्री मनोज विश्वास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं कि हमें बोलने का मौका मिला है । मैं धन्यवाद देता हूं फारबिसगंज विधान सभा की तमाम जनता मालिकों का और कार्यकर्ताओं का जिनकी बदौलत हमारे जैसा आम आदमी आज विधान सभा में पहुंचा है, उनको मैं धन्यवाद देता हूं । मैं धन्यवाद देता हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, हमारे नेता राहुल गांधी जी और हमारे नेता राजेश राम जी को और धन्यवाद देते हैं हमारे माता–पिता को, जिनकी बदौलत हम यहां पर पहुंचे हैं उनकी परवरिश की वजह से, उनको भी प्रणाम करता हूं । सर, हम उस एरिया से आते हैं जो विश्वविख्यात फणीश्वरनाथ रेणु की धरती है, ऐतिहासिक धरती रही है, हम उस एरिया से आते हैं जहां पर दुर्जनी जी का कवि रहा और हमारे बीच हम उस एरिया से आते हैं जहां से रामलाल सेन जी का कवि हुआ करते थे । हमलोग संघर्ष की जननी से आते हैं मगर हम जिस एरिया से आते हैं । आज जिस विषय पर बोलने का मौका मिला है, सीमांचल का हमलोग फारबिसगंज विधान सभा से आते हैं, इस चुनाव में ऐसे कई गांव हमलोग घूमें, हमारे कई सदस्य पक्ष–विपक्ष को भी धन्यवाद देते हैं कि हमलोग मुद्दा की बात रखें और उसमें जो सच्चाई होती है उसपर काम होना चाहिए । सर, हमारे एरिया में कुछ ऐसे गांव मिले, चुनाव के टाइम में कि अभी भी वहां मोटरसाइकिल नहीं जा सकती है और वहां पर शिक्षा के नाम पर शून्य है । हमारे क्षेत्र में अभी भी सबसे ज्यादा गरीब जिला अगर कोई है तो अररिया जिला है । हम जिस जिला से आते हैं अभी भी कुपोषण का अगर सबसे ज्यादा शिकार है तो अररिया जिला शिकार है उसमें । जानते हैं सर उसके पीछे रीजन क्या है हमारे पानी का जो जलस्तर है वह 15 फीट पर मिल जाता है हमलोगों का और लोग आसानी से ट्यूबवेल गाड़कर उससे पानी का यूज कर लेते हैं और आप आई0जी0आई0एम0एस0 देख लीजिए, आप पटना के किसी भी हॉस्पिटल में देखिएगा सबसे ज्यादा अगर बीमार लोग मिलेगें तो हमारे अररिया जिला के लोग मिलते हैं । बहुत अच्छा स्कीम था, मुख्यमंत्री जी का अच्छा प्रोजेक्ट था हमलोग धन्यवाद देते हैं उस जल–नल योजना का, उसका 10 परसेंट भी सुचारू रूप से चालू नहीं है । यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है और उससे भी दुर्भाग्य की बात हमारे यहां है पूरा बिहार में हम जिस एरिया से जिस विधान सभा से आते हैं वहां पर पूरा बिहार में मांस फैक्ट्री पहला है । पहला मांस फैक्ट्री फारबिसगंज में है जो 10 साल पूर्व में खुला था एक था, आज वहां पर लगभग 3 मांस फैक्ट्री खुल गया है । आप यहां पर सारे मंत्री जी हैं, आपलोग वहां सर्वे करवा लीजिए वहां 10 किलोमीटर के रेडियस में तरह–तरह की बीमारी उत्पन्न हो रहा है । ट्यूबवेल का जो पानी निकल रहा है उससे बदबू निकल रहा है, उससे कई तरह के

चर्मरोग और वहां के जो बच्चा भी पैदा हो रहा है वह विकलांग पैदा हो रहा है । आप पता कर लीजिए हम सदन में बोल रहे हैं एकदम हंड्रेड परसेंट सही है और सर हम 16 साल से जनप्रतिनिधि पंचायत स्तर पर रहे हैं, मुखिया रहे हैं, पैक्स का चेयरमैन रहे हैं, आज विधान सभा आए हैं और यह सच्चाई है सर और उस पर आजतक कई बार यानी कि आपलोग भी उस एरिया में कई प्रभारी मंत्री यहां से हमारे यहां गए हुए थे, कई बार वहां मुद्दा रखा गया था मगर आज तक उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई और 10 किलोमीटर के रेडियस में किसी के यहां कोई लड़का–लड़की की शादी नहीं करने जा रहे हैं, कई घर ऐसा है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है । सर आपसे निवेदन करेंगे कि इसका जांच करके जो उसमें जो प्रदूषण को भी प्रभावित कर रहे हैं उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए । दूसरा, महत्वपूर्ण है हम सीमांचल एरिया से आते हैं, फारबिसगंज बॉर्डर के एरिया में है वहां पर अभी भी कई ऐसा टोला–मुहल्ला है जो शिक्षा के नाम पर अभी भी शून्य है । सरकार का बहुत अच्छा है कि हम हर घर तक शिक्षा, स्वास्थ्य पहुंचाएं । कुछ विभाग के जो अफसर होते हैं उनकी लापरवाही से आम आदमी तक शिक्षा या सुविधा नहीं पहुंच पाती है । उपाध्यक्ष महोदय, उसका नतीजा है कि जो सबसे नीचले पायदान पर लोग बैठे हुए हैं वहां तक उनको लाभ नहीं मिल पाता है । यह महत्वपूर्ण विषय है, सभी लोग इसमें लगभग–लगभग सभी जनप्रतिनिधि हमलोग आए हैं यहां ।

टर्न–20 / यानपति / 11.02.2026

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री मनोज विश्वास : महोदय, दूसरा कि जो हमारे यहां समाज कल्याण विभाग के द्वारा कई योजना हमलोगों के यहां चल रही है, गरीब के लिए हम जो योजना चलाते हैं वह गरीब तक नहीं पहुंच पाती है उसका जिम्मेवार कौन है । उसका जिम्मेवार जो उस एरिया के अफसर होते हैं, वह जमीनी सर्वे नहीं करवा पाते हैं जो जमीन पर उसको लाभ मिल पाया । इसकी जांच करके जो दोषी है उस पर कानूनी कार्रवाई की जाय ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप कृपया आसन ग्रहण करें ।

श्री मनोज विश्वास : महोदय, धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राजीव रंजन सिंह जी, पांच मिनट है आपके पास में वक्त ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और मैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (रा0) के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी का भी आभार व्यक्त करता हूं जो मुझे इस तृतीय अनुपूरक बजट 2025–26 पर बोलने का मौका प्रदान किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को नमन करता हूं और उन्होंने एक बात कही थी कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जिस घर में सदियों से अंधेरा है । अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो हमारे बिहार, हमारे आदरणीय विकास के विकास पुरुष यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और एन0डी0ए0 सरकार के द्वारा धरातल पर उतारा जा रहा है । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने हमारे बिहार प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर में, फूड प्रोसेसिंग, शिक्षा में, रोजगार में, पर्यटन में, चिकित्सा में निरंतर बिहार में विकास कार्य किया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और एन0डी0ए0 सरकार के नेतृत्व में बिहार निरंतर प्रगति, विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और बिहार के विकास में माननीय मुख्यमंत्री जी का अहम योगदान है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत किए बजट अनुपूरक का दृढ़तापूर्वक समर्थन करता हूं । यह बजट केवल अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान नहीं है बल्कि बिहार के समग्र विकास, सामाजिक न्याय, आधारभूत संरचना के विस्तार, जनकल्याण की योजना के प्रति सरकार की स्पष्ट प्रतिबद्धता है । बिहार जैसे बड़े विकसित राज्य में समय–समय पर नई आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं, योजनाओं का दायरा बढ़ता है और जनता की अपेक्षाएं बढ़ती हैं । इस अनुपूरक बजट के अलावा विकास की गति को आगे बढ़ाने में हमारी प्रशासनिक प्रक्रिया है । विकास के प्रमुख आयाम माननीय अध्यक्ष महोदय इस तृतीय अनुपूरक बजट में सरकार के जिन क्षेत्रों में विकास पर ध्यान दिया जाता है वह सभी आम जनता के जीवन से जुड़े होते हैं । शिक्षा, विद्यालयों की आधारभूत संरचना, उच्च शिक्षण संस्थाओं का सौंदर्यीकरण और युवाओं को कौशल विकास की ओर जोर दे रहा है । स्वास्थ्य में अस्पतालों को सुविधाओं का विस्तार, दवाओं की उपलब्धता और ग्रामीण विकास सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में अतिरिक्त संसाधन, सड़क, पुल, सिंचाई, बिजली, कृषि यह केवल निर्माण कार्य ही नहीं बल्कि रोजगार, व्यापार और ग्रामीण समृद्धि के द्वार हैं । किसान, महिला, युवा और गरीब कल्याण, समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने की वास्तविकता, सामाजिक न्याय, स्पष्ट यह बजट केवल खर्च बढ़ाने का नहीं बल्कि मानव विकास को गति देने का बजट है । बदलता हुआ बिहार । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज का बिहार अतीत की छवि से बहुत आगे बढ़ चुका है । बुनियादी ढांचों का विस्तार, शिक्षा, स्वास्थ्य में सुधार, निवेश की संभावनाएं और सामाजिक समावेश यह सब परिवर्तन के संकेत हैं और तृतीय अनुपूरक बजट उसी परिवर्तन को तेज करने वाल अनुपूरक है । सुविधाओं

को विस्तार, सेवाओं के पहुंच और जनकल्याण योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंच पाता है । इसकी आलोचना की बजाय हमें राष्ट्रहित सर्वोपरि रखना चाहिए । महोदय, अभी जैसे, हमलोग जब देखते थे पूर्वकाल मे ंतो हमारे यहां बिजली की समस्या होती थी । अभी जो हमारे भाई बैठे हुए हैं, 12–12 घंटे बिजली नहीं आती थी । हमलोग पढ़ें कैसे तो लालटेन युग हुआ करता था । आज देखिए जो हमारी सरकार है निरंतर एक घंटे भी बिजली नहीं जाती है और निरंतर हमारे बिहार प्रदेश में बिजली की कमी और हमारे यहां युवाओं को करने के लिए निरंतर प्रयास, कुछ दिन पहले हमारे नेता प्रतिपक्ष ने महिलाओं पर की कि हमारी महिलाएं बिकाऊ हो गई हैं जो एक बहुत ही अभद्र टिप्पणी है । हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उन्होंने महिलाओं को सम्मान के साथ उनके सुदृढ़ीकरण का काम किया क्योंकि हमलोग चाहते हैं कि हमारी महिलाएं, किसी घर की महिलाएं सशक्त हों, समृद्ध हों तभी हमारा घर आगे बढ़ेगा, तभी हमारा विकसित बिहार आगे बढ़ने में एक अहम योगदान होगा । महोदय, मैं आपको अपने, मैं डेहरी विधान सभा की जनता का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने एन0डी0ए0 सरकार में मुझे पहली बार इस सदन में भेजने का काम किया और मैं पूरे डेहरी विधान सभा की जनता का आभार व्यक्त करता हूं । महोदय, सोन तट पर अवस्थित बाबा झारखंडी मंदिर के प्रांगण में हमारा डेहरी डालमियानगर उद्योग की धरती रही है, सरकार से मैं मांग करता हूं कि उद्योग की धरती को जो एन0एच0 कलकत्ता, दिल्ली पथ पर अवस्थित है वहां औद्योगिक नगरी बनाई जाय । उसके बाद वहां हमारे रोहतास की वादियों में रोहतास पहाड़ी है, मां तारा चंडी मंदिर है, बाबा झारखंडी मंदिर है, आगे तुतला धाम है, रोहतास किला है, ऐसी–ऐसी वादियां हैं, अगर उसे पर्यटन क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाय तो हमारे यहां रोजगार का सृजन हो । साथ–साथ हम चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहां एक महिला महाविद्यालय भी बनाया जाय । महोदय, इस आलोचना के बजाय, राज्यहित सर्वोपरि है । अध्यक्ष महोदय, तृतीय अनुपूरक बजट विकास की गति, सामाजिक न्याय की मजबूत, गरीब और वंचित के सशक्तीकरण और उज्जवल भविष्य की दिशा में...

उपाध्यक्ष : अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह : महोदय, इस बजट पर मैं अपनी तरफ से एक बात कहना चाहता हूं,

‘‘लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती,
कोशिश करनेवालों की कभी हार नहीं होती,
बिना कुछ किए हुए जय जयकार नहीं होती
कोशिश करनेवालों की कभी हार नहीं होती ।’’

हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एन0डी0ए0 सरकार और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के नेतृत्व में यह विकसित बिहार के पथ पर अग्रसर है...

उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह : अतः मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा, राजनीति, मतभेद से ऊपर उठकर बिहार और बिहारियों के हित में तृतीय अनुपूरक बजट का समर्थन करें । जय हिंद । धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अख्तरूल ईमान जी, आपके पास में 4 मिनट का वक्त है ।

श्री अख्तरूल ईमान : डिप्टी सपीकर साहब, मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझको थर्ड सप्लिमेंट्री के मौके पर बोलने का मौका दिया है । मैं समाज कल्याण पर भी अपनी बातों को रखूंगा लेकिन दो–तीन बातें मैं इशारों में कहना चाहता हूं । माननीय मंत्री आर0डब्लू0डी0 यहीं हैं, वह कहते हैं कि आप काम भी करवाना चाहते हैं और कटौती भी पेश करते हैं तो मैंने अक्सर सदन में कहा है कि हुकूमत की हैसियत सरकार की एक खूबसूरत दुल्हन की तरह होती है और आप आईना की तरह होते हैं । जो खूबसूरत दुल्हन संवरना चाहती है वह आईना देखती है । तो हमारा परामर्श लेना चाहिए । अगर आईना न देखेगी तो क्या होगा सर कि सिंदूर का श्रृंगार बिगड़ जायेगा और मांग का निखार बिगड़ जायेगा इसलिए सरकार को समझने के लिए हम आईना दिखा रहे हैं । महोदय, मामला यह है कि मैं समझता हूं कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा है कि इस सरकार को 2025–26 के बजट में इनको सबसे अधिक राशि की मांग करनी पड़ी है और सबसे बड़ी मांग है महोदय लगभग 50 परसेंट, इनका बजट आकार 3 लाख 17 हजार करोड़ का था और अगर इनके अनुपूरक बजट को देखें तो पहले का 54 हजार करोड़ इनका दूसरा सप्लिमेंट्री है, सेकंड सप्लिमेंट्री, 91 हजार करोड़ का और तीसरा अभी मांग रहे हैं 12 हजार 165 करोड़ यानी 1 लाख 58 हजार करोड़ इनका सप्लिमेंट्री बजट है । तो बजट बनाने में 10–20 फीसद का आगे पीछे हो सकता है । इसके माने ये हैं कि उनका बजट मैनेजमेंट, जो उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वह कहीं से दुरूस्त नहीं है, उसमें काफी कमी है । महोदय, दो लाख करोड़ के बजट में राज्य चल रहा है । हरेक व्यक्ति 30 हजार रुपये के कर्ज में आज के दिन में है । 94 लाख परिवार जिसकी आमदनी माननीय मुख्यमंत्री जी की ईमानदाराना कोशिश के लिए जो जात पर आधारित गणना हुई, 94 लाख फैमिली, 6 हजार की उसकी आमदनी है । यानी एक फैमिली में 4.3 आदमी अगर हो जायं तो उसकी आमदनी 14 सौ रुपया महीना है । लगभग साढ़े चार करोड़ बिहारी 14 सौ रुपया महीना पर जी रहा है, फिर भी पीठ थपथपा रहे हैं । ईमानदारी की बात करते हैं तो पूरे देश में सबसे बड़ा करप्शन यहां पर है । ज्ञान की बात

करते हैं तो ज्ञान को दफना दिया गया है । पटना यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बराबर थी वह चारागाह बन गई है । आप कहते हैं, अभी जो एक रिपोर्ट आई है, इंजीनियरिंग कॉलेज हमारा एक भी देश के मानक में, सौ कॉलेज के अंदर में नहीं है और उसके मानक में कमी होने के नतीजे ने विदेश में नौकरी पाने और मास्टर की डिग्री लेने में उनको दिक्कत हो रही है । मैं समझता हूं कि इनका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वह कहीं न कहीं से बड़ा खराब है जिसकी वजह से नुकसान हुआ है । हम और आप बैठे हैं यहां पर, देश की जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे हैं, हमें बिहार बनाना है लेकिन इस सरकार ने बिहार नहीं बनाया ।

(क्रमशः)

टर्न–21 / मुकुल / 11.02.2026

क्रमशः

श्री अखतरूल ईमान : इस सरकार ने पुनः अपनी सरकार बनाई और सरकार बनाने के खातिर इन्होंने गलत तरीके से पैसे का बंदरबांट कर दिया, मैं यह नहीं कहूंगा कि गरीबों को सब्सिडी न दीजिए, लेकिन मैं कहता हूं कि आपने 10 हजार रुपया दिया गरीब फैमिली को और मैं दावे के साथ कहता हूं कि मेरे रोटा, बैसा में आज के दिन में पुल नहीं होने के नतीजे में महीने में उनको 2 हजार, 2.5 हजार रुपये सिर्फ नाव पर पार होने का देना पड़ रहा है, 12 महीने में 25 हजार रुपये उसको देना पड़ रहा है और 10 हजार रुपया देकर ये पीठ थप–थपा रहे हैं । महोदय, ये कर क्या रहे हैं, आपने गरीबों को बिजली फ्री में दी, मैं फ्री में बिजली देने के लिए मना नहीं करता हूं लेकिन उनके बच्चों को तालीम नहीं । आज हमारे सीमांचल में और पूरे राज्य में, जैसा कि कहा भी हमारे भाजपा के एक साथी ने कि उनके गांव में हरेक परिवार में कैंसर की बीमारी है और कैंसर की बीमारी को आप राज्य आपदा या राष्ट्रीय आपदा मानिए और उसका मुफ्त ईलाज कराइये । चलिए सर, हमारे सीमांचल के सभी विधायक के फ्लैट में अगर 20 पेसेंट हैं तो उनमें 10 हमारा कैंसर का पेसेंट हैं तो यह हालात हमारे हैं सर। सर, हमारे पास वक्त नहीं हैं, मैं क्या आईना दिखाऊं, मामला यह है कि यह समाज कल्याण का बजट है सर, हमारे यहां रोटा में, अमोर में 310 आंगनबाड़ी केन्द्र हैं और 200 में भवन नहीं है और वहीं रोटा में 210 आंगनबाड़ी केन्द्र हैं और 120 में भवन नहीं है, बहुत सारी जगहों पर आंगनबाड़ी नहीं है और ये मैं बहुत दुख के साथ और तकलीफ के साथ मैं बात करूंगा नैतिकता की, सरकार चाहती है । सर, हमारे यहां बहादुरगंज में एन0एच0 पर देह व्यापार हो रहा है, बेटियां स्कूल नहीं जा पा रही हैं सर, महिलाएं शर्म से सर ढांक लेती हैं सर, रोटा बाजार में हमारे यहां सर मंदिर और मस्जिद हैं, उसके दरमियान में देह व्यापार का काम चल रहा है सर । यह सरकार क्या कराना चाह रही है, महिला को बढ़ायेंगे, पढ़ायेंगे, महिला

सड़क पर नहीं चल पा रही हैं सर, इसलिए इन देह व्यापारों पर रोक लगाया जाए । सर, मैं दो–तीन बातें अपनी करूंगा, आज बजट का इधर–उधर मिस मैनेजमेंट के नतीजे में सर, एक बात सर खाड़ी एवं रसेली का पुल का काम हमारा रुका हुआ है सर ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका समय हो गया है ।

श्री अखतरूल ईमान : सर, कोचकाटू परसराय सड़क 2017 से बंद पड़ा है, इलेक्शन बायकॉट हुआ था । बकरा ब्रिज का काम रुका हुआ है ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कृपया अपना आसन ग्रहण कर लें ।

श्री अखतरूल ईमान : सर, सिमल बाड़ी ब्रिज रुका हुआ है सर और मजकूड़ी में बाबूल टोला का पुल एप्रोच नहीं होने की वजह से....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप कृपया बैठ जाएं ।

श्री अखतरूल ईमान : कोचाधामन में आवाजाही बंद है, जरा इसको करा दिया जाए । बहुत–बहुत शुक्रिया ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री रत्नेश कुमार जी ।

श्री रत्नेश कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत–बहुत धन्यवाद, मुझे इस सदन में बोलने का मौका दिया गया, इसके लिए मैं सदन के नेता, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार सिन्हा जी को धन्यवाद करता हूं । महोदय, आज मैं खड़ा हुआ हूं वित्तीय वर्ष 2025–26 के तृतीय अनुपूरक व्यय–विवरणी के समर्थन में और जब मैं बोलने के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूं तो महोदय, आज बिहार विकासशील राज्य से विकसित बिहार की तरफ अपनी रफ्तार को पकड़ लिया है । जो बिहार में बजट प्रस्तुत हुआ है 3 लाख 47 हजार करोड़ का वह अपने आप में बिहार को विकसित बिहार बनाने की तरफ एक महत्वपूर्ण कड़ी है । बिहार की अर्थव्यवस्था, हम सभी को पता है कि 8.6 परसेंट से वृद्धि कर रही है, जबकि भारत के सापेक्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 6.5 परसेंट के रफ्तार से महोदय आगे बढ़ रही है । बिहार में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के दोनों के संयुक्त प्रयास से बिहार में विकास की एक नई रफ्तार और नई गाथा लिखी जा रही है । बिहार का फिजिकल डेफीसिट आज 3 प्रतिशत से भी कम हो रहा है जोकि 16वें फाइनेंस कमीशन के रिकमंडेशन और मानकों पर खड़ा उतर रहा है, हमारा कमिटेड एक्सपेंडिचर बिहार का सिर्फ 46 प्रतिशत है महोदय, जिसको इस बार अनुमानित की गयी है, जबकि केन्द्र सरकार का 65 प्रतिशत है । महोदय, जब हमारा कमिटेड एक्सपेंडिचर कम होगा तो हम सैलरी, पेंशन और उसके अलावा कई तरह के विकास के कार्यों को कर सकते हैं और बिहार उस तरफ अपने कदम को बढ़ाकर आगे चल रहा है । महोदय, इस बार का जो बजट आया, उस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण और पुलिसिंग में पूरे देश के जो

फाइनेंसियल रिकमंडेशन किया गया, जो बजट एलोकेशन किया गया उसमें बिहार अग्रणी है पूरे देश के मानकों पर । एजुकेशन में इस बार 21.7 परसेंट का एलोकेशन बिहार के बजट में किया गया है, जबकि अगर पूरे देश के राज्यों का एवरेज लिया जायेगा तो 14.3 परसेंट हमारा बजट एलोकेशन शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा है । अगर हेल्थ में देखते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो उसमें भी हमलोग 6.3 परसेंट हमलोग का हेल्थ का जो एलोकेशन इस बार हुआ है बजट में, वह पूरे देश के एवरेज के अनुपात में 6.2 परसेंट ज्यादा है । हमारे यहां बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और उसमें भी हमलोगों ने 9.4 प्रतिशत का एलोकेशन किया है जो राष्ट्रीय मानक के 4.8 परसेंट ज्यादा है । महोदय, हमारे यहां सुरक्षा के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है, हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय गृह मंत्री जी भी होम डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं और बिहार में सुरक्षा अच्छे से प्रदान हो तो उसमें भी जो बजट का एलोकेशन 5.2 परसेंट हुआ है वह भी राष्ट्रीय मानक पर लगभग 4 प्रतिशत की ज्यादा योजना बनी है । महोदय, इस बार किसानों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय नीतीश कुमार जी को और कृषि मंत्री जी को जिन्होंने 3 हजार का सालाना प्रावधान अलग से किया गया है, जो पी0एम0 किसान सम्मान निधि के अतिरिक्त हमारे किसानों को दिया जायेगा, निश्चित तौर पर किसान की अपलिफ्टिंग के लिए, किसान को सहयोग के लिए बिहार अपने आप में ऐसा राज्य है जो इस प्रकार का कदम उठाया है और उसके लिए बिहार सरकार को धन्यवाद देने का हमलोग आग्रह करते हैं महोदय । महोदय, मुख्यमंत्री महिला रोजगार की योजना के तहत से 1.56 करोड़ महिलाओं को 10 हजार रुपया दिया गया है और आगे भी उनके लिए 2 लाख रुपये देने की योजना बनाई गयी है महोदय । महोदय, अभी हमारे विपक्ष के साथी कह रहे थे कि हमलोग जो 10 हजार रुपया दिये हैं सिर्फ बकरी पालन के लिए दिये हैं लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां औद्योगिकीकरण के लिए, हमारे युवाओं के लिए, यहां स्टार्टअप के लिए बिहार पूरे देश में अव्वल राज्य रहा है जहां सबसे ज्यादा लोन सेंक्शन का रिकमंडेशन दिया गया है, नम्बर ऑफ एप्लीकेंट्स जिनका बढ़ाया है उद्योग विभाग ने वह 45 हजार 226 है और उसमें से जो बैंक ने लोन सेंक्शन किया है महोदय वह 9 हजार 239 है और जो टोटल पैसा एलोकेट हुआ है बैंकों के द्वारा उद्योग में, वह लगभग 2 करोड़ 67 लाख 78 हजार करोड़ रुपये है महोदय, यह बिहार के औद्योगिक क्रांति और रोजगार के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है, हमलोग मछली पालन, गो पालन से लेकर इंडस्ट्रीलाइजेशन तक कमिटेड सरकार है और उस दिशा में हमलोग काम कर रहे हैं । महोदय, बिहार द्वारा आज हमारा इंडस्ट्रीलाइजेशन पर जो हमारी सरकार कटिबद्ध है, हमारे यहां जो पॉलिसिज आ रही है वह पूरे देश और पूरी दुनिया के निवेशकों को आकर्षित कर रही है

महोदय । महोदय, आज बिहार एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी–2024, बिहार परचेज प्रीफरेंस पॉलिस–2024, बिहार टेक्सटाइल एण्ड लेदर पॉलिसी–2024 और बिहार इन्डस्ट्रीयल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी–2025 जैसी योजनाएं पूरे देश के औद्योगिक घरानों को हमलोग के यहां निवेश करने के लिए आकर्षित कर रही है । महोदय, हमारे यहां पहले 86 इंडस्ट्रीयल एरिया होती थी, आज हमारे यहां वह बढ़कर 94 हो गया है । माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बिहार में दो ए0सी0 जेड की परिकल्पना स्थापित की और वह हमारा साकार जमीन पर हो गया है, बक्सर के नावानगर में और बेतिया के कुमारबाग में दो स्पेशल इक्नॉमिक जोन हमारे यहां बन रहा है । महोदय, इंडस्ट्रीयल कोरिडोर की बात है, हमारे यहां गया में इंडस्ट्रीयल कोरिडोर बन गया है और उस इंडस्ट्रीयल कोरिडोर में लगभग 16 हजार करोड़ के इन्वेस्टमेंट की योजनाएं बन रही हैं जो बिहार को विकासशील से विकसित की तरफ ले जायेगी । बिहार आज हर जगह बढ़ रहा है महोदय, बिहार आज रोड के क्षेत्र में थर्ड हाइएस्ट रोड डेंसिटी वाला राज्य है, बिहार में चार कार्यरत एयरपोर्ट है और लगभग 50 कि0मी0 के दायरे में बिहार के सीमांकन पर चार और एयरपोर्ट है, बिहार का कोई भी एयरपोर्ट 100, 125 कि0मी0 पर आज आपको एक एयरपोर्ट मिलेगा । बिहार इन्फ्रास्ट्रक्चर के मामले में आज पूरे देश और दुनिया में एक उदाहरण के रूप में आगे बढ़ रहा है । इस बार मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मोदी सरकार को कि इस बार उनके बजट में केन्द्र सरकार ने बिहार को बुलेट ट्रेन के कोरिडोर से जोड़ा है, दिल्ली से चलने वाली जो बुलेट ट्रेन बनारस तक आयेगी और बनारस से सिलीगुड़ी वाला कोरिडोर पटना होता हुआ गुजरेगा तो बिहार में निवेश को, बिहार में इंडस्ट्रीलिस्ट को और सबको सहूलियत मिलेगी और बिहार में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट बुलेट ट्रेन के कार्य क्षेत्र में काम करने के लिए मिलने जा रहा है । महोदय, बिहार में अपनी जरूरतों के हिसाब से इंडस्ट्रीयल जरूरतों के हिसाब से लगभग 2400 मेगा वाट का नया प्लांट भागलपुर में आने जा रहा है, जिसमें 26 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट भागलपुर जिले में होने जा रहा है । ड्राइ पोर्ट में हमलोग, बिहटा में ड्राइ पोर्ट का स्थापना कर रहे हैं, हमलोग के यहां कहा जाता था कि हमलोग लैंड लॉक स्टेट हैं तो हमारी सरकार ने एक ड्राई पोर्ट की स्थापना की और वहां पर गुणवत्तापूर्ण मानक जिससे की हम एक्सपोर्ट करें तो वर्ल्ड क्लास एक्सपोर्ट हो सके तो उस एक्सपोर्ट को बनाने के लिए, पैकेजिंग के लिए वहां एक अलग संस्था बनाकर और वहीं से सीधे हमलोग देश–दुनिया में हमारे बिहार से निर्मित प्रोडक्ट को भेज सकते हैं वैसी ड्राई पोर्ट की स्थापना हमारे यहां किया जा रहा है । महोदय, शिक्षा की बात की जा रही है, आज बिहार ही ऐसा राज्य है जहां दो–दो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आई0आई0टी0, आई0आई0एम0, चाणक्या लॉ यूनिवर्सिटी जैसे क्षेत्र हमारे यहां स्थापित हुए हैं ।

क्रमशः

टर्न–22 / सुरज / 11.02.2026

(क्रमशः)

श्री रत्नेश कुमार : महोदय, हमलोग भी जब पढ़ रहे थे तो हमलोगों के लिये इस तरह के उच्च मानक वाले महाविद्यालयों में पढ़ने के लिये हमारे उम्र के लड़कों को बाहर जाना पड़ता था । आज वह सारी सुविधाएं बिहार में उपलब्ध है और इसका कारण आज की हमारी बिहार और केन्द्र सरकार की डबल इंजन की सरकार है । महोदय, बिहार के सर्वांगीण विकास में अगर हमलोग आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि है । उनके इस पुण्यतिथि के अवसर पर अगर हमलोग उनका जो सिद्धांत था, हम सभी लोग मानते हैं अंत्योदय और अंत्योदय की बात करते हैं तो समाज कल्याण विभाग अपने–आप उसमें आता है और उस क्षेत्र में समाज कल्याण विभाग आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पुण्यतिथि पर उनके चरणों में श्रद्धा–सुमन अर्पित करते हुये मैं बताना चाहूंगा कि आज राज्य के वृद्धजनों, दिव्यांग एवं असहाय लोगों के लिये जो सुरक्षा पेंशन संचालित है वह जून 2025 से उसको बढ़ाकर 1100 कर दिया गया है । आगामी 2025–26 के लिये 15 हजार 853 करोड़ रुपया उस मद में आवंटित है । बिहार के पिछड़े, अति–पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिये लगभग 53 हजार छात्रों के लिये 919 करोड़ रुपया देकर और समाज को मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया जा रहा है । महोदय, बिहार के समाज कल्याण विभाग द्वारा अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिये...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आपके पास केवल 1 मिनट का वक्त है ।

श्री रत्नेश कुमार : महोदय, अंतिम कर रहे हैं लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि इतना सरकार काम कर रही है । बस एक तरफ ध्यान आकृष्ट करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि पटना साहिब बिहार के विरासत की राजधानी है, उसको एक हेरिटेज कैपिटल के रूप में सरकार डेवलप करे । आज वहां पर गुरू गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली पटना साहिब, गुरूद्वारा है । माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका बहुत अद्वितीय विकास किया है लेकिन एक हेरिटेज कैपिटल के रूप में मां पटन देवी का कोरिडोर बना दिया जाए और साथ में गुलजारबाग स्थित स्थूलीभद्र जैनों का पवित्र स्थल है । भगवान चैतन्य महाप्रभु द्वारा स्थापित श्याम मंदिर है । माता सीता का चरण पादुका हमारे क्षेत्र में है । भगवान राम की स्थली है, चाणक्य की गुफा है, सम्राट अशोक की राजधानी रही है । इन सबको जोड़ते हुये बिहार के विरासत की राजधानी के रूप में पटना साहिब का विकास यह सरकार करे । ऐसी सरकार से अपेक्षा है और अंतिम बात हमारे विपक्ष के बड़े भाई, वरिष्ठ साथी कह रहे थे कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है लेकिन शोषित करने वाला कौन है महोदय । शोषक कौन है ? आज आलोक मेहता जी जैसे सीनियर आदमी विपक्ष के नेता

नहीं बनते हैं क्योंकि शोषण करने वाला दूसरा है । शोषण वह कर रहा है जो अपने रह रहा है । सजायाफ्ता होने के बावजूद वह सरकार में है । शोषण वह कर रहा है जो अपने सजायाफ्ता होने के बावजूद पत्नी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं । शोषण वह कर रहा है जो बेटी को सिंगापुर से लाकर यहां टिकट दिला दे रहा है । शोषण वह कर रहा है जो अपने बेटों को, सालों को मुख्यमंत्री, सदन का सदस्य बना दे रहा है । ऐसे शोषकों से बदलना है न कि वैसे शोषक जो शोषित कर रहे हैं । शोषित कौन है वह आज के डेट में हमलोगों को चिन्हित करना होगा और शोषक कौन है वह चिन्हित करना होगा...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अब आप अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री रत्नेश कुमार : बहुत–बहुत धन्यवाद महोदय ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री संदीप सौरभ जी । मात्र 1 मिनट का वक्त है । गागर में सागर भरिये ।

श्री संदीप सौरभ : उपाध्यक्ष महोदय, हर जख्म पर 2005 का मरहम लगा देते हैं । आज का सच पूछो तो आंकड़ों में छुपा देते हैं । महोदय, 6 साल हो गया हमलोगों को सदन में आये हुये और यह 18वीं विधान सभा है । कायदे से सरकार को 17वीं विधान सभा के बाद क्या–क्या विकास हुआ इसका आंकड़ा देना चाहिये था लेकिन हर बात में 2005 से तुलना हो रहा है और 6 साल से लगातार यही हो रहा है । सदन को और पूरे बिहार की जनता को इसके माध्यम से गुमराह किया जाता है । एक बात हम कहना चाहेंगे कि चलिये 2005 से ही आप तुलना कीजिये लेकिन 2005 में विकास के तमाम अलग–अलग पैमानों पर राष्ट्रीय आंकड़ा क्या था, आज राष्ट्रीय आंकड़ा क्या है । 2005 में गुजरात कहां था, आज गुजरात कहां है ? 2005 में महाराष्ट्र कहां था, आज महाराष्ट्र कहां है ? देश के तमाम राज्यों की तुलना कीजिये । एक आंकड़ा सरकार रखे सदन के सामने तब 2005 पर बात होगी । तब आसानी से बात हो सकती है लेकिन उस पर बात सरकार कर नहीं रही है । महोदय, जल्दी में हम दो–तीन प्वांइट रखना चाहेंगे । महोदय, सरकार ढिंढोरा पीट रही है कि हमने बहुत ज्यादा एजुकेशन के ऊपर बजट दे दिया । एजुकेशन का डेवलपमेंट क्या है इसको नापने का एक पैमाना है ग्रॉस इनरॉलमेंट रेशियो । अब सीनियर सेकेंडरी जो है 11^{th} और 12^{th} है उसमें राष्ट्रीय ग्रॉस इनरॉलमेंट रेशियो जो है देश का 58.4 परसेंट, बिहार का है 38 परसेंट । देश में सबसे नीचे ये बिहार है । 9^{th} और 10^{th} में 78.7 प्रतिशत है देश का और 51 प्रतिशत है बिहार का । महोदय, तो सरकार कर क्या रही है, आंकड़ों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है । महोदय, एक महत्वपूर्ण बात बस रख देना चाहते हैं। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आई0सी0डी0एस0 में लगभग 2500 महिलाएं पर्यवेक्षिका के रूप में पिछले 13 साल से काम कर रही हैं । 264 महिलाओं ने पर्यवेक्षिका को

नियमितीकरण के लिये हाईकोर्ट में अपील किया था, हाईकोर्ट ने कहा कि 90 दिनों के अंदर सरकार विचार करे कि इनको परमानेंट करना है । हाईकोर्ट के आदेश के उपरांत लगभग 10 से 15 साल तक लगातार काम करने के बाद, नियमित प्रवृत्ति का काम करने के बावजूद महिला पर्यवेक्षिकाओं को अभी तक परमानेंट नहीं किया गया है...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अब आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्री संदीप सौरभ : उन्हें केवल 27500 रुपये मिल रहे हैं । समाज कल्याण विभाग के माननीय मंत्री जी यहां हैं । हम चाहते हैं कि उनका नियमितीकरण किया जाय और कोर्ट का आदेश सरकार माने । यह बात हम आपके सामने रखना चाहते हैं

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अब आप अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री संदीप सौरभ : महोदय, लास्ट में एक शेर बस कह देना चाहते हैं कि :

कल की राख से आज का आईना चमकाते हैं,
सवाल आज का हो तो जवाब में बीता कल सुनाते हैं
।

धन्यवाद महोदय ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सतीश कुमार सिंह यादव जी । आपके पास एक मिनट का वक्त है ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग के तृतीय अनुपूरक बजट पर बोलने का मौका देने के लिये । महोदय, समाज कल्याण विभाग में सामाजिक सुरक्षा एवं पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं को मिलने वाले पेंशन को 11 सौ से 22 सौ बढ़ाने की मैं मांग करता हूं । वृद्धजनों को मिलने वाली वृद्धा पेंशन को भी 11 सौ से बढ़ाकर 22 सौ की जाए । साथ ही दिव्यांग पेंशन योजना के तहत दिव्यांगों को मिलने वाला पेंशन 11 सौ से बढ़ाकर 22 सौ किया जाए । क्योंकि महोदय महीने में 11 सौ रुपये के हिसाब से 1 दिन में मात्र 36 रुपये पड़ते हैं । 36 रुपये में एक समय का भोजन भी नहीं मिल सकता है । इसलिये मेरी मांग है कि इसको बढ़ाया जाए । साथ ही, दिव्यांगों को निःशुल्क बैट्रीचालित ट्राई साईकिल की जो पात्रता है वह 60 प्रतिशत दिव्यांगता है, हमारी मांग है कि इसको घटाकर 40 प्रतिशत किया जाए ताकि 40 प्रतिशत दिव्यांगता वाले दिव्यांगों को भी निःशुल्क ट्राई साईकिल मिल सके । साथ ही, समाज कल्याण विभाग के तहत मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत गरीब परिवार को मिलने वाला 5 हजार रुपया बहुत ही कम है, इसे भी बढ़ाकर कम से कम 50 हजार रुपये किये जाए क्योंकि मंहगाई बहुत है...

उपाध्यक्ष : अब आप अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : साथ ही, कबीर अंत्येष्ठि के तहत मिलने वाला 3 हजार रुपया भी बढ़ाकर कम से कम सरकार 30 हजार करे । धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अजय बाबू । आपके पास 01 मिनट का वक्त है ।

श्री अजय कुमार : महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हूं । खास करके आज समाज कल्याण विभाग पर चर्चा हो रही है और मैं कहना चाहता हूं कि समाज कल्याण विभाग में इतना भ्रष्टाचार है, जिसको सभी लोग जानते हैं । जो आंगनबाड़ी सेविका है, वह टी0एच0आर0 पर दस्तख्त कराने के लिये, रजिस्टर पर दस्तख्त कराने के लिये जब जाती है तो 3 हजार रुपया हर जगह उसका फिक्स है । बिना 03 हजार रुपया लिये हुये पूरे बिहार में हस्ताक्षर नहीं होता है । दूसरी बात इससे ज्यादा और भ्रष्टाचार का क्या हो सकता है कि आंगनबाड़ी में बच्चों के लिये एक फल उसके लिये लाजिमी किया और उस फल के लिये कीमत कितना दिया, एक रुपया मात्र । क्या एक रुपया में कोई एक फल मिलता है क्या? कहीं नहीं मिलता है । तीसरी बात, उससे जुड़ा हुआ मैं कहना चाहता हूं कि लाभार्थी के लिये एफ0आई0एल0 जो दिया है उसमें फेस कैप्चर के लिये मोबाईल चाहिये और गरीब बच्चे वहां पर जाते हैं तो मोबाईल उनके पास कहां है जो वह लेकर के जायेंगे, वह लाभ से वंचित हो रहे हैं इसलिये इसको रेक्टिफाई करना चाहिये । दूसरा विकलांग के लिये मैं कहना चाहता हूं जो पिछले 4 साल में डेटा बताता है कि मात्र 28 हजार 441 बैट्रीचालित ट्राई साईकिल दी गयी जबकि उसकी संख्या पूरे बिहार के अंदर 36 लाख है ।

(क्रमशः)

टर्न–23/धिरेन्द्र/11.02.2026

...क्रमशः....

श्री अजय कुमार : महोदय, अगर इसको जोड़ा जाय, हमें लगता है कि 20 साल लगेगा तब वह पूरा होगा । आखिरी बात इसके साथ जोड़ते हुए हम कहना चाहते हैं कि ट्राई–साईकिल तो आप दे रहे हैं लेकिन वह जब खराब हो जाता है तो उसकी मरम्मति के लिए आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है और एक बात कहना चाहता हूँ कि एक विकलांग के लिए आप जो स्कूल बनाये हैं खासकर ब्लाइंड बच्चों के लिए, ब्लाइंड बच्चों के लिए जो स्कूल खोले हैं, तीन स्कूल पूरे बिहार में है । दो पटना में...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका समय हो गया है ।

श्री अजय कुमार : महोदय, बस खत्म ही कर रहे हैं । महोदय, दो पटना में है और एक दरभंगा में है बाकी 38 जिलों में से दो जिलों में है और 36 जिलों में स्कूल नहीं है । वहां के विकलांग बच्चे कैसे पढ़ेंगे, इसकी चिंता सरकार को करनी चाहिए और उस विकलांग विद्यालय में साईंस की पढ़ाई नहीं हो रही है,

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कृपया आसन ग्रहण करें ।

श्री अजय कुमार : महोदय, उसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता जी । आपके पास एक मिनट का वक्त है ।

श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता : महोदय, पता है । महोदय, आज सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अनुपूरक बजट पर बात होनी है लेकिन मैं कुछ और ही बात करना चाहता हूँ, हुजूर । महोदय, जब तक 2005 की चर्चा न हो इन लोगों के पेट का पानी पचता ही नहीं है लेकिन मैं बता दूं कि बिहार के दो विभूति आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पढ़ते, देखते बड़ा हुआ हूँ । ये दोनों ने अपना नाम देश में बड़ा किये हैं । मैं छोटा बच्चा था और अपनी माँ के साथ गोबर चुनता था और आज यहाँ खड़ा हूँ । अगर लालू प्रसाद यादव जी नहीं होते तो आई॰पी॰ गुप्ता would have not been here. That is the development 2005, 2005 के डेवलपमेंट की बात करनी है तो आई॰पी॰ गुप्ता को देखो, He is here simply because of Lalu Prasad Yadav Ji. नंबर–2, मैं राजनीति के किसी भी समय में, किसी भी मंच पर सार्वजनिक जीवन में आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के बारे में अपनी राय नहीं बदल सकता । मैं इनको देखते बड़ा हुआ हूँ, मुझे आज भी रिग्रेट है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी आज प्रधानमंत्री होते तो ये जो घुटनाटेक एग्रीमेंट हो रहा है ट्रंप के आगे, वह नहीं होता और लालू यादव जी नहीं होते तो ये जो दुनिया का सबसे बड़ा रिसोर्स होता है ह्यूमन रिसोर्स, आज लाखों दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कृपया आसन ग्रहण करें ।

श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता : महोदय, यहां नहीं होते, हुजूर ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका समय हो गया है ।

श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता : महोदय, लेकिन पेट वाला पानी नहीं पचेगा । आप बात कीजिये न आंकड़ों पर, आप अगर सोशल जस्टिस की बात करेंगे तो दुनिया भर के, आप Fisical Deficit की बात करते हैं तो आप समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है ? depth to fisical deficit मालूम है...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप आसन की ओर देखें ।

श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता : महोदय, लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का नाम लेकर बार–बार आप इस तरह की बातें करते हैं....

उपाध्यक्ष : माननयी सदस्य, आप कृपया आसन ग्रहण करें ।

श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता : महोदय, जब टिकट नहीं मिलेगा तो उधर ही दौड़ियेगा । लालू जी टिकट दे दीजिये ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राहुल कुमार सिंह जी ।

श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता : महोदय, इसलिए वैसी बात मत बोलिये ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कृपया आसन ग्रहण करें ।

श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता : महोदय, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारे लिए हमेशा श्रद्धेय रहेंगे, इस बात को ध्यान रखिये ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका समय हो गया है ।

श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता : इसलिए जो मुद्दा है उस पर डिस्कस किया कीजिये....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राहुल कुमार सिंह जी । आपके पास आठ मिनट का वक्त है ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आप कृपया बैठ जाएं ।

श्री राहुल कुमार सिंह : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझ जैसे फर्स्ट टाईमर को समाज कल्याण के संवेदनशील विषय पर अपना विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिला है । मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय मंत्री आदरणीय श्री श्रवण कुमार जी का जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया है । महोदय, पिछले 20 वर्षों से एन॰डी॰ए॰ की सरकार ने Two fold development के model पर काम किया है । Development from Top and Development from Below. Development from Top की बात करें तो पथ निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र किसी राष्ट्र या प्रांत के लिए समुचित विकास के स्तंभ का कार्य करते हैं । गत वर्षों में एन॰डी॰ए॰ की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इन सभी स्तंभों को अपने खून–पसीने से सींच कर एक नवीन बिहार की आधारशीला को एक कुशल कारिगर की भाँति गढ़ा है । Comparative Analysis के लिए 2005 की ओर देखना पड़ता है, विपक्ष के लोग नाराज होते हैं । जब वर्ष 2005 में हमारी सरकार आयी...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, टोका–टोकी नहीं करें ।

श्री राहुल कुमार सिंह : महोदय, वर्ष 2005 में हमारी सरकार आयी तो हमें विरासत में क्या मिला ? हमें मिले गड्ढे, सड़क में गड्ढे, राशन में गड्ढे, भाषण में गड्ढे, तेल में गड्ढे, चारा घोटाले में गड्ढे, शिक्षा में गड्ढे, स्वास्थ्य में गड्ढे, सुरक्षा में गड्ढे, इन 20 सालों में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, ये गड्ढे न सिर्फ भरे गए....

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठे–बैठे नहीं बोलें ।

श्री राहुल कुमार सिंह : महोदय, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर के पिलर पर एक नवीन और आधुनिक भारत का निर्माण किया गया । वहीं दूसरी ओर जब हम Development from Below की बात करते हैं तो हम ये पाते हैं कि आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अंतिम पायदान के साथ–साथ हर पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति और महिला के विकास और सम्मान का ख्याल रखा गया है । एक तरफ जहाँ हमने विकास के नये कृतिमान स्थापित किए वहीं दूसरी ओर एक बुजुर्ग महिला

के हाथों में 1100 रुपये की पेंशन राशि भी रखी । 1100 रुपये की पेंशन राशि एक बुजुर्ग महिला के हाथ में, एक विधवा के हाथ में, एक दिव्यांग के हाथ में, क्योंकि हम अपने बुजुर्गों का ख्याल रखते हैं । अब कोई छोटा बच्चा अपनी दादी के पास दौड़ कर जाता है और कहता है– 'ए अईया, हमरा मलाई बर्फ खाई खातिर पाँच गो रुपया द' तो उस बुजुर्ग महिला को किसी का मुँह नहीं देखना पड़ता, वह अपने आंचल से झट से निकालकर अपने नाती–पोते के लिए देने भर का इंतजाम हमारे मुख्यमंत्री ने कर दिया है । महोदय, वर्षों से इस बुजुर्ग महिला को इंतजार था कि कोई सरकार आये जो उनके बारे में भी सोचे । फिर श्री नीतीश जी की सरकार ने यह इंतजार खत्म किया क्योंकि हम अपनी महिलाओं का ख्याल रखते हैं । व्यक्तिगत अनुभव के सहारे मैं बता सकता हूँ कि चुनाव के दौरान मैं वोट मांग रहा था और एक बुजुर्ग महिला के मैंने पैर छूए, वोट मांगा तो उन्होंने कहा कि खुश रह लेकिन वोटवा तो हम नीतीशे के देम तो हम कहें काहे खियाव तारे, She said and I quote, खियाव तारे, जियाव तारे त उनका के न देम त केकरा के देम, अगर हमरा के यहां पांच गो वोट रही त पांचों वोट हम नीतीशे कुमार के देती । समाज कल्याण की जो आधारशीला हमारे मुख्यमंत्री जी ने रखी है उसी का पारितोषिक है कि आज हम सदन में इस प्रचंड बहुमत के साथ खड़े हैं । महोदय, नवंबर, 2025 में...

(व्यवधान)

आ रहा हूँ आप पर भी । एक माले वाले को पटक कर आया हूँ और आपके पास भी आउंगा ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप आसन की ओर देख कर बोलें, आपका समय बीत रहा है ।

श्री राहुल कुमार सिंह : महोदय, नवंबर, 2025 तक 01 करोड़ 15 लाख 61 हजार पेंशनधारी को खाते में भुगतान कर दिया गया है । नवंबर, 2025 तक और वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए, सौरभ जी सुनियेगा, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए 15,853 करोड़ रुपये की स्वीकृति दे दी गयी है । इनका तो टोटल बजट ही 24 हजार करोड़ का था, यहां तो हमने 16 हजार करोड़ बुजुर्गों को दे दिया । 24 हजार करोड़ के बजट की बात करते हैं, यहां हमने 16 हजार करोड़ अपने बुजुर्गों के हाथ में उनके सम्मान के लिए दे दिया ।

(व्यवधान)

आते हैं, आप पर भी आयेंगे । महोदय, हम सहारा और संकल्प जैसी योजनाओं के माध्यम से बुजुर्गों छः जिलों में वृद्धाश्रम बनाकर देते हैं और दिव्यांगों को, दिव्यांग कहा जाता है विपक्ष के साथी ध्यान से सुनें, दिव्यांगों को कृत्रिम अंग

एवं सहायक उपकरण तथा ट्राई साईकिल, व्हिल चेयर, कैलिपर्स, स्वरयंत्र, ब्लाइंड स्टीक आदि निःशुल्क प्रदान किये जाते हैं

...क्रमशः....

टर्न–24 / अंजली / 11.02.2026

(क्रमशः)

श्री राहुल कुमार सिंह : लेकिन विपक्ष का इन बातों से कोई लेना देना है नहीं । विपक्ष नेता प्रतिपक्ष को खोजने में परेशान हैं, हम चाहते हैं कि वे आएं, कहां हैं नेता प्रतिपक्ष, मेरे सीनियर भाई बिजेन्द्र जी इन्हें चिट्ठियां लिख रहे हैं । कहते हैं कि–

''गुलों में रंग भरे, बाद–ए–नौ–बहार चले,
अरे चले भी आओ कि विपक्ष का कारोबार चले,
और आओ तो सदन की गरिमा का एहसास रखा करो,

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : आप अपना भाषण संक्षिप्त करें ।

(व्यवधान)

श्री राहुल कुमार सिंह : बैठिये–बैठिये । धैर्य रखिए । माले के बाबू साहब, धैर्य रखिए । बैठिए–बैठिए ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : हल्ला नहीं, शांति बनाए रखें । माननीय सदस्य, बैठ जाएं । माननीय सदस्य, इधर देखें । माननीय सदस्य आसन की ओर मुखातिब हों ।

श्री राहुल कुमार सिंह : महोदय,

''आओ तो सदन की गरिमा का एहसास रखा करो,
यह सदन है, यहां काबू में अपने होश–ओ–हवास रखा करो ।''

महोदय, मैं अर्ज कर रहा था कि दिव्यांग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री दिव्यांग उद्यमी योजना...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप अपना आसन ग्रहण करें । माननीय सदस्य, आपका वक्त हो गया है ।

श्री राहुल कुमार सिंह : एक मिनट महोदय । दिव्यांगों की बात कर रहा हूं, एक मिनट और लूंगा महोदय । आशा गृह और ऐसी तमाम योजनाएं हैं जो हमारे दिव्यांग बच्चों को सहारा, प्रोत्साहन और सम्मान देती है । हमारे दिव्यांग बालक और बालिकाएं एन0डी0ए0 की सरकार में कभी उपेक्षित नहीं रहेंगी ।

उपाध्यक्ष : अब आप बैठ जाएं ।

श्री राहुल कुमार सिंह : वह हमारा ही हिस्सा है और हम अपने दिव्यांग बच्चों...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री राहुल कुमार सिंह : एक मिनट महोदय । दिव्यांगों की बात हो रही है महोदय । एक मिनट, दिव्यांगों के लिए । महोदय, और उनके प्रति संवेदनशील रहकर उन्हें

मुख्यधारा में स्वच्छंद प्रवाह करने के लिए प्रोत्साहित करते रहेंगे और हम सरकार में हैं क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि–

''परहित बस जिन्ह के मन माहीं । तिन्ह कहुँ जग दुर्लभ कछु नाहीं ।''

दूसरे का हित जिसके मन में बसा है, उसको कभी कोई हरा नहीं सकता है और..

उपाध्यक्ष : आप कृपया आसन ग्रहण करें माननीय सदस्य ।

श्री राहुल कुमार सिंह : नारे की बात चली थी हुजूर, तो नारे में मैं याद दिला दूं, मैं पांच वर्ष का था, पांचवीं कक्षा में पढ़ता था, बक्सर जिला में एक लाख लोग इकट्ठे होकर यह नारा देते थे कि भूरा बाल साफ करो और उसके बाद यह नारा देते थे...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन ग्रहण करें ।

श्री राहुल कुमार सिंह : उसके बाद जे0एन0यू0 में यह नारा लिखा जाता है कि ब्राह्मण भगााओ, बनिया भगाओ, भारत छोड़ो यह नारा लिखा जाता है और मेरी बात याद रखिएगा...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री ललन राम जी । 4 मिनट का वक्त आपके पास है ।

(व्यवधान)

आप बैठ जाएं । बैठ जाएं । माननीय सदस्य, आसन ग्रहण करें । माननीय सदस्य, बैठ जाएं ।

श्री ललन राम : बैठिये–बैठिये । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत–बहुत धन्यवाद और साथ ही साथ, हमारे हम पार्टी के संरक्षक भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री और बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जीतन बाबू को धन्यवाद देते हैं और हम आदरणीय डॉक्टर संतोष सुमन जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको भी धन्यवाद देते हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को द्वेय माननीय उप मुख्यमंत्री जी और धन्यवाद देते हैं सभी माननीय मंत्री जी को, आदरणीय विजय कुमार चौधरी जी को, श्रवण बाबू को और साथ ही साथ इस सदन में बैठे सभी सम्मानित सदस्यगण, सदस्यागण और बिहार के सभी जनता को, जो अपार मत से जनादेश दिए हैं और पक्ष और विपक्ष दोनों को जिताने का काम किए हैं इसलिए बिहारवासियों को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं । साथ ही साथ, कुटुंबा के देवतुल्य जनता को भी आभार प्रकट करते हैं जो हमें सदन में भेजने का काम किए हैं ।

मैं आज समाज कल्याण विभाग के बजट के तृतीय अनुपूरक के अनुदान के पक्ष में, सरकार के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण एक अहम विभाग है । गरीब–गुरबा के सबसे निम्न स्तर के जो बच्चे होते हैं, छोटे–छोटे बच्चे होते हैं, उनके पोषाहार से लेकर, कपड़ा–लत्ता से लेकर पढ़ाने तक और उनके पालन–पोषण करने का दायित्व सरकार अपने ऊपर ली है । महिला की इसमें बहुत बड़ी जवाबदेही है । महिला विधवा, विकलांग पेंशन और समाज कल्याण में बहुत से जो अनुसूचित जाति/जनजाति सभी कल्याण के कार्य यह विभाग करती है और माननीय नीतीश कुमार जी ने इस विभाग का अपने ढंग से हमेशा मॉनिटरिंग करते रहते हैं और पहले की जो स्थिति थी, अभी साथी लोग बड़े आवेश में आ जाते हैं, आप लोग से मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष अगर नहीं हो तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में खूबसूरती नहीं रहेगी, लेकिन आप लोग खूबसूरती को बदसूरती में बदल देते हैं, आप लोग सरकार का उत्तर भी नहीं सुनते हैं और भाग जाते हैं ।

उपाध्यक्ष : एक मिनट का वक्त है माननीय सदस्य ।

श्री ललन राम : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि बिहार में जो विकास की गंगा बही है, सतरंगी विकास हुआ, चहुँमुखी विकास हुआ है, विकास का माननीय नीतीश कुमार जी ने जो लकीर खींचे हैं, इस लकीर को भविष्य में भी कोई काट नहीं सकता है, माननीय नीतीश कुमार जी इतना बढ़िया काम बिहार में किए हैं जिसका कभी कोई तोड़ नहीं है । मैं माननीय नीतीश कुमार जी की प्रशंसा इसलिए नहीं करता हूं कि आज नीतीश कुमार जी नहीं होते तो गरीब–गुरबा के जो यहां विधायक दिखाई दे रहे हैं, आज दिखाई नहीं देते । पहले क्या स्थिति थी, वर्ष 2005 कहने में तो इन लोगों को बड़ा कष्ट होता है, दुख होता है इसलिए आप लोगों को दुख नहीं पहुंचाएंगे ।

(व्यवधान)

धैर्य रखिए न भाई, आप लोगों को दुख नहीं पहुंचाएंगे ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया आसन ग्रहण करें । माननीय सदस्य, आपका समय हो गया है ।

श्री ललन राम : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट । हमारे क्षेत्र में एक पुनपुन नदी है जो झारखंड से सटे उद्गम केंद्र है और बरसाती नदी है, रामरेखा नदी, पुनपुन नदी, हरिहर नदी एकदम बरसाती नदी है, जो सूख जाती है, उसके कारण लाखों हेक्टेयर जमीन असिंचित रह जाते हैं,

उपाध्यक्ष : कृपया आप बैठ जाएं ।

श्री ललन राम : हम चाहेंगे कि सोन नदी से इसको सरकार का ध्यान और आग्रह करना चाहते हैं सरकार से..

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कृपया आसन ग्रहण करें ।

श्री ललन राम : कि सोन नदी का पानी लिफ्ट इरीगेशन के माध्यम से पाइप द्वारा सभी नदी में डाला जाए । इसी के साथ धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : अब बैठ जाएं । माननीय सदस्य, श्री अरूण कुमार जी । आपके पास में 5 मिनट का वक्त है ।

श्री अरूण कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी को, साथ में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को विशेष आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने हमारे लिए बख्तियारपुर जाकर अपना बहुमूल्य समय देकर और बहुमूल्य वोट देकर हमें इस सदन में पहुंचाने का काम किया है । मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं सभी एन0डी0ए0 के नेता को जिन्होंने हम पर विश्वास करते हुए भरोसा जताया है और इस सदन में पहुंचाने का काम किया है । मैं विशेष रूप से बख्तियारपुर विधान सभा की देवतुल्य जनता को आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझपर विश्वास किया और इस सदन में पहुंचाने का काम किया ।

(क्रमशः)

टर्न–25 / पुलकित / 11.02.2026

(क्रमशः)

श्री अरुण कुमार : मैं अपने आपको तथा अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा देने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में इस सदन में बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता की ओर से, मैं वित्तीय वर्ष 2025–26 के तृतीय अनुपूरक बजट का पुरजोर तरीके से समर्थन करता हूं । यह बजट हर क्षेत्र, हर दृष्टिकोण से बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में ले जाने वाला बजट है । इस बजट से राज्य की सभी दिशा में विकास की गाथा लिखी जाएगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी के साथ एन0डी0ए0 का विजन है कि योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए पार्टी के कार्यकर्ता सेतु की भूमिका निभा रहे हैं । 4 लाख 76 हजार करोड़ से अधिक का बजट पूरे बिहार को विकसित राज्य बदलने में कामयाब होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, श्रद्धेय रामविलास जी का सपना था भारत का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे । एल0जे0पी0 (आर) इस भावना के साथ इस सरकार में सक्रिय भूमिका निभा रही है । लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के संस्थापक पद्म विभूषण स्वर्गीय रामविलास जी ने जीवन भर लाईन में खड़े व्यक्ति के लिए संघर्ष किया ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, आज एन0डी0ए0 सरकार की नीतियों में इस विचारधारा की झलक दिखाई देती है जहां विकास को सामाजिक न्याय से जोड़ा गया है । आज नीतीश सरकार की देन है कि आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 400 रुपया से बढ़ाकर 1100 रुपया किया गया । यह पूरे बिहार के

जितने भी हमारे दिव्यांग, हमारे विधवा, हमारे बुजुर्ग, सभी आज आशीर्वाद दे रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को जिन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 400 से 1100 किया है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, आज एन0डी0ए0 सरकार की नीतियों में इस विचारधारा की झलक दिखाई देती है जहां विकास को सामाजिक न्याय से जोड़ा गया है । हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के कुशल नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी, एन0डी0ए0 के इस गठबंधन में सामाजिक न्याय, युवाओं की आकांक्षाओं और समावेशी विकास की मजबूत आवाज बन रही है ।

एल0जे0पी0 (आर) इस सरकार में सक्रिय सहयोग के रूप में काम कर रही है ताकि योजनाओं का लाभ विशेष रूप से दलित, महादलित, पिछड़े और गरीब परिवारों तक प्रभावी ढंग से पहुंचे ।

उपाध्यक्ष महोदय जी, हमारी पार्टी एन0डी0ए0 गठबंधन को और अधिक जनोमुखी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है । हमारी प्राथमिकता होगी कि विकास की रोशनी समाज के सबसे कमजोर वर्ग तक पहुंचे ।

उपाध्यक्ष महोदय जी, चिराग पासवान जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी युवाओं के लिए शिक्षा, कौशल और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर विशेष जोर देगी । बिहार का युवा राज्य के विकास का सबसे बड़ा इंजन बने, यही हमारा लक्ष्य है ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका समय हो गया है ।

श्री अरुण कुमार : उपाध्यक्ष महोदय जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है वर्ष 2047 तक भारत...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : कृपया आप अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री अरुण कुमार : एक मिनट महोदय । 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का और...

उपाध्यक्ष : आप कृपया बैठ जाएं ।

श्री अरुण कुमार : आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सोच है बिहार विकसित राज्य में शामिल हो, इसके लिए डबल इंजन की सरकार तेजी से काम कर रही है । महोदय, मैं बख्तियारपुर से 45 मिनट के अंदर सदन में पहुँच जाता हूँ ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अब आप अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री अरुण कुमार : एक मिनट सर । आज माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, बख्तियारपुर विधान सभा को विकसित और मॉडल बनाने के लिए हर क्षेत्र में विकास जरूरी है । दनियावां प्रखंड के तोप में एक साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने अस्पताल का उद्घाटन किया था ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अब आप बैठ जाएं ।

श्री अरुण कुमार : धन्यवाद महोदय ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मुरारी पासवान ।

श्री मुरारी पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, आज आपने हमें बोलने की अनुमति दी और आज यहां बोलने का मौका मिला इसके लिए मैं आपको हृदय की गहराई से सर चंदन, वंदन, अभिनंदन करता हूं । साथ ही, सर्वप्रथम अपने क्षेत्र की जनता ही जनार्दन और अपनी नारी शक्ति के स्वरूप सभी को मैं वंदन, अभिनंदन करता हूं जो मुझे इस विधान सभा, बिहार में सर्वाधिक मत से जीताकर के भेजा है ।

महोदय, आज समाज कल्याण की मांग अपने बजट सत्र में है और मैं इसका पूरा–पूरा समर्थन करता हूँ । समाज कल्याण विभाग, महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगजनों, वृद्धजनों, समाज के अन्य अभिवंचित वर्गों के हितों तथा अधिकारों के संरक्षण, संवर्धन एवं प्रोत्साहन हेतु राज्य सरकार का महत्वपूर्ण विभाग है । जिसका मुख्य उद्देश्य इन समूहों के समेकित उन्नति एवं विकास के लिए संविधान, विभिन्न अधिनियमों, राज्यादेश एवं नियमावली के अनुसार नीतियां, कार्य योजना एवं कार्यक्रम तैयार कर उसका कार्यान्वयन करना है। विभाग द्वारा अंतर्गत संचालित की जा रही महत्वपूर्ण योजनाएं निम्नवत हैं–

पेंशन योजनाएं– राज्य के वृद्धजनों, विधवाओं, दिव्यांगजनों एवं अन्य असहाय व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु छह सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं संचालित है । सभी पेंशन योजनाओं में माह जून, 2025 से 1100 रुपया तक प्रतिमाह डी0बी0टी0 के माध्यम से पेंशनधारियों के खाते में भुगतान किया जा रहा है । अब तक कुल 1 करोड़ 15 लाख जीवन प्रमाणीकृत पेंशनधारी को नवंबर, 2025 तक पेंशन भुगतान किया जा चुका है । वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए कुल 15 हजार 853 करोड़ 45 लाख रुपये की स्वीकृति प्राप्त है ।

मृत्यु उपरांत देय अनुदान योजना– विभाग के द्वारा दुर्घटना से मृत्यु की स्थिति में मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता हेतु राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना एवं मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना संचालित की जा रही है । जिसके अंतर्गत योजना के पात्रानुसार मृतक के आश्रित को 20 हजार का भुगतान किया जा रहा है । इसके अलावा अतिरिक्त बी0पी0एल0 परिवार के किसी भी आयु के व्यक्ति के मृत्यु उपरांत अंत्येष्टि क्रिया हेतु कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना अंतर्गत 3000/– की राशि एकमुश्त प्रदान की जाती है । चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में 22,730 व्यक्तियों के अंत्येष्टि क्रिया हेतु भुगतान किया गया है ।

बिहार सामाजिक संरक्षण परियोजना– इस योजना अंतर्गत राज्य के सभी 10 अनुमंडलों में बुनियाद केंद्र स्थापित करते हुए इसके माध्यम से वृद्धजनों, दिव्यांगों को विभिन्न प्रकार की फिजियोथेरेपी व श्रवण संबंधी सेवाएं तथा चश्मा उपलब्ध कराया जा रहा है ।

ओल्ड एज होम सहारा– बिहार के माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण कल्याण नियमावली, 2012 के अंतर्गत राज्य के 6 जिलों तथा पटना, रोहतास, भागलपुर, गया एवं पश्चिमी चम्पारण में वृद्धा आश्रम सहारा संचालित है । सरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित किया जा रहा है । इन छह की आवास क्षमता 450 है जिसमें 423 वृद्ध जन आवासित हैं।

स्वीकृत चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल पंजीकृत 4691 केस में से 4178 का निष्पादन किया गया है । महिला हेल्पलाइन– घरेलू हिंसा से पीड़ित, मानव उत्पीड़न के शिकार, दहेज प्रताड़ना, छेड़छाड़, लैंगिक हिंसा एवं अन्य किसी भी प्रकार से प्रताड़ित तथा पीड़ित महिलाओं को सेवा उपलब्ध कराने के लिए 181 महिला हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर स्थापित किया गया है । महिला हेल्पलाइन 181 के साथ चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, (ए) इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम 112 को जोड़ा गया है ।

(क्रमशः)

टर्न–26 / हेमन्त / 11.02.2026

(क्रमशः)

श्री मुरारी पासवान : बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना। यह योजना 22 जनवरी, 2015 को देश में बाल लिंग अनुपात में गिरावट के मुद्दे के साथ–साथ बालिकाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए शुरू की गयी थी। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य जन्म के समय लिंगानुपात, एस0आर0बी0 में हर साल अंकों का सुधार, संस्थागत प्रसव के प्रतिशत में सुधार, प्रतिवर्ष प्रसव के रोगी की देखभाल, ए0एन0सी0 पंजीकरण में पहली तिमाही में एक प्रतिशत की वृद्धि, प्रतिवर्ष माध्यमिक शिक्षा स्तर पर नामांकन और बालिकाओं, महिलाओं के कौशल में एक प्रतिशत की वृद्धि माध्यमिक और उच्च स्तर, माध्यमिक स्तरों पर बालिकाओं के बीच स्कूल छोड़ने की दर को रोककर तथा सुरक्षित महावारी स्वच्छता प्रबंधन के बारे में बालिकाओं के बीच जागरूकता बढ़ाना है।

पूरक पोषाहार कार्यक्रम। यह केंद्र प्रायोजित योजना है। राज्य के सभी 38 जिलों के 544 बाल विकास परियोजनाओं में कुल स्वीकृत आंगनबाड़ी 1,15,064 आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 6 माह से 6 वर्ष के सामान्य, कुपोषित, अति कुपोषित बच्चों एवं गर्भवती, शिशुवती महिलाओं को पूरक पोषाहार प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, यह केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती धात्री महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाना तथा गर्भावस्था के दौरान हुए लॉस के विरुद्ध उन्हें आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति प्रदान करना है। इसमें राशि का हस्तांतरण लाभार्थी के आधार

से संबद्ध बैंक, पोस्ट ऑफिस खाता में डीबीटी द्वारा पीएमएफएस के माध्यम से प्रथम जीवित संतान हेतु दो किस्तों में 5,000 का भुगतान किया जाता है एवं द्वितीय शिशु के रूप में कन्या के जन्म होने की स्थिति में 6,000 का भुगतान एकमुश्त किया जाता है एवं कुल 10,33,787 लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया गया है।

मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपना भाषण संक्षिप्त करें। बहुत कम समय बचा है आपके पास।

श्री मुरारी पासवान : ठीक है सर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के माध्यम से उन किसानों की भी हम कुछ बात रखना चाह रहे हैं, जो अपने क्षेत्र में पीड़ित हैं, जो बाढ़ से पीड़ित लोग हैं। उस क्षेत्र में जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बाढ़ जब आती है, तो उस क्षेत्र में काफी हमारे क्षेत्र के किसान की जो सिंचित भूमि है, वह गंगा में समा जाती है। गांव का गांव उजड़ जा रहा है और उजड़ने के कारण हमारे बीच में और उस परिवार के लोग कष्ट सहने के लिए मजबूर होते हैं। उस क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को राहत मिलनी चाहिए, न कि उन्हें भूमिहीन बना दिया जाए। इसलिए, मैं सरकार से स्पष्ट मांग करता हूं कि गंगबरार भूमि पर प्रथम अधिकार मूल....

उपाध्यक्ष : अब आप बैठ जाएं। माननीय सदस्य आपका समय हो गया है।

श्री मुरारी पासवान : धन्यवाद।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रामेश्वर कुमार महतो जी।

श्री रामेश्वर कुमार महतो : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति और सदन के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे तृतीय अनुपूरक बजट 2025–26 के लिए बोलने का अवसर दिया। साथ ही, बाजपट्टी की तमाम जनता को, एनडीए के सभी वरिष्ठ नेता, देवतुल्य कार्यकर्ता आज सभी को धन्यवाद देता हूं जिनके समर्थन और सहयोग से मैं यहां इस सदन तक आया।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष महोदय, बहुत देर से हम लोग सुन रहे थे समाज कल्याण के बजट पर, जो अनुपूरक बजट माननीय मंत्री जी के द्वारा लाया गया। इसके समर्थन में अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा की तरफ से अपनी बात रख रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले जब भी हम पक्ष के लोग कोई बात रखते हैं, तो विपक्ष की तरफ से आता है कि 2005 को कोट न करें। अगर बेस को कोट न करें, तो कैसे पता चले कि ऊंचाई कहां तक पहुंची है। महोदय, 2005 से पहले हम यह देखते थे कि बजट तो बनता था, लेकिन परिवार के लिए बनता था। आज समाज के लिए बनता है और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का परिवार पूरा बिहार है। माननीय प्रधानमंत्री जी का परिवार पूरा देश है। कुछ लोग अपने और अपने परिवार तक सीमित रह जाते थे इसलिए उनको हजम

नहीं होता या सहन नहीं होता कि किस प्रकार से आज 24,000 करोड़ का बजट आज कहां से कहां पहुंच गया इस राज्य में। महोदय, खासकर जो पेंशन योजना है, हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, बुजुर्ग महिला, पिता तुल्य बुजुर्ग और दिव्यांगजन के जो चेहरे पर रौनक और हंसी, खुशी दिखती है वह मुझे नहीं लगता कि इन लोगों ने महसूस की होगी और महसूस करते तो हमेशा समर्थन करते सरकार के बजट को। अपनी बात रखने से पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूं। कांग्रेस के साथी लोग बैठे हैं, हम तो यही कहेंगे कि हमें अपनी बात रखने दीजिए, आप को भी मौका मिलेगा आप लोग भी रखिएगा, लेकिन आपको याद करना चाहिए कि आप ही के नेता पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी साहब कहते थे कि 1 रूपया भेजो तो 10 पैसा पहुंचता है लोगों तक। आप देखिए कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने जो डीबीटी सिस्टम को लागू किया, जब खाता खोले जा रहे थे केंद्र सरकार के द्वारा देश में तो आप लोगों ने बड़ा हल्ला किया कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है। आज उस खाता का फायदा आप देखिए कि डीबीटी के माध्यम से बिना बिचौलियों का डायरेक्ट अगर 1100 मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं तो 1100 पहुंच रहा है। अगर आपकी सरकार होती तो शायद 11 रूपये भी पहुंचते कि नहीं, यह भी शंका की बात है। महोदय, एक से एक योजना जो खासकर, मैं बहुत थोड़ा सा समय लूंगा, खासकर पेंशन योजना की बात मैंने कही, जो मृत्योपरांत अनुदान योजना है उसका फायदा उन लोगों के चेहरे पर दिखता है, जब किसी के घर में मृत्यु हो जाए और उसके दरवाजे पर आप जाइए और सहायता राशि लेकर पदाधिकारी पहुंचे होते हैं। आपकी सरकार में तो चक्कर लगाते–लगाते व्यक्ति की चप्पल घिस जाये, रुपया नहीं मिलता था, क्योंकि आप लोग हावी होते थे।

अध्यक्ष : कृपया, संक्षिप्त करें। समय समाप्त हो रहा है।

श्री रामेश्वर कुमार महतो : आप लोग अपना हिस्सा नहीं छोड़ते थे तो सरकार के पदाधिकारी जनता तक क्या पहुंचाये। ओल्ड एज होम के बारे में थोड़ी–सी बात रखकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। महोदय, खासकर बिहार में हम लोग यह देखा करते थे कि बुजुर्ग मां–बाप का सहारा कोई नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ बच्चियों के चाचा नहीं हैं, जो देश के, राज्य के बुजुर्ग महिला और पुरुष हैं, दिव्यांगजन हैं, उन सब के लिए आज ओल्ड एज होम के बुजुर्गों के लिए जो योजना बनी है और 6 जिलों में तकरीबन 450 लोगों के लिए व्यवस्था, जहां 423 लोग रह रहे हैं। मैं इस अनुपूरक बजट का समर्थन करते हुए अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा की तरफ से आपको और सदन को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया। बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर होगा। माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग।

सरकार का उत्तर

श्री मदन सहनी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं समाज कल्याण विभाग की जो विभिन्न योजनाएं हैं, उसकी चर्चा करने से पहले और विभिन्न तरह की योजनाएं हैं, अनेकों योजनाएं हैं। उस पर हमारे सभी माननीय सदस्यों ने भी अपनी राय रखी है। मैं आपका भी अभिनंदन और उनका भी अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने हमारे पक्ष में भी बहुत सारे सदस्यों ने अपनी बात रखी है, विपक्ष ने भी रखी है, तो उनको भी हम अपनी तरफ से स्वागत करते हैं। अपने विभाग की योजनाओं की चर्चा करने से पहले मैं इस बात की चर्चा करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री, आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, जिन्होंने बिहार के अंदर लगातार 20 साल से, जो काम कर रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों में, वह सारे निर्णय स्वयं से लेते हैं और उनका एक–एक निर्णय हम लोगों की नजर में और बिहार वासियों की नजर में सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन मैं समझता हूं कि हर महापुरुषों के जीवन में बहुत सारे लोगों का प्रभाव होता है। मैं चर्चा करना चाहता हूं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की। मुझे याद है कि आज से 10 साल पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने खुद अपने हाथों से अपनी डायरी में लिखा था, उसका एक संकलन करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के लोगों के बीच में वितरण करने का काम किया था और आज जो सात महापाप कर्म हैं, जिससे बचने के लिए और उसको प्रचारित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के तमाम जो सरकारी भवन हैं, उसके सामने उन्होंने उसको लिखवाने का काम किया है।

(क्रमशः)

टर्न–27 / संगीता / 11.02.2026

(क्रमशः)

श्री मदन सहनी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं चर्चा करना चाहता हूं शायद आपको भी याद होगा और इस सदन में हमारे संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय श्री विजय बाबू बैठे हुए हैं वे भी भलीभांति जानते होंगे कि इस देश के अंदर में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को भी कहा जाता था लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की चर्चा हमलोग करते हैं उसके आगे इनका यह चर्चा कहीं गुम हो गया और उन्होंने ही सर्वप्रथम इस देश के अंदर में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने का काम किया था और उनकी पत्नी सावित्री बाई फुले को उन्होंने शिक्षित किया और देश की पहली शिक्षिका बनीं और आज हमलोग देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हीं के विचारों से और उन्हीं को महिला शिक्षा को आगे बढ़ाने के उद्देश्य को आज उसी आदर्शों को अपने जीवन में उतार करके बिहार की महिलाओं को शिक्षित करने की दिशा में उनके द्वारा काम किया जा रहा है। मैं चर्चा करना चाहता हूं राजा राम मोहन राय जी का, जिन्होंने सती प्रथा और सामाजिक सुधार के लिए 1828 में आधुनिक भारत का निर्माण किया था । हम

आर्य समाज के संस्थापक सदस्यों में रहे स्वामी दयानंद सरस्वती जी का भी चर्चा करना चाहते हैं । इन तमाम महापुरूषों का हमारे नेता के ऊपर विशेष प्रभाव रहा है । मैं चर्चा करना चाहता हूं जयप्रकाश नारायण जी का, जिनके नेतृत्व में देश के और बिहार के बहुत सारे नेता ने काम किया उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने भी उनके नेतृत्व में काम करने का काम किया और मैं समझता हूं कि इस 35 साल का मैं चर्चा करूंगा, 20 साल का चर्चा और 2005 से पहले का चर्चा करने पर इनलोगों को थोड़ा आपत्ति होता है तो 35 साल की हम चर्चा करते हैं, 20 साल इधर और 15 साल उधर तो जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सुनिए, बैठे–बैठे मत बोलिए ।

श्री मदन सहनी, मंत्री : काम करने वाले उनके शिष्य के रूप में कहें या उनके साथ काम करने वाले के रूप में कहें 15 साल उधर से भी लोग रहें तो वो जो एक बार निकले तो दोबारा फिर आ नहीं सके लेकिन लगातार हमारे नेता 20 साल के अंदर 20 साल से इस सदन के अंदर में बिहारवासियों के लिए काम कर रहे हैं और उसका कारण सबको मालूम है, उसके विस्तार में हम जाना नहीं चाहते हैं । मैं चर्चा करना चाहता हूं राम मनोहर लोहिया जी का, जिन्होंने समाजवाद का नारा दिया था और आज मैं चर्चा अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का भी करना चाहता हूं जिन्होंने स्वयं अपने मुंह से यह कहा था कि आज भी इस देश के अंदर में अगर कोई समाजवाद को जिन्दा रखने वाले नेता हैं तो वे आरणीय नीतीश कुमार जी हैं । मैं चर्चा करना चाहता हूं भारत रत्न और जननायक गुदरी के लाल कर्पूरी ठाकुर जी का, जिन्होंने हमारे पिछड़ा वर्ग के लोगों को 2 भागों में बांट करके अति पिछड़ा वर्ग का गठन किया था । आज हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी जिन अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को पंचायत में 20 प्रतिशत आरक्षण देकर के राजनीति में आगे लाने का काम किए हैं । मैं इस विधान सभा के अंदर यह जरूर बताना चाहता हूं जिसकी चर्चा हमारे कई सदस्यों ने किया खासकर के जो आई0पी0 गुप्ता जी थे, जो चर्चा कर रहे थे वे चले गए हैं, हमलोग उस समय को भी याद करना चाहते हैं जब 2005 से पहले समाज के लोग इस लोकतंत्र रूपी ऐनक में अपना चेहरा देखने का कोशिश करते थे तो उनको कुछ ही तरह के लोग नजर आते थे । आज जब बिहार के लोग इसी लोकतंत्र के मंदिर में झांकने का प्रयास करते हैं तो उनको अपना–अपना चेहरा दिखाई देता है, यही खासियत है हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का । हमलोग भी आए हैं आखिर हमारे नेता अगर पंचायत के अंदर में आरक्षण नहीं दिए रहते तो हमलोग जिला परिषद के रूप में और जिला परिषद अध्यक्ष के रूप में नहीं जीतते और इस विधान सभा के अंदर में नहीं हमलोग आ पाते । साथियों, हम चर्चा जरूर करना चाहेंगे कि 15 साल

रहें, 15 साल में 180 महीना होता है और 180 महीना में जिस किसी राज्य में 118 नरसंहार होगा, वह राज्य में शासन क्या कर रहा होता यह आप सभी को स्पष्ट रूप से...

(व्यवधान)

भाई साहब, भाई साहब, अरे आलोक भइया, थोड़ा देर धैर्य रख लीजिए, थोड़ा देर धैर्य...

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर खड़े हो गए)

अध्यक्ष महोदय, इसलिए हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि जहां 180 महीनों में 118 नरसंहार हो वे लोग भी अगर दुबारा इस सदन में आना चाहते हैं तो बिहार के लोग इसको होने नहीं देंगे । साथियों, आज हम अपने नेता को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने अपने राज्य में जो नालंदा विश्वविद्यालय बंद हो चुका था उस नालंदा विश्वविद्यालय को स्थापित करने का काम किया है ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गए)

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ सड़क, बिजली, पानी और अस्पताल बनाने का काम नहीं किया बल्कि इन सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए जल–जीवन–हरियाली और नशाबंदी, बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों को भी समाप्त करने का उन्होंने काम किया है इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को अपने बिहार के लोगों की तरफ से तमाम लोगों की तरफ से हमलोग बधाई और शुभकामना देना चाहते हैं, जिन्होंने बिहार को आज इस ऊंचाई पर पहुंचाने का काम किया है और लगातार 20 साल तक काम करने के बाद भी चाहे बिहार के लोग हों या बिहार के बाहर के लोग हों, आजतक कोई उनके ऊपर ऊंगली उठाने का साहस नहीं कर पाए हैं, यह हमलोगों के लिए सौभाग्य की बात है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं समाज कल्याण विभाग से जुड़े हुए विभिन्न योजनाओं की चर्चा करना चाहता हूं । मैं यह बताना चाहता हूं कि समाज कल्याण विभाग एक व्यापक विभाग है और इसमें कई निदेशालय हैं । समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित निदेशालयों जैसे– सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय, समाज कल्याण निदेशालय तथा दिव्यांगजन सशक्तीकरण निदेशालय एवं महिला एवं बाल विकास निगम और स्टेट सोसाईटी फोर अल्ट्रा पुअर एंड सोशल वेलफेयर सक्षम के माध्यम से बच्चों, महिलाओं, वृद्धजनों, दिव्यांगजनों, भिक्षुकों एवं समाज के अन्य अभिवंचित वर्गों

के लिए अन्य कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों का संचालन निरंतर किया जा रहा है । महोदय, समाज कल्याण विभाग अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के द्वारा जिसकी चर्चा हमारे तमाम माननीय सदस्यों ने किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 400 से 1100 रुपया की राशि बढ़ा करके आज बहुत जगहों पर हमलोग भी गए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो यह कदम उठाया, यह उल्लेखनीय काम किया इसका लाभ हम सभी लोगों को मिल रहा है । बहुत जगह जब हमलोग भी गए हैं तो बहुत सारे वृद्धजनों ने हमलोगों को भी आशीर्वाद दिया है और यह उद्‌गार उन्होंने व्यक्त किया है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे श्रवण पुत्र हैं और उन्होंने श्रवण पुत्र की जो भूमिका होती है उसको निभाने का काम किया है । साथियों, हमारे बहुत सारे विपक्ष के साथी कह रहे थे कि बहुत देर कर दी पेंशन की राशि बढ़ाने में लेकिन उनको यह नहीं याद है कि 1995 में यह योजना शुरूआत हुआ और 2005 तक 10 साल के अंदर में मात्र 12 लाख लाभार्थी थे और उस समय मात्र 200 रुपया की राशि मिलती थी और 200 से 400 भी करने का काम आदरणीय नेता ने किया और 400 से भी 1100 रुपया की राशि करने का काम माननीय नेता हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है । इसलिए इनलोगों को यह जानकारी नहीं है । आज 1 करोड़ 16 लाख से ज्यादा लोगों को पेंशन की राशि 10 तारीख को उनके खाता में चली जाती है । अध्यक्ष महोदय, इस निदेशालय के द्वारा दुर्घटना से मृत्यु की स्थिति में भी 20 हजार रुपया की राशि जो परिवार के सदस्य होते हैं उनको दिया जाता है । इस निदेशालय अंतर्गत अन्य योजनाओं जैसे– बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना अंतर्गत, एक बात जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हम वोटर की चिन्ता करते हैं वोट की नहीं ।

(क्रमशः)

टर्न–28 / यानपति / 11.02.2026

(क्रमशः)

श्री मदन सहनी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह बात, इस सदन के लोग भी इस बात को मानेंगे कि जो कुष्ठ रोगी होते हैं, शायद हो सकता है हमारे बहुत सारे सदस्यों को इसकी जानकारी नहीं हो उनको भी हमलोग विभाग के माध्यम से 15 सौ रुपया प्रति महीना देते हैं और इनकी संख्या 14461 है पूरे बिहार के अंदर में, उनको प्रत्येक महीना हमलोग 15 सौ रुपया देते हैं । ठीक उसी तरह जो हमारे एड्स से पीड़ित, एच0आई0वी0 पीड़ित व्यक्ति होते हैं और आप समझ सकते हैं कि उनके पास कौन वोट मांगने के लिए जाते होंगे हालांकि वह छुआछूत की बीमारी नहीं है। इसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हमलोग प्रत्येक महीना उनको 15 सौ रुपया

की राशि देते हैं और इनकी संख्या पूरे बिहार में 72704 है । अध्यक्ष महोदय, इस निदेशालय के अंतर्गत एक और जो महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आप सभी अवगत हैं कि गरीब की बेटी के यहां कोई उपहार देने के लिए नहीं जाते हैं लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे भी प्रोत्साहित करने के लिए और कन्या विवाह को और आगे बढ़ाने के लिए बाल विवाह रोकने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब तक 30868 कन्याओं को 5 हजार की राशि देने का काम किए हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, इस निदेशालय के अधीन सक्षम सोसाइटी है और इसके माध्यम से मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना एवं बिहार सामाजिक संरक्षण परियोजना के तहत वृद्धजन, दिव्यांगजन, विधवाओं एवं समाज के अन्य वंचित वर्गों के लिए कई तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं और सभी जो हमारे 101 अनुमंडल हैं उस 101 अनुमंडल में हमारा बुनियाद केंद्र बना हुआ है और बुनियाद केंद्र में जो भी वृद्धजन, दिव्यांगजन हैं वहां जाकर के अपना सेवा ले सकते हैं और इसी के माध्यम से हमलोग जो आंख से कम दिखाई देता है उनको हमलोग चश्मा मुफ्त में देते हैं और जिनको कान से कम सुनाई देता है उनको हमलोग श्रवण यंत्र भी मुफ्त में देते हैं । ये सारे काम बुनियाद केंद्र के माध्यम से किए जा रहे हैं । महोदय, समाज कल्याण निदेशालय के द्वारा मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत कई तरह की गतिविधियां संचालित की जा रही हैं । जिसमें राज्य बाल संरक्षण समिति के माध्यम से किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के दायरे में आनेवाले देखभाल एवं सुरक्षा की आवश्यकता वाले विभिन्न कोटि के बच्चों एवं बच्चियों के लिए बाल गृह, बालिका गृह, पर्यवेक्षण गृह एवं विशेष गृह जैसे गृहों का संचालन किया जा रहा है तथा राज्य दत्तक–ग्रहण संस्थान अभिकरण के माध्यम से दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान संचालित किए जा रहे हैं । वर्तमान में 23 बालक गृह, 13 बालिका गृह संचालित हैं, जिसमें अनाथ, बेसहारा, परित्यक्ता एवं बेघर बच्चों को आश्रय दिया जा रहा है । इसके अतिरिक्त विधि विवादित बच्चों के लिए 28 पर्यवेक्षण गृह/विशेष गृह/सुरक्षित स्थान एवं 42 विशिष्ट दत्तक–ग्रहण संस्थान अर्थात कुल 106 बाल देख–रेख संस्थान संचालित हैं । महोदय, राज्य के पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर एवं सामान्य वर्ग के 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले पुरुष दिव्यांग अभ्यर्थियों को अब बिहार लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी हेतु क्रमशः 50 हजार और 1 लाख की राशि देने की तैयारी चल रही है । अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी के लिए, जो सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना लागू किए हैं उसी तरह अब

हमलोग समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत हमलोग जो पी0टी0 पास करने पर 50 हजार और 1 लाख की राशि देने का निर्णय किए हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से लगातार उद्यम के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत जिस तरह अन्य लोगों को इसका लाभ दिया जा रहा है उसी तरह अब हमलोग दिव्यांगजनों को भी मुख्यमंत्री ऩ्द्यमी योजना से जोड़ने का काम किए हैं और इसमें भी हमलोग 10 लाख रुपये की राशि उनको उद्योग लगाने के लिए देंगे और 5 लाख अनुदान के तौर पर और 5 लाख की राशि उनको 84 किस्त में वापस करना है । तो यह दो काम अभी हमलोग दिव्यांगजनों के लिए शुरू कर रहे हैं और महोदय, मुझे यह बताने में खुशी हो रही है कि समाज कल्याण निदेशालय के द्वारा जो दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए निरंतर एवं योजनाबद्ध प्रयास किए जा रहे हैं । महोदय, दत्तक ग्रहण संस्थान से जहां एक ओर अनाथ एवं बेसहारा बच्चों को एक नई जिंदगी के साथ अन्य बच्चों की तरह एक गरिमापूर्ण जीवन और उसके सभी विधिक अधिकार मिलते हैं यही उद्देश्य और कई माताओं की सूनी गोद को भरने का अच्छा अवसर प्रदान होता है । इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के क्रम में 42 विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान का संचालन मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत किया जा रहा है । वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल 151 बच्चों वित्तीय वर्ष 2023–24 में 170 वित्तीय वर्ष 2024–25 में 154 और 2025–26 में 95 बच्चों को देश और विदेश के दंपत्तियों के द्वारा दत्तक ग्रहण के माध्यम से परिवार में एकीकृत किया गया है । माननीय अध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न वर्ग समूहों के लाभुकों जैसे शिशु, बालक, बालिका के सुरक्षित आवासन एवं पुनर्वास हेतु विभिन्न गृहों का संचालन, रख–रखाव एवं अनुश्रवण किया जाता है । इस क्रम में बालक एवं बालिका गृह का संचालन मुख्यमंत्री बाल आश्रय विकास योजना के अंतर्गत किया जा रहा है । इसके तहत 200 आवासन क्षमता वाले वृहद आश्रय गृहों का संचालन इस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है । जिसके तहत कम से कम प्रत्येक प्रमंडल में एक–एक परियोजना तथा कतिपय सीमावर्ती विशेष प्रभावित जिलों को लेकर के संप्रति 12 जिले यथा भागलपुर, पश्चिम चंपारण, कैमूर, औरंगाबाद, कटिहार, नवादा, मुजफ्फरपुर, पटना, सुपौल, जमुई, सिवान एवं दरभंगा में संचालित किया गया है । अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताने में खुशी हो रही है कि बिहार पहला राज्य है जहां 200 क्षमता का वृहद आश्रय गृह संचालित है और यह जो गृह है जहां भी, माननीय, बहुत सारे माननीय सदस्यों ने देखा होगा जिस जिला का हमने नाम बताया 38 करोड़ की लागत से यह गृह का निर्माण किया गया है और इसमें अनाथ बच्चे रहते हैं और इनके रहने

का, खाने का और शिक्षा ग्रहण करने की पूरी व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा–निर्देश पर किया जा रहा है । महोदय, समाज कल्याण विभाग के अधीन महिला एवं बाल विकास निगम के द्वारा महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है जिसमें मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना का मैं उल्लेख करना चाहूंगा । महोदय, बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत महिलाओं को सिविल सेवा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु राज्य के सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग की युवतियों के लिए वर्ष 2021 से ''सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि योजना'' लागू की गई है । योजनान्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण महिला अभ्यर्थियों को 1 लाख एवं बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण महिला अभ्यर्थियों को 50 हजार की राशि दी जाती है और अब तक इस योजना के तहत यू0पी0एस0सी0 के तहत 124 महिलाओं को और बी0पी0एस0सी0 के तहत 3502 महिलाओं को इसकी राशि दी गई है । महोदय, राज्य की महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, एवं सांस्कृतिक सशक्तीकरण के लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सेवा प्रक्षेत्र के विभिन्न ट्रेडों जैसे–कम्प्यूटर, ब्यूटीशीयन, हाउस कीपिंग, सेल्स मैनेजमेंट, रोग परिचारिका, नर्सरी, मोबाईल रिपेयरिंग में महिलाओं एवं किशोरियों का कौशल उन्नयन किया जा रहा है । सामाजिक सशक्तिकरण के लिए महिला हेल्पलाईन, महिला अल्पावास गृह, रक्षा गृह, वन स्टॉप सेंटर आदि का संचालन किया जा रहा है।

(क्रमशः)

टर्न–29 / मुकुल / 11.02.2026

क्रमशः

श्री मदन सहनी, मंत्री : महोदय, समाज कल्याण विभाग अन्तर्गत आई०सी०डी०एस० निदेशालय के द्वारा जिन महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन किया जाता है उनमें पूरक पोषाहार कार्यक्रम, किशोरी बालिकाओं के लिए योजना 'सबला', प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, राष्ट्रीय पोषण मिशन, आँगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों के लिए पोशाक योजना जैसी कई योजनाएँ शामिल हैं। महोदय, पूरक पोषाहार कार्यक्रम अंतर्गत छः माह से छः वर्ष आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती तथा धातृ महिलाओं को पूरक पोषाहार प्रदान किया जाता है । अध्यक्ष महोदय, पूरे बिहार के अंदर में 38 जिलों के 544 बाल विकास परियोजना अन्तर्गत स्वीकृत कुल 1,15,064 (एक लाख पंद्रह हजार चौसठ) आँगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से पूरक पोषाहार कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है । अध्यक्ष महोदय, अभी लगातार हमलोगों ने आंगनबाड़ी को भी सशक्त बनाने के लिए वहां एल0पी0जी0 गैस

जहां पहले लकड़ी से खाना बनाया जाता था, अब हमलोगों ने गैस–सिलेंडर देने का काम किया है और चूल्हा भी हमलोग दे रहे हैं । साथ ही, माननीय मुख्यमंत्री जी जब समाधान यात्रा में निकले थे तो उन्होंने कुपोषित बच्चों को कुपोषण से बाहर निकालने के लिए उन्होंने प्रत्येक सप्ताह दो अंडा देने का और 100 मी0ली0 दूध देने का उन्होंने आदेश दिया जो अब सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर इसको दिया जा रहा है । पूरे आंगनबाड़ी केन्द्र में 39 लाख 55 हजार 213 बच्चे नामांकित हैं और इनको इसका लाभ दिया जा रहा है । महोदय, आँगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों के लिए पोशाक योजना के अंतर्गत राज्य के 544 बाल विकास परियोजनाओं के अंतर्गत संचालित सभी आँगनबाड़ी केन्द्रों पर स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे 03–06 वर्ष आयु के सभी बच्चों को जीविका के माध्यम से निर्मित पोशाक उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसका विधिवत उद्घाटन दिनांक–18.01.2026 को माननीय मंत्री हमारे आदरणीय श्री श्रवण बाबू और हमलोगों ने इसकी शुरुआत की थी और जीविका को जो माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा जीविका को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं हमलोगों ने समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत 213 करोड़ रुपया की राशि का करार किया है और इनके माध्यम से अप्रैल तक सभी बच्चों को पोशाक उपलब्ध करा दिया जायेगा । अध्यक्ष महोदय, एक अन्य महत्वपूर्ण योजना जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है जिसे 01.01.2017 के प्रभाव से बिहार के सभी जिलों में लागू किया गया है । इस योजना के तहत जो गर्भवती एवं धातृ महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार लाने के लिए गर्भावस्था के दौरान जो हुए वेज लॉस के विरूद्ध उन्हें आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति प्रदान करना है । इस योजना के अंतर्गत 5 हजार रुपया दो किश्त में दिया जाता है और और बेटी के जन्म को बढ़ावा देने के लिए अगर दूसरा शिशु बेटी होती है तो उन्हें एक किश्त में 6 हजार की राशि दी जाती है और अब तक इसमें 125 करोड़ 11 लाख 37 हजार की राशि खर्च की गयी है । अध्यक्ष महोदय, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय के तहत समाज कल्याण निदेशालय की भी कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के संबंध में जानकारी देना जरूरी समझता हूं । महोदय, परवरिश एक ऐसी ही योजना है जिसके अंतर्गत अनाथ एवं बेसहारा बच्चों तथा दुसाध्य रोगों से पीड़ित बच्चों एवं दुसाध्य रोगों के कारण विकलांगता के शिकार माता–पिता की संतान के अतिरिक्त वैसे बच्चे जिनके माता–पिता की या तो मृत्यु हो गयी हो या मानसिक दिव्यांगता या कारावास में बंदी हो अथवा जिनके माता–पिता किसी अन्य न्यायिक आदेश से वे अपने बच्चों का परवरिश करने में असमर्थ हों वैसे बच्चों को हमलोग 1 हजार की राशि प्रत्येक महीना में देते हैं और इसमें हमलोग अभी 2025–26 में 19 करोड़ 72 लाख की राशि इसके लिए हमलोगों ने आवंटित किया है । अध्यक्ष महोदय, अब तक इस योजना के अंतर्गत 15 हजार 167 बच्चों को आच्छादित किया गया है । एक महत्वपूर्ण योजना

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं स्पॉनसरशिप कार्यक्रम के तहत जो तलाकशुदा, परित्यक्ता एवं विधवा महिलाओं के ऐसे बच्चे जिनके माता–पिता जो कमाऊ सदस्य हैं, मानसिक रोग अथवा जानलेवा बीमारी से ग्रस्त हों या जिन्हें कैद की सजा हुई हो ऐसे परिवारों के अधिकतम दो बच्चों को प्रतिमाह 4 हजार रुपये की राशि 18 वर्ष पूर्ण होने तक अथवा योजना की अवधि तक के लिए देय है । इसके तहत 13 हजार 104 लाभुकों को इसका भुगतान किया जा रहा है । राज्य के विभिन्न बाल देख–रेख संस्थानों में 16 वर्ष से 18 वर्ष के आवासित बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने एवं उनके उज्ज्वल भविष्य निर्माण एवं समाज की मुख्यधारा में शामिल करने के उद्देश्य से 66 बच्चों को इको जूविनाइल जस्टिस संस्था के माध्यम से इंडियन अकादमी, बेंग्लोर में होटल मैनेजमेंट में एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स करने हेतु भेजा गया था, वर्तमान में कोर्स की समाप्ति के उपरांत सभी 66 बच्चों को विभिन्न स्टार होटलों में शत–प्रतिशत प्लेसमेंट प्राप्त हो गया है, इस योजना के अंतर्गत राज्य के विभिन्न बाल देख–रेख संस्थानों में आवासित बच्चों को मोबाइल रिपेयरिंग, अगरबत्ती निर्माण, मोमबत्ती निर्माण, आर्ट एण्ड क्राफ्ट, संगीत–नृत्य आदि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है । साथ ही, सभी बाल देख–रेख संस्थानों को बिहार मुफ्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड का अध्ययन केन्द्र बनाया गया है तथा बच्चों को इस तरह के वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए गृहों में ही व्यवस्था की गयी है जिसके तहत अब तक 668 बच्चों को मैट्रिक, इंटर सहित विभिन्न स्तरों में नामांकन कराया गया है । इस योजना अंतर्गत पटना जिले में संचालित अपना घर में नवसृजन, कौशल, विकास प्रशिक्षण केन्द्र की शुरुआत की गयी है जिसके तहत वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल 240 प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है । यह सरकार द्वारा जिलों में संचालित बाल गृह, बालिका गृह एवं उत्तर रक्षा गृह, पटना में आवासित 16 वर्ष से अधिक आयु के बालकों एवं बालिकाओं को आफ्टर केयर कार्यक्रम के तहत कौशल प्रशिक्षण प्रदान करते हुए उन्हें 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर गृहों द्वारा दी जा रही सुविधाओं से नियमानुसार मुक्त करते हुए स्वतंत्र जीवन हेतु आफ्टर केयर व्यवस्था से जोड़ा जायेगा । वर्तमान में कुल 40 प्रशिक्षणार्थी दो बैच में नवसृजन संस्थान में बी0टी0 एण्ड वेलनेस सेंटर के तहत सहायक ड्रेसर एण्ड स्टाइलिश में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं । पटना जिले में कुल 31 युवतियों को आफ्टर केयर कार्यक्रम के तहत मागनिज में प्रशिक्षण सह रोजगार से जोड़ा गया है । महोदय, मुझे यह बताने में प्रसन्नता हो रही है कि राज्य के सभी कन्याओं के जन्म से लेकर 21 वर्ष तक के विभिन्न स्तरों पर प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना संचालित है । संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वावलंबन ये चार आयाम इस योजना के स्तंभ हैं, इस योजना का कार्यान्वयन समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा समेकित रूप से किया जा

रहा है । प्रोत्साहन राशि का भुगतान लाभार्थी के सीधे डी0बी0टी0 माध्यम से उनके बैंक खातों में दिया जाता है । महोदय, सरकार की लोक कल्याणकारी अवधारणा को मजबूत करने और उसका औचित्य बनाए रखने के लिए समाज कल्याण विभाग योजनाबद्ध रूप से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में लगातार प्रयासरत है और मुझे विश्वास है कि इस पुनीत लक्ष्य को हासिल करने में सभी माननीय सदस्यों का भी हमें सहयोग मिलेगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, हम यह बताना आवश्यक समझते हैं कि पूरे बिहार के अंदर में 3 नेत्रहीन विद्यालय हैं, पटना में, दरभंगा और भागलपुर और मुख्य बधिर विद्यालय पटना में 2, दरभंगा में 1 और भागलपुर और मुंगेर में 01–01, अब हमलोगों ने तय किया है विभाग स्तर पर कि अब हमलोग सभी प्रमंडल में इसको 500–500 क्षमता का सभी मुख्य बधिर और नेत्रहीन विद्यालय का हमलोग स्थापना करने जा रहे हैं और अभी हमलोग आठवी तक इसमें पढ़ने का अवसर देते हैं और उसको हमलोग प्लस–टू तक भी इसको उत्क्रमित करने के लिए जा रहे हैं ।

क्रमशः

टर्न–30 / सुरज / 11.02.2026

(क्रमशः)

श्री मदन सहनी, मंत्री : साथ ही हमारे कई साथियों ने कहा कि अब तक इतने दिव्यांग हैं और हमलोगों ने मात्र इतने ही लोगों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल देने का काम किया है । मात्र तीन साल के अंदर में हमलोगों ने 28 हजार से अधिक दिव्यांगों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल देने का काम किया और यह बताते हुये हमें खुशी हो रही है कि बिहार में जो हमलोगों ने दिया है पूरे देश में जितना एलिम्को कंपनी जो मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल बनाने वाली कंपनी है वह आपूर्ति करती है उसका 80 प्रतिशत हमलोग इसमें बिहार में खपत करते हैं और इसका हमलोगों ने पहले जो 60 प्रतिशत दिव्यांग होते थे, उनको हमलोग इसका लाभ देते थे । अब हमलोगों ने इसको घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया है और इस योजना का उद्देश्य है कि जो हमारे दिव्यांग भाई हैं उनको शिक्षा ग्रहण करने में और स्वरोजगार में भी सहुलियत हो । अब ये लोग इसके माध्यम से अपना रोजगार करते हैं और हमलोगों ने इनको जो मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना है और जो उद्यमी योजना है दोनों में हमलोगों ने शामिल किया है और हमलोगों को आने वाले समय में पूरा भरोसा है कि इसके माध्यम से हमारे दिव्यांगजन भाई भी सशक्त होंगे ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले जो हमारे कई सदस्य एक तरफ कहते हैं कि पेंशन की राशि बढाइये, दूसरी तरफ

हमारे कटौती का भी प्रस्ताव भी लाते हैं तो उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि अपना कटौती प्रस्ताव वापस लें ।

अध्यक्ष महोदय, यह जो वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु हमलोग विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के संचालन के लिये योजना मद के लिये मांग संख्या–51 में 7249.33 लाख (सात सौ तेईस करोड़ उनचास लाख तेतीस हजार) तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के लिये रू0 103.01 लाख (एक करोड़ तीन लाख एक हजार) अर्थात कुल रू0 72452.34 लाख (सात सौ चौबिस करोड़ बाबन लाख चौतीस हजार) मात्र को सदन के पटल से पारित करने का अनुरोध करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर समाप्त हुआ । क्या माननीय सदस्य श्री रणविजय साहू अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''इस शीर्षक की मांग 10/– रुपये से घटायी जाय ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिये समाज कल्याण विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिये बिहार विनियोग (संख्या–2) अधिनियम, 2025, बिहार विनियोग (संख्या–3) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या–4) अधिनियम, 2025 के उपबंध के अतिरिक्त 724,52,34,000/– (सात सौ चौबीस करोड़ बावन लाख चौंतीस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

माननीय सदस्यगण, अब शेष अनुदानों की मांगें गिलोटीन के माध्यम से ली जायेगी।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिये 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिये बिहार विनियोग (संख्या–2) अधिनियम, 2025, बिहार विनियोग (संख्या–3)

अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या–4) अधिनियम, 2025 द्वारा स्वीकृत राशि के अतिरिक्तः

मांग संख्या–01 कृषि विभाग के संबंध में 3000/– (तीन हजार) रुपये

मांग संख्या–02 डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के संबंध में 11,54,48,000/– (ग्यारह करोड़ चौवन लाख अड़तालीस हजार) रुपये

मांग संख्या–03 भवन निर्माण विभाग के संबंध में 701,50,95,000/– (सात सौ एक करोड़ पचास लाख पंचानवे हजार) रुपये

मांग संख्या–04 मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संबंध में 7,41,15,000/– (सात करोड़ इकतालीस लाख पन्द्रह हजार) रुपये

मांग संख्या–07 निगरानी विभाग के संबंध में 9,00,000/–(नौ लाख) रुपये

मांग संख्या–09 सहकारिता विभाग के संबंध में 63,41,24,000/– (तीरेसठ करोड़ इकतालीस लाख चौबीस हजार) रुपये

मांग संख्या–10 ऊर्जा विभाग के संबंध में 381,34,00,000/– (तीन सौ इक्यासी करोड़ चौंतीस लाख) रुपये

मांग संख्या–11 पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के संबंध में 100,00,00,000/– (एक सौ करोड़) रुपये

मांग संख्या–12 वित्त विभाग के संबंध में 2,43,77,000/– (दो करोड़ तैंतालीस लाख सतहत्तर हजार) रुपये

मांग संख्या–16 पंचायती राज विभाग के संबंध में 848,42,74,000/– (आठ सौ अड़तालीस करोड़ बयालीस लाख चौहत्तर हजार) रुपये

मांग संख्या–18 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संबंध में 321,22,00,000/–(तीन सौ इक्कीस करोड़ बाईस लाख) रुपये

मांग संख्या–19 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संबंध में 86,72,66,000/–(छियासी करोड़ बहत्तर लाख छियासठ हजार) रुपये

मांग संख्या–20 स्वास्थ्य विभाग के संबंध में 1449,61,61,000/– (एक हजार चार सौ उनचास करोड़ इकसठ लाख इकसठ हजार)

मांग संख्या–21 शिक्षा विभाग के संबंध में 285,66,01,000/– (दो सौ पचासी करोड़ छियासठ लाख एक हजार) रुपये

मांग संख्या–22 गृह विभाग के संबंध में 364,85,45,000/–(तीन सौ चौंसठ करोड़ पचासी लाख पैंतालीस हजार) रुपये

मांग संख्या–23 उद्योग विभाग के संबंध में 1723,53,29,000/– (एक हजार सात सौ तेइस करोड़ तिरपन लाख उनतीस हजार) रुपये

मांग संख्या–25 सूचना प्रावैधिकी विभाग के संबंध में 23,80,00,000/–(तेइस करोड़ अस्सी लाख) रुपये

मांग संख्या–26 श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के संबंध में 9,73,00,000/– (नौ करोड़ तिहत्तर लाख) रुपये

मांग संख्या–27 विधि विभाग के संबंध में 31,91,01,000/– (इक्कतीस करोड़ इक्यानवे लाख एक हजार) रुपये

मांग संख्या–30 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संबंध में 7,08,66,000/– (सात करोड़ आठ लाख छियासठ हजार) रुपये

मांग संख्या–32 विधान मंडल के संबंध में 6,50,00,000/– (छः करोड़ पचास लाख) रुपये

मांग संख्या–33 सामान्य प्रशासन विभाग के संबंध में 5,36,00,000/– (पांच करोड़ छत्तीस लाख) रुपये

मांग संख्या–36 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के संबंध में 106,00,00,000/–(एक सौ छः करोड़) रुपये

मांग संख्या–37 ग्रामीण कार्य विभाग के संबंध में 1236,66,00,000/–(एक हजार दो सौ छत्तीस करोड़ छियासठ लाख) रुपये

मांग संख्या–41 पथ निर्माण विभाग के संबंध में 490,00,00,000/–(चार सौ नब्बे करोड़) रुपये

मांग संख्या–42 ग्रामीण विकास विभाग के संबंध में 2424,45,00,000/–(दो हजार चार सौ चौबीस करोड़ पैंतालीस लाख) रुपये

मांग संख्या–43 विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के संबंध में 55,81,33,000/– (पचपन करोड़ इक्यासी लाख तैंतीस हजार) रुपये

मांग संख्या–44 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के संबंध में 98,00,00,000/–(अनठानवे करोड़) रुपये

मांग संख्या–45 गन्ना उद्योग विभाग के संबंध में 2,12,85,000/– (दो करोड़ बारह लाख पचासी हजार) रुपये

मांग संख्या–46 पर्यटन विभाग के संबंध में 2,55,00,000/–(दो करोड़ पचपन लाख) रुपये

मांग संख्या–47 परिवहन विभाग के संबंध में 8,00,000/– (आठ लाख) रुपये

मांग संख्या–48 नगर विकास एंव आवास विभाग के संबंध में 431,21,00,000/–(चार सौ इकतीस करोड़ इक्कीस लाख) रुपये

मांग संख्या –49 जल संसाधन विभाग के संबंध में 50,00,00,000/– (पचास करोड़) रुपये

मांग संख्या–50 लघु जल संसाधन विभाग के संबंध में 80,86,09,000/– (अस्सी करोड़ छियासी लाख नौ हजार) रुपये

मांग संख्या–51 समाज कल्याण विभाग के संबंध में 724,52,34,000/–(सात सौ चौबीस करोड़ बावन लाख चौंतीस हजार) रुपये

मांग संख्या–52 खेल विभाग के संबंध में 14,27,00,000/– (चौदह करोड़ सत्ताईस लाख) रुपये

मांग संख्या–53 युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के संबंध में 1,67,26,000/–(एक करोड़ सड़सठ लाख छब्बीस हजार) रुपये से अनधिक राशि अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभी मांगें स्वीकृत हुईं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब विधायी कार्य लिए जायेंगे । प्रभारी मंत्री वित्त विभाग ।

विधायी कार्य

(राजकीय वित्तीय विधेयक)

''बिहार विनियोग विधेयक, 2026''

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार विनियोग विधेयक, 2026 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार विनियोग विधेयक, 2026 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुरः स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैं इसे पुरःस्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुरःस्थापित हुआ ।

प्रभारी मंत्री ।

विचार का प्रस्ताव

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''''बिहार विनियोग विधेयक, 2026 पर विचार हो''

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडशः लेता हूं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''अनुसूची इस विधेयक का अंग बने''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुसूची इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–1 इस विधेयक का अंग बने''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–1 इस विधेयक का अंग बना ।

टर्न–31/धिरेन्द्र/11.02.2026

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वित्तीय वर्ष 2025–26 का तृतीय अनुपूरक व्यय–विवरणी बिहार विधान मंडल में दिनांक–09 फरवरी, 2026 को उपस्थापित किया गया...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, प्रस्ताव कर दीजिये ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार विनियोग विधेयक, 2026 स्वीकृत हो ।''

माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2025–26 का तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी बिहार विधान मंडल में दिनांक–09 फरवरी, 2026 को उपस्थापित किया गया । तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी में 12 हजार 01 सौ 65 करोड़ 43 लाख 72 हजार रुपये (12,165.4372 करोड़ रुपये) की राशि प्रस्तावित की गयी है । प्रस्तावित राशि में वार्षिक स्कीम मद में 09 हजार 05 सौ 86 करोड़ 39 लाख 47 हजार रुपये (9,586.3947 करोड़ रुपये) तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में (प्रभृत सहित) 02 हजार 05 सौ 79 करोड़ 04 लाख 25 हजार रुपये (2,579.0425 करोड़ रुपये) प्रस्तावित है । कुल प्रस्तावित राशि में बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में स्वीकृत 02 हजार 02 सौ 36 करोड़ 56 लाख 53 हजार रुपये (2,236.5653 करोड़ रुपये) की प्रतिपूर्ति शामिल है ।

अध्यक्ष महोदय, वार्षिक स्कीम के अंतर्गत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के केन्द्रांश एवं राज्यांश तथा राज्य स्कीम को शामिल किया जाता है । इस वार्षिक स्कीम मद में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के केन्द्रांश मद में 09 सौ 09 करोड़ 93 लाख 44 हजार रुपये (909.9344 करोड़ रुपये), केन्द्रीय प्रायोजित

स्कीम के राज्यांश मद में 02 हजार 04 सौ 82 करोड़ 65 लाख 45 हजार रुपये (2,482.6545 करोड़ रुपये) एवं राज्य स्कीम मद में 06 हजार 01 सौ 93 करोड़ 80 लाख 58 हजार रुपये (6,193.8058 करोड़ रुपये) अर्थात कुल 09 हजार 05 सौ 86 करोड़ 39 लाख 47 हजार रुपये (9,586.3947 करोड़ रुपये) प्रस्तावित है।

प्रस्तावित राशि में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के राज्यांश अंतर्गत मुख्यतः राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु 01 हजार 01 सौ 84 करोड़ रुपये (1184.00 करोड़ रुपये), प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु 01 हजार 13 करोड़ रुपये (1,013.00 करोड़ रुपये) एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना हेतु 01 सौ 92 करोड़ रुपये (192.00 करोड़ रुपये) का प्रस्ताव शामिल है ।

अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के केन्द्रांश मद में मुख्यतः सक्षम आंगनबाड़ी पोषण–2 हेतु 06 सौ 33 करोड़ 63 लाख रुपये (633.63 करोड़ रुपये), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना हेतु 01 सौ 22 करोड़ रुपये (122.00 करोड़ रुपये) एवं समग्र शिक्षा अभियान हेतु 41 करोड़ 81 लाख रुपये (41.81 करोड़ रुपये) का प्रस्ताव शामिल है ।

अध्यक्ष महोदय, राज्य द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के साथ–साथ राज्य की स्कीम पर पर्याप्त बल दिया जा रहा है । राज्य स्कीम मद में 06 हजार 01 सौ 93 करोड़ 80 लाख 58 हजार रुपये (6,193.8058 करोड़ रुपये) का प्रस्ताव है ।

राज्य सरकार द्वारा पूंजीगत निर्माण कार्यों को प्राथमिकता देते हुए पूंजीगत व्यय हेतु 03 हजार 04 सौ 83 करोड़ 49 लाख 21 हजार (3,483.4921 करोड़ रुपये) रुपये का अनुपूरक प्रस्तावित है, जिसमें मुख्यतः मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना हेतु 01 हजार 01 सौ करोड़ रुपये (1,000.00 करोड़ रुपये) एवं मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के निर्माण हेतु 08 सौ 62 करोड़ 50 लाख रुपये (862.50 करोड़ रुपये), पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु 05 सौ करोड़ रुपये (500.00 करोड़ रुपये), सड़क एवं पुलों के निर्माण हेतु 04 सौ करोड़ रुपये (400.00 करोड़ रुपये), पुलिस भवनों के निर्माण हेतु 02 सौ 33 करोड़ 35 लाख रुपये (233.35 करोड़ रुपये) एवं स्टेडियम एवं खेल संरचना के निर्माण हेतु 01 सौ करोड़ रुपये (100.00 करोड़ रुपये) का प्रस्ताव शामिल है ।

अध्यक्ष महोदय, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में मुख्य प्रस्ताव के रूप में विभिन्न विभागों के वेतनादि हेतु 05 सौ 50 करोड़ 17 लाख रुपये (550. 17 करोड़ रुपये), पंचायत सरकार भवन हेतु 05 सौ करोड़ रुपये (500.00 करोड़ रुपये), शहरी स्थानीय निकायों के विद्युत विपत्रों के भुगतान हेतु 04 सौ 25 करोड़ 99 लाख रुपये (425.99 करोड़ रुपये), मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना अंतर्गत 125 यूनिट मुफ्त बिजली में सब्सिडी हेतु 03 सौ 49 करोड़ 20 लाख रुपये (349.20 करोड़ रुपये), दवा भण्डार हेतु 02 सौ 44

करोड़ 96 लाख रुपये (244.96 करोड़ रुपये), Output and Performance Based Road Asset Maintenance Contract System (OPRMC) के अंतर्गत सड़कों के अनुरक्षण मरम्मत हेतु 01 सौ 50 करोड़ रुपये (150.00 करोड़ रुपये) एवं जल संसाधन विभाग के अंतर्गत अनुरक्षण एवं मरम्मत हेतु 50 करोड़ रुपये का प्रस्ताव शामिल है ।

अध्यक्ष महोदय, बिहार विनियोग विधेयक, 2026 द्वारा कुल 12 हजार 01 सौ 65 करोड़ 43 लाख 72 हजार रुपये (12,165.4372 करोड़ रुपये) की राशि को समेकित निधि से विनियोजन किया जाना प्रस्तावित है । तृतीय अनुपूरक में राशि उपबंधित करने संबंधी प्रस्ताव एवं बिहार विनियोग विधेयक, 2026 का संक्षिप्त विवरण माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

(माननीय मंत्री, वित्त विभाग के भाषण का अंश परिशिष्ट द्रष्टव्य)

सदन से अनुरोध है कि तृतीय अनुपूरक से संबंधित बिहार विनियोग विधेयक, 2026 में अपनी सहमति व्यक्त करते हुए इसे ध्वनिमत से पारित किया जाय ताकि राज्य का विकास निर्बाध गति से चलता रहे । धन्यवाद ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार विनियोग विधेयक, 2026 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार विनियोग विधेयक, 2026 स्वीकृत हुआ ।

<u>प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, विधि विभाग ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा बिहार विधान सभा में उद्भूत और बिहार विधान सभा एवं परिषद् द्वारा यथा पारित 'बिहार सिविल न्यायालय विधेयक, 2021' जो संविधान के अनुच्छेद–200 के अधीन विचारार्थ रक्षित है, को वापस ले । साथ ही, यह सभा विधान परिषद् से अनुरोध करती है कि वह इस प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करे ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''यह सभा बिहार विधान सभा में उद्भूत और बिहार विधान सभा एवं परिषद् द्वारा यथा पारित 'बिहार सिविल न्यायालय विधेयक, 2021' जो संविधान के अनुच्छेद–200 के अधीन विचारार्थ रक्षित है, को वापस ले । साथ ही, यह सभा विधान परिषद् से अनुरोध करती है कि वह इस प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करे ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक–11 फरवरी, 2026 के लिए स्वीकृत निवेदनों की संख्या–40 है । अतः सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की कार्यवाही वृहस्पतिवार दिनांक–12 फरवरी, 2026 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

परिशिष्ट

माननीय अध्यक्ष महोदय,

वित्तीय वर्ष 2025–26 का तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी बिहार विधान मंडल में दिनांक–09 फरवरी 2026 को उपस्थापित किया गया। तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी में 12 हजार 1 सौ 65 करोड़ 43 लाख 72 हजार रुपये (12,165.4372 करोड़ रुपये) की राशि प्रस्तावित की गयी है। प्रस्तावित राशि में **वार्षिक स्कीम मद में** 9 हजार 5 सौ 86 करोड़ 39 लाख 47 हजार रुपये, **(9,586.3947 करोड़ रुपये)** तथा **स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में (प्रभृत सहित) 2 हजार 5 सौ 79 करोड़ 04 लाख 25 हजार रुपये (2,579.0425 करोड़ रुपये) प्रस्तावित है।** कुल प्रस्तावित राशि में बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में स्वीकृत **2 हजार 2 सौ 36 करोड़ 56 लाख 53 हजार रुपये** (2,236.5653 करोड़ रुपये) की प्रतिपूर्ति शामिल है।

अध्यक्ष महोदय, वार्षिक स्कीम के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के केन्द्रांश एवं राज्यांश तथा राज्य स्कीम को शामिल किया जाता है। इस वार्षिक स्कीम मद में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के केन्द्रांश मद में 9 सौ 9 करोड़ 93 लाख 44 हजार रूपये (909.9344 करोड़ रुपये), केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के राज्यांश मद में 2 हजार 4 सौ 82 करोड़ 65 लाख 45 हजार रुपये (2,482.6545 करोड़ रुपये) एवं राज्य स्कीम मद में 6 हजार 1 सौ 93 करोड़ 80 लाख 58 हजार रुपये (6,193.8058 करोड़ रुपये) अर्थात कुल 9 हजार 5 सौ 86

करोड़ 39 लाख 47 हजार रुपये **(9,586.3947 करोड़ रुपये)** प्रस्तावित है।

प्रस्तावित राशि में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के राज्यांश अन्तर्गत मुख्यतः **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन** हेतु 1 हजार 1 सौ 84 करोड़ रुपये (1,184.00 करोड़ रुपये), **प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)** हेतु 1 हजार 13 करोड़ रुपये (1,013.00 करोड़ रुपये) एवं **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना** हेतु 1 सौ 92 करोड़ रुपये (192.00 करोड़ रुपये) का प्रस्ताव शामिल है।

अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के केन्द्रांश मद में मुख्यतः **सक्षम आंगनबाड़ी पोषण–2** हेतु 6 सौ 33 करोड़ 63 लाख रुपये (633.63 करोड़ रुपये), **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना** हेतु 1 सौ 22 करोड़ रुपये (122.00 करोड़ रुपये) एवं **समग्र शिक्षा अभियान** हेतु 41 करोड़ 81 लाख रुपये (41.81 करोड़ रुपये) का प्रस्ताव शामिल है।

अध्यक्ष महोदय, राज्य द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के साथ–साथ राज्य की स्कीम पर पर्याप्त बल दिया जा रहा है। राज्य स्कीम मद में 6 हजार 1 सौ 93 करोड़ 80 लाख 58 हजार रुपये (6,193.8058 करोड़ रुपये) का प्रस्ताव है।

राज्य सरकार द्वारा पूंजीगत निर्माण कार्यों को प्राथमिकता देते हुए पूंजीगत व्यय हेतु 3 हजार 4 सौ 83 करोड़ 49 लाख 21 हजार (3,483.4921 करोड़) रुपये का अनुपूरक प्रस्तावित है, जिसमें मुख्यतः मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना हेतु 1 हजार 1 सौ करोड़

रुपये (1,100.00 करोड़ रुपये) एवं मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के निर्माण हेतु 8 सौ 62 करोड़ 50 लाख रुपये (862.50 करोड़ रुपये), पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु 5 सौ करोड़ रुपये (500.00 करोड़ रुपये), सड़क एवं पुलों के निर्माण हेतु 4 सौ करोड़ रुपये (400.00 करोड़ रुपये), पुलिस भवनों के निर्माण हेतु 2 सौ 33 करोड़ 35 लाख रुपये (233.35 करोड़ रुपये) एवं स्टेडियम एवं खेल संरचना के निर्माण हेतु 1 सौ करोड़ रुपये (100.00 करोड़ रुपये) का प्रस्ताव शामिल है।

अध्यक्ष महोदय, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में मुख्य प्रस्ताव के रूप में विभिन्न विभागों के वेतनादि हेतु 5 सौ 50 करोड़ 17 लाख रुपये (550.17 करोड़ रुपये), पंचायत सरकार भवन हेतु 5 सौ करोड़ रुपये (500.00 करोड़ रुपये), शहरी स्थानीय निकायों के विद्युत विपत्रों के भुगतान हेतु 4 सौ 25 करोड़ 99 लाख रुपये (425. 99 करोड़ रुपये), मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना अन्तर्गत 125 युनिट मुफ्त बिजली में सब्सिडी हेतु 3 सौ 49 करोड़ 20 लाख रुपये (349.20 करोड़ रुपये), दवा भण्डार हेतु 2 सौ 44 करोड़ 96 लाख रुपये (244.96 करोड़ रुपये), Output and Performance Based Road Asset Maintenance Contract Systeme (OPRMC) के अन्तर्गत सड़कों के अनुरक्षण मरम्मत हेतु 1 सौ 50 करोड़ रुपये (150.00 करोड़ रुपये) एवं जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत अनुरक्षण एवं मरम्मत हेतु 50 करोड़ रुपये का प्रस्ताव शामिल है।

अध्यक्ष महोदय, बिहार विनियोग विधेयक, 2026 द्वारा कुल 12 हजार 1 सौ 65 करोड़ 43 लाख 72 हजार रुपये (12,165.4372 करोड़ रुपये) की राशि को समेकित निधि से विनियोजन किया जाना प्रस्तावित है। तृतीय अनुपूरक में राशि उपबंधित करने संबंधी प्रस्ताव एवं बिहार विनियोग विधेयक, 2026 का संक्षिप्त विवरण माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

सदन से अनुरोध है कि तृतीय अनुपूरक से संबंधित बिहार विनियोग विधेयक, 2026 में अपनी सहमति व्यक्त करते हुए इसे ध्वनिमत से पारित किया जाय ताकि राज्य का विकास निर्बाध गति से चलता रहे।

जय हिन्द, जय बिहार।

****